₹ 25

हिन्दी भाषियों की मासिक पत्रिका

कादम्बिनी

फरवरी 2019



Reg. No.: AP-009

لڑکیوں کی دینی و عصری تعلیم کا ایک معیاری اقامتی ادارہ

Estd.:1988

کلیۃ الصالحات اراریہ

KULLIYATUS SALEHAT, ARARIA

درجہ نرسری سے دہم (میٹرک) تک بورڈ آف اسلامک ایجوکیشن بہار سے ملحق



میڈیم

اردو، ہندی اور انگریزی

اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی بچیاں

- ☆ اعلیٰ و معیاری تعلیم سے آراستہ ہو۔
- ☆ پرہیزگار، خوش اخلاق اور سلیقہ مند ہو۔
- ☆ گھر اور سماج میں اس کا ایک اعلیٰ مقام ہو۔
- ☆ دینی عصری و تکنیکی تعلیم سے آراستہ ہو۔
- ☆ امور خانہ داری میں ماہر ہو۔

تو آئیے! کلیۃ الصالحات اراریہ سے استفادہ کیجئے۔

پختہ مکان و بلند چہار دیواری کے اندر رہائش کا مناسب انتظام۔ صاف ستھرا، پاکیزہ و اسلامی ماحول

۵ر اپریل سے داخلہ شروع

is
a well known
institution
rendering its services
in the field of Girls Education

REGISTRATION IS GOING ON

Registration starts from 1st of March every year.

ADMISSION

starts from 5th of April every year.

CURRICULUM

Arabic, Qura'an and Islamic studies are included in the curriculum besides all the subjects of Bihar Secondary Board Syllabus including Computer Education.

CO-CURRICULUM

Girls are encouraged to develop creative faculties by participating in different co-curricular activities such as Debate, Painting, Speech Weekly Bazm, Quiz , Home Science, Games and Tailoring etc.

SESSION : APRIL TO MARCH

CLASSES : NURSERY TO Std.X

CONVEYANCE

Proper conveyance facility is available for Araria Town and adjoining areas.

MEDIUM

Urdu, English and Hindi

HOSTEL

Hostel facility is available for girls having minimum seven (7) years of age in a peaceful, calm and Islamic environment and at a protected place.

Run by : Kulliyatus Salehat Educational & Technical Society

SALEHAT NAGAR, ARARIA (BIHAR) PIN-854311

mob.: 9931228833, website : www.kulliyatussalehat.in, e-mail : kulliyatussalehat@gmail.com

आपकी आशाओं का सुन्दर प्रतिबिम्ब

हिन्दी भाषियों की मासिक पत्रिका

कान्ति

वर्ष 29 अंक 01 जुलाई 2019

सीधे मुँह से एक अच्छा बोल और द्धक्षमा एवं स्नेह सेऋ क्षमा एवं अनदेखा कर जाने की कोई बात उस दान से कहीं उत्तम है, जिसके साथ अल्लाह के बन्दों के लिए उत्पीड़न हो।

–कुरआन

संपादक

डॉ० मुहम्मद अहमद

अपने विचार, लेख, रचनाएं भेजने एवं संपादकीय मामलों के लिए लिखें–

संपादक, 'कान्ति' मासिक

डी-314, दावत नगर, अबुल फ़ज़्ल इन्कलेव

जामिया नगर, नयी दिल्ली–110025

ई मेल editorkantihindi@gmail.com

* * *

ख़रीदार बनने, एजेंसी लेने, प्रचार-प्रसार एवं प्रबंधकीय मामलों के लिए लिखें–

प्रबंधक, 'कान्ति' मासिक

डी-314, दावत नगर, अबुल फ़ज़्ल इन्कलेव

जामिया नगर, नयी दिल्ली–110025

ई मेल managerkantidelhi@gmail.com

* * *

फ़ोन संपादकीय एवं प्रबंधकीय

011-26949430, 09818799223

सहयोग राशि

एक प्रति रु० 25/- विशेषांक रु० 60/-

वार्षिक रु० 270/-, दो वर्ष 500/-

पांच वर्ष 1100/-, आजीवन रु० 6000/-

सऊदी अरब और खाड़ी के देशों से–110 रियाल

यूरोप व अमेरिका से–40 US डॉलर

वेब : **www.kanti.in**

चेक / ड्राफ्ट **'कान्ति'** के नाम से बनवाएं

विचार सौरभ

नकारात्मक सोच का विष

अमेरकिा में एक क़ैदी को सज़ा-ए-मौत हो गयी
कुछ वैज्ञानिकों ने, जो अध्ययन कर रहे थे
सकारात्मक और नकारात्मक सोच पर,
एक प्रयोग करने का निर्णय किया।
प्रशासन से अनुरोध कर
वे ले गये क़ैदी को अपने साथ
भयभीत क़ैदी से कहा उन्होंने
हम तुम्हें फांसी देकर नहीं मारेंगे
बल्कि तुम्हें डसेगा काला नाग
फिर वहां लाया गया
एक विषैला नाग
नियमानुसार क़ैदी को बिठाया एक कुर्सी पर
बांध दिये उसके पांव और हाथ
काली पट्टी आंखों पर भी बांध दी
डर से घिग्घी बंधी थी क़ैदी की
मगर उसे नहीं डसाया गया नाग से
बल्कि उसे चुभायी गयी सेफ़्टी पिन
क़ैदी ने एक ज़ोर की चीख़ मारी
और कुछ ही क्षणों में उसका शरीर ठंडा हो गया
पोस्ट मार्टम में पाया गया
उसकी मौत का कारण है विष
नाग के विष जैसा विष
यह विष कहां से आया उसके शरीर में
निराशा ने उत्पन्न किया था इसे
जिसने ले ली उसकी जान
कर्मों से बनती है ऊर्जा
सकारात्मक या नकारात्मक,
और जन्म देती है तद्नुसार हार्मोन्स।
दस में सात रोगों का कारण
है नकारात्मक सोच।
बदलें अपनी सोच
सोच बदलना तो है अपने वश में।

● **मुशर्रफ़ अली**



कहां क्या है ?

नकारात्मक सोच का विष	–मुशर्रफ़ अली	3
कुरआन ज्योति		5
महिलाओं के विषय में वसीयत (हदीस मंजरी)		6
सहअस्तित्व बनाए रखने की चुनौती (संपादकीय)		7
इस्लाम की दृष्टि में इबादत का उद्देश्य (आस्था)	–जमालुद्दीन एम॰ ज़ाराबोज़ो	9
पैग़म्बर (सल्ल॰) के जीवन आचरण में समस्याओं का समाधान (जीवन आदर्श)	–डॉ॰ ज़फ़रुल्लाह बेग	13
तलाक़ : औरत पर अत्याचार? (सवाल-जवाब)	–ज़ैनुल आबिदीन मंसूरी	17
बंधुत्व : राष्ट्रवाद की सही पहचान (आपके पत्र)	जसवंत सिंह जनमेजय	19
हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ि॰ (नेकी के सिपाही)	–अब्दुर्रहमान राफ़त पाशा	21
धरती का मूल निवासी मनुष्य या अन्य प्राणी? (विशेष आयोजन)	–मुशर्रफ़ अली	26-27
मनुष्य धरती के अन्य प्राणियों से इतना भिन्न क्यों ?	–गुलज़ार सहराई	29
महिलाओं पर अत्याचार का हो अन्त (महिला जगत्)	–ख़ान शाहीन	33
गोडसे के महिमामंडन करने के निहितार्थ (विचारणीय)	–सुफ़ियान अहमद	35
समाज निर्माण में धर्मगुरुओं की भूमिका (आयोजन)	–संपादन प्रभाग	37
सत्य के विरोध ने ही दिखाया सन्मार्ग (चेतना)	–संपादन प्रभाग	39
केरल : सहअस्तित्व का स्वर्ग (अपना देश)	–संपादन प्रभाग	41
पिता के जाने के बाद (कहानी)	–प्रवीण कुमार सहगल	45
समाज में उपभोक्तावाद का असर (उद्‌गार)		47
घड़ी उलटे हाथ पर ही क्यों? (बालवीथी)		47

कुरआन ज्योति

(101) इनसे कहो, "ज़मीन और आसमानों में जो कुछ है उसे आंखें खोलकर देखो।" और जो लोग ईमान लाना ही नहीं चाहते उनके लिए निशानियां और चेतावनियां आख़िर क्या लाभप्रद हो सकती है ?[105] (102) अब ये लोग इसके सिवा और किस चीज़ की प्रतीक्षा में हैं कि वही बुरे दिन देखें जो इनसे पहले गुज़रे हुए लोग देख चुके हैं ? इनसे कहो, "अच्छा प्रतीक्षा करो, मैं भी तुम्हारे साथ प्रतीक्षा करता हूं।" (103) फिर (जब ऐसा समय आता है तो) हम अपने रसूलों को और उन लोगों को बचा लिया करते हैं जो ईमान लाए हों। हमारा यही तरीक़ा है। हम पर यह हक़ है कि ईमान वालों को बचा लें।

(104) ऐ नबी ! कह दो कि[106] "लोगो, अगर तुम अभी तक मेरे दीन के बारे में किसी सन्देह में हो तो सुन लो कि तुम अल्लाह के सिवा जिनकी बन्दगी करते हो, मैं उनकी बन्दगी नहीं करता, बल्कि केवल उसी अल्लाह की बन्दगी करता हूं जिसके क़ब्ज़े में तुम्हारी मौत है।[107] मुझे आदेश दिया गया है कि मैं ईमान लाने वालों में से हूं। –क़ुरआन, 10:101-104

---

105. यह उनकी उस मांग का अन्तिम और अटल उत्तर है जो वे ईमान लाने के लिए शर्त के तौर पर पेश करते थे कि हमें कोई निशानी दिखायी जाए जिससे हमें विश्वास हो जाए कि तुम्हारी नुबूवत सच्ची है। इसके उत्तर में फ़रमाया जा रहा है कि अगर तुम्हारे भीतर सत्य की चाह और सत्य अपनाने की तत्परता हो तो वह अगणित निशानियां जो ज़मीन व आसमान में हर ओर फैली हुई हैं, तुम्हें मुहम्मद (सल्ल०) के सन्देश की सच्चाई पर संतुष्ट करने के लिए काफ़ी से ज़्यादा है। सिर्फ़ आंखें खोलकर इन्हें देखने की ज़रूरत है लेकिन अगर यह चाह और यह तत्परता तुम्हारे भीतर मौजूद नहीं है। तो फिर कोई निशानी भी, भले ही वह कैसी विचित्र और अनोखी हो, तुम्हें ईमान की नेमत से मालामाल नहीं कर सकती। हर मोजज़े (चमत्कार) को देखकर तुम फ़िरऔन और उसकी क़ौम के सरदारों की तरह कहोगे कि यह तो जादूगरी है। इस रोग में जो लोग संलिप्त होते हैं उनकी आंखें सिर्फ़ उस समय खुला करती हैं जब अल्लाह का प्रकोप अपनी भयानक पकड़ के साथ उन पर टूट पड़ता है, जिस तरह फ़िरऔन की आंखें डूबते समय खुली थीं। मगर ठीक गिरफ़्तारी के मौक़े पर जो तौबा की जाए, उसका कोई मूल्य नहीं।

106. जिस विषय से भाषण का आरंभ किया गया था उसी पर अब भाषण को समाप्त किया जा रहा है। तुलना के लिए आरंभिक आयतों में वर्णित विषय पर पुनः एक दृष्टि डाल ली जाए।

107. मूल अरबी में शब्द 'य-त-वफ़्फ़ाकुम' है जिसका शाब्दिक अर्थ–है, "जो तुम्हें मौत देता है।" लेकिन इस शाब्दिक अनुवाद से मूल भाव स्पष्ट नहीं होता। इस कथन का मूल भाव यह है कि "वह जिसके क़ब्ज़े में तुम्हारी जान है, जो तुम पर ऐसी पूर्ण साधिकारिक सत्ता रखता है कि

(शेष पृष्ठ 9 पर)

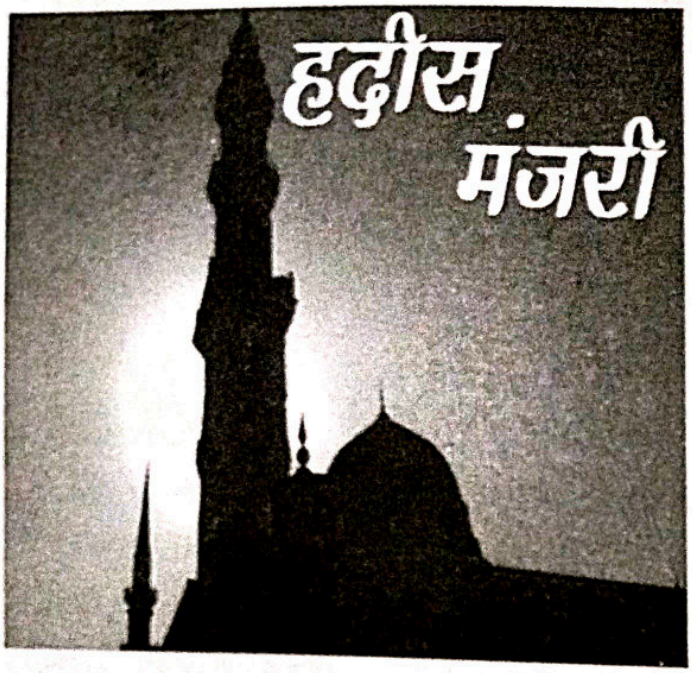

महिलाओं के विषय में वसीयत

● हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि॰) से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल (सल्ल॰) ने कहा : "स्त्रियों के साथ अच्छा व्यवहार करो क्योंकि स्त्री पसली से पैदा की गयी है । और पसली का सबसे टेढ़ा भाग उसका ऊपरी भाग होता है । अगर तुम उसे सीधा करने की कोशिश करोगे, तो उसे तोड़कर रख दोगे और अगर उसे छोड़ दोगे तो वह बराबर टेढ़ी ही रहेगी । अत: औरतों के साथ अच्छा व्यवहार किया करो ।"

–बुख़ारी, मुस्लिम

● हज़रत अम्र विन अल-अहवस अल-जोसमी (रज़ि॰) से रिवायत है कि उन्होंने 'हज्जतुलविदा' (आप सल्ल॰ के अन्तिम हज) के अवसर पर नबी (सल्ल॰) को सुना । आपने अल्लाह तआला की स्तुति और तारीफ़ की और नसीहत की । इसके बाद आपने कहा : "सावधान ! स्त्रियों के साथ अच्छा व्यवहार करो क्योंकि वे तुम्हारे पास क़ैद हैं । (स्त्री-संभोग) के सिवा तुम उनके किसी चीज़ के मालिक नहीं हो, किन्तु यह कि वे स्पष्ट अशोभनीय कर्म करें । और अगर वे ऐसा करें, तो उन्हें अपने बिस्तरों में तन्हा छोड़ दो और उन्हें मारो, ऐसी मार जो बहुत कष्टदायक न हो । फिर अगर वे तुम्हारी बात मान लें तो उनके विरुद्ध कोई राह न ढूंढो । जान लो कि तुम्हारी स्त्रियों पर तुम्हारा हक़ है और तुम पर स्त्रियों का हक़ भी है । तुम्हारा उन पर यह हक़ है कि वे तुम्हारे बिस्तर पर किसी ऐसे व्यक्ति को न बिठाएं जिसे तुम पसन्द नहीं करते और न तुम्हारे घरों में किसी ऐसे व्यक्ति को आने की अनुमति दें जिसे तुम नापसन्द करते हो । जान लो कि तुम पर उनका यह हक़ भी है कि तुम उनके कपड़े और खाने के मामले में उनके साथ अच्छी रीति अपनाओ ।"

–तिरमिज़ी । तिरमिज़ी ने कहा कि यह हदीस 'हसन सहीह' है ।

● हज़रत मुआविया बिन हैदह (रज़ि॰) कहते हैं कि मैंने कहा कि ऐ अल्लाह के रसूल, हममें से किसी की स्त्री का उस पर क्या हक़ है ? आपने कहा : "यह कि जब तुम खाओ, तो उसे भी खिलाओ और जब तुम कपड़े पहनो, तो उसे भी पहनाओ और उसके मुंह पर न मारो और न उससे यह कहो कि अल्लाह तुझे अच्छाई से वंचित रखे और न उसे अलग करो किन्तु इस तरह कि वह घर ही में रहे ।"

–अबू दाऊद

● हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि॰) से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल (सल्ल॰) ने कहा : "मोमिनों में ईमान की दृष्टि से सबसे पूर्ण वह है जो उनमें अख़्लाक़ की दुष्टि से सबसे अच्छा हो । और तुममें सबसे अच्छा वह है जो अपनी स्त्रियों के प्रति अच्छा हो ।"

–अबू दाऊद

● हज़रत अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन अल-आस (रज़ि॰) से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल (सल्ल॰) ने कहा : "दुनिया एक सुख-सामग्री है और उसकी बेहतरीन सुख-सामग्री नेक स्त्री है ।" –मुस्लिम

('रियाज़ुस्सालिहीन' से)

इस्लाम-परिचय : हिन्दी वेबसाइटें

www.islamdharma.org
www.islamic videos.com
www.islamicwebdunia.com
www.quranhindi.com

संपादकीय

सहअस्तित्व बनाए रखने की चुनौती

अब तो वैज्ञानिक भी स्वीकार करने लगे हैं कि यह संसार मनुष्य का मूल निवास स्थान नहीं है। इसकी रचना किसी अन्य ग्रह पर हुई, जो हर आधार पर उसके लिए अनुकूल था, लेकिन फिर वहां इससे कोई ऐसा अपराध हुआ कि रचयिता ने दंडस्वरूप इसे इस ग्रह (पृथ्वी) पर भेज दिया। यह वही बात है जिसे सर्वजगत् के रचयिता और स्वामी 'ईश्वर' ने समस्त मानवजाति को संबोधित करते हुए बार-बार दुहाराया है और ईश्वर के अंतिम ग्रंथ क़ुरआन में विस्तार के साथ इसका उल्लेख है। लेकिन मानवजाति का एक बहुत बड़ा वर्ग इस तथ्य को केवल इस आधार पर झुठलाता रहा है कि यह हमारी ज्ञानेंद्रियों की सीमा से परे है, अर्थात् जिसे देखकर, सुनकर, सूंघकर, चखकर या स्पर्श कर अनुभव नहीं किया जा सकता, उसे अस्वीकार कर देने का रुझान वर्तमान समय में वैज्ञानिक रुझान कहलाता है।

बहरहाल अब वैज्ञानिक मानव-स्वभाव और मानव-प्रकृति का अध्ययन करके इस सच्चाई तक पहुंचने लगे हैं कि मनुष्य को इस धरती पर एक परीक्षा से गुज़रना है और यही उसके जीवन का उद्देश्य है। परीक्षा का सामना व्यक्तिगत रूप से व्यक्तियों को भी करना है और सामूहिक रूप से जातियों, समाजों तथा राष्ट्रों को भी। विभिन्न कालों में संसार के विभिन्न क्षेत्रों में सामूहिक परीक्षा का स्वरूप भी अलग-अलग रहा है। आज भी सोमालिया, सूडान जैसे अभावग्रस्त देशों के निवासियों को अलग तरह की परीक्षा का सामना है। इसके विपरीत यूरोप के समृद्ध राष्ट्रों को अलग तरह की परीक्षा का सामना। कोई इसलिए परेशान है कि उसके पास संसाधनों की कमी है और कोई इसलिए कि उसके संसाधनों को भोगने वाली पीढ़ी समाप्त होती जा रही है और बाहर से लोग आकर उसके संसाधनों पर क़ब्ज़ा कर रहे हैं। इसी तरह चीन में परीक्षा का स्वरूप अलग है और हमारे देश में अलग।

सहअस्तित्व का सवाल आदिकाल से हमारे देश में सामूहिक परीक्षा का विषय रहा है और आज भी हमारे देश वासियों की परीक्षा इसी में है। वास्तव में हमारा देश इस संसार का एक अद्भुत और नायाब देश है। इस जैसा दूसरा देश इस ग्रह पर नहीं पाया जाता। हमारा देश अपने आपमें एक सम्पूर्ण संसार है। प्रकृति ने इसे विविधता में एकता का देश बनाया है। प्राचीनकाल से ही यहां विभिन्न धर्मों के अनुयायी, विभिन्न जातियों से संबंध रखने वाले, विभिन्न परम्पराओं का पालन करने वाले और विभिन्न भाषाएं बोलने वाले मिल-जुलकर रहते आये हैं। विविधता की यही एकता इस देश की शक्ति भी है और इसका सौंदर्य भी। इस देश के निवासियों की परीक्षा विविधता की इस एकता को बनाए रखने में है। हमारे देश में प्राचीनकाल ही से अलग-अलग पृष्ठभूमि के लोगों के बीच संघर्ष का भी इतिहास रहा है और सहअस्तित्व का भी। इतिहास हमें बताता है कि संघर्ष के दौर में हमारा देश तरह-तरह की समस्याओं से जूझता रहा और इसका विकास अवरुद्ध रहा, इसके विपरीत जब देश में सहअस्तित्व का शांतिपूर्ण माहौल बना तो देश विकास और समृद्धि के रास्ते पर चल पड़ा और सोने की चिड़िया के रूप में विश्वविख्यात हुआ। आज भी देश में कुछ शक्तियां अपने तुच्छ स्वार्थों की पूर्ति के लिए सामाजिक सद्भाव को बिगाड़ना चाहती हैं, जिसके परिणामस्वरूप देश को कई बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। देश में क़ानून प्रभावहीन होता जा रहा है, कुछ लोग इसे अपने हाथ में लेकर अपने तौर पर इस्तेमाल करना चाहते हैं। देश में गुटबंदी का माहौल बन रहा है। एक गुट के विरुद्ध दूसरा गुट खड़ा हो रहा है और समाज विभाजन की ओर बढ़ रहा है। इसी तरह असमानता बढ़ती जा रही है। आगे बढ़ने के लिए हमें इन चुनौतियों का सामना करना होगा और देश में सद्भाव का वातावरण बनाना होगा। अपने देश के राज्य केरल की मिसाल हमारे सामने है, जहां सहअस्तित्व के सुन्दर वातावरण के कारण नेशनल ज्योग्राफ़िक सर्वे ने इसे संसार के स्वर्गों में शामिल किया है।

हज़रत अबूज़र (रज़ि॰) कहते हैं कि मुझसे अल्लाह के रसूल (सल्ल॰) ने कहा, "जहां और जिस हाल में रहो, अल्लाह का डर रखो और हर बुराई के पश्चात नेकी करो, वह उसे मिटा देगी, और लोगों के साथ अच्छे शील-स्वभाव से पेश आओ।"

(अहमद, तिरमिज़ी, दारमी)

A Well Wisher

ARARIA (BIHAR)

इस्लाम की दृष्टि में इबादत का उद्देश्य

■ जमालुद्दीन एम॰ ज़ाराबोज़ो

इस तरह हम देखते हैं कि एकेश्वरवाद अर्थात ईमान बिल्लाह (ईश्वर पर आस्था) है । जो पश्चिम के इबादत अर्थात Worship से कहीं उच्चतर व श्रेष्ठ है । अब्दुर्रहमान अल-सादी ने इसकी व्याख्या निम्न वाक्यों में की है–

"सच्चे मन से और ज्ञान के प्रकाश में इसकी घोषणा कि अल्लाह ही एकमात्र पूज्य है और वही और केवल वही इबादत और उपासना के योग्य है, यह मानना और इसकी घोषणा करना कि अल्लाह के जो गुण बयान किंये गये हैं वे किसी भी जीव में नहीं पाये जाते हैं वे सिफ़ात बिज़्ज़ात (जातिवाचक गुण) नहीं हैं । इसलिए दूसरी कोई हस्ती इबादत के लायक़ नहीं है । जिस व्यक्ति को इस पर दिल से विश्वास होगा वह न दिल से किसी की इबादत का योग्य ख़याल करेगा और न अपने प्रत्यक्ष कर्मों से इसका प्रदर्शन करेगा, वह केवल और केवल एक ईश्वर ही की आज्ञापालन करेगा प्रत्यक्ष कर्म भी उसके इसी अनुसार होंगे जिनका होना इबादत कहा जाता है जैसे नमाज़, रोज़े, जिहाद, अच्छे कामों का आदेश देना और बुरे कामों से रोकना, बन्दों के हक़ की पूर्ति, उसके जीवन का उद्देश्य ईश्वर की प्रसन्नता हासिल करना होगा । इस संसार में भी और परलोक में भी उसकी प्रसन्नता प्राप्ति और अच्छे बदले व सवाब का अभिलाषी होगा । करुणामय ईशदूत की पैरवी करेगा, उसकी आस्था क़ुरआन व सुन्नत के अनुरूप होगी और उसके व्यवहार अल्लाह के दीन के अनुसार, उसके आचरण. और आदतें नबी सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम के आचरण से मेल खाती होंगी । वह हर मामले में नबी सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम को अपने लिए आदर्श बनाएगा और उसकी पैरवी करेगा ।"

(अल-फ़तावा अल-सादिया)

एकेश्वरवाद का विशुद्ध इस्लामी रंग ज़ाहिर व बातिन (अंतर्मन व वाह्य आचरण) दोनों पर छाया हुआ है जिसने दोनों कों अपने घेरे में ले रखा है । हृदय से मानने का मतलब यह है कि उनका इलाह (अल्लाह) पर पूर्ण विश्वास हो उससे भयभीत हो, उसी से प्रेम करे, उसी से आशाएं बांधे, उसी की इच्छा को अपनी इच्छा बना ले । अल-सादी इसकी और व्याख्या करते हुए लिखते हैं–

"इबादत की रूह यह है कि बन्दा अल्लाह की आज्ञापालन करे उससे प्रेम करे, यही इबादत की आत्मा और हासिल है । इन दोनों का होना ज़रूरी है अगर यह चीज़ें नहीं हैं या इनमें से कोई एक भी नहीं है तो मानो इबादत आत्माविहीन है इसमें जान ही नहीं है । अल्लाह को खुश करने के लिए उसकी आज्ञाओं का पालन करना ही इबादत की हक़ीक़त है, यह चीज़ उस वक़्त हासिल हो सकती है जब बन्दा पूरी तरह समर्पण के साथ ख़ुदा के बताए तरीक़े से इबादत करे । यह भाव दूसरे सभी भाव पर ग़ालिब रहे ।"

(तौहीद अल-उलूहिया, मुहम्मद अल-हम्माद)

ऊपर जो व्याख्या गुज़र चुकी हैं उनसे कम से कम यह तो स्पष्ट हो चुका है कि इबादत का अस्ल मक़सद अल्लाह पर ईमान है, इसके कुछ तक़ाज़े हैं इनकी जानकारी भी ज़रूरी है । जीवन के अनगिनत क्षेत्र हैं, इनमें सभी क्षेत्र को मौला की मर्ज़ी या ईश्वरीय इच्छानुरूप आज्ञापालन होना चाहिए । या दूसरे शब्दों में इन क्षेत्रों को भी अल्लाह के लिए समर्पित होना चाहिए जब तक यह न हो ईमान पूर्ण नहीं हो सकता । पूरी ज़िन्दगी में जब तक इनका अल्लाह का आज्ञाकारी नहीं बन जाता या जब तक वह अपनी पूरी ज़िन्दगी अल्लाह के सुपुर्द नहीं कर देता उसे ईमान के आनंद व मिठास का एहसास ही नहीं हो सकता, इसको समझना ज़रूरी है ।

सबसे पहले यह समझने की ज़रूरत है कि सभी तरह की बन्दगी का उद्देश्य ईश्वर की प्रसन्नता की प्राप्ति होनी चाहिए अर्थात यह कि हमारी नमाज़ें, हमारी क़ुरबानियां, हमारे रोज़े, हमारा हज, ज़कात और दान व ख़ैरात आदि विशुद्ध रूप से अल्लाह को प्रसन्न करने के लिए होना चाहिए, उनकी कोई दूसरी वजह या मक़सद नहीं होनी चाहिए और इसमें किसी और चीज़ का अंश तक नहीं होना चाहिए अगर कोई नमाज़ किसी को दिखाने के लिए पढ़ता है तो मानो वह अल्लाह को नहीं, बल्कि उस शख़्स को खुश करने के लिए पढ़ रहा है इसलिए उसका यह कर्म इबादत

में शामिल नहीं किया जाएगा, अल्लाह के रसूल (सल्ल॰) का फ़रमान है–"नमाज़ इबादत का मग़्ज़ (मूल तत्व) है।"
(अबू-दाऊद, तिरमिज़ी, नसाई)

दूसरी बात यह समझने की है कि ताक़त व क़ुव्वत का स्रोत अल्लाह है, अर्थात अस्ल सत्ता उसके पास है, इसलिए आदेश उसका चलना चाहिए, पैरवी सिर्फ़ और सिर्फ़ उसी की होनी चाहिए। अल्लाह केवल स्रष्टा ही नहीं मालिक और हाकिम भी है, हिदायत देने और हुक्म चलाने का हक़ भी सिर्फ़ और सिर्फ़ उसी को है, क़ानून बनाने का अधिकार भी उसी को होना चाहिए जैसा कि क़ुरआन का स्पष्ट और दो टूक एलान है–

"शासन का अधिकार अल्लाह के सिवा किसी के लिए नहीं है, उसका हुक्म है ख़ुद उसके सिवा तुम किसी की बन्दगी न करो, यही सच्ची और सीधा जीवन व्यवस्था है।
(यूसुफ़ : 40)

अल्लाह के आदेशों को नज़रअंदाज़ करना या जान बूझकर उसके हुक्म पर किसी और के हुक्म को वरीयता देना यह प्रमाणित करता है कि इन्सान ने अपने आपको पूर्ण रूप से अल्लाह के हवाले नहीं किया है, अभी वह उसका सच्चा आज्ञाकारी नहीं बना है। दूसरे शब्दों में वह अल्लाह की शुद्ध भक्ति नहीं कर रहा है। अल्लाह ने अपनी किताब के माध्यम से हमें चेतावनी दी है कि पिछली क़ौमों ने भी यही भूल की थी क़ुरआन की गवाही मौजूद है–"(यहूदी व ईसाई) ने अपने धर्मज्ञाताओं व फ़क़ीर और संसार त्यागी संतों को अल्लाह के सिवा अपना प्रभु बना लिया है और इस प्रकार मसीह इब्ने मरयम को भी। हालांकि उनको एक पूज्य के सिवा किसी की बन्दगी करने का आदेश नहीं दिया गया था। वह जिसके सिवा कोई बन्दगी का अधिकारी नहीं, पाक है वह उन शिर्क (बहुदेववाद) संबंधी बातों से जो ये लोग करते हैं।"
(अत-तौबा: 31)

तीसरी बात यह है कि ईमान बिल्लाह (अल्लाह पर ईमान) का तक़ाज़ा यह भी है कि इन्सान का प्रेम, घृणा, उसकी वफ़ादारी और बेज़ारी उसकी पसन्द और नापसन्द हर चीज़ को अल्लाह की मर्ज़ी के अधीन होना चाहिए, ऐसी कैफ़ियत उस वक़्त पैदा हो सकती है जब ईमान बिल्लाह (अल्लाह पर ईमान) दिल व दिमाग़ में पूरी तरह बैठ जाए। लेकिन यह कहना जितना आसान है व्यवहार में इसे लाना उतना ही कठिन है। यही तो मानो ईमान की पूर्णता है कि अल्लाह की मुहब्बत दूसरी सभी मुहब्बतों पर ग़ालिब आ जाए। जब इन्सान इस लक्ष्य को पा लेता है तो मौला की मर्ज़ी ही बन्दे की मर्ज़ी हो जाती है, इन्सानी संबंधों में भी यही कैफ़ियत कई बार पायी जाती है, मगर आक़ा व मालिक और बन्दे अर्थात अब्द व माबूद (उपास्य व उपासक) के बीच संबंध में तो यह दशा अपने चरम में वांछित है अर्थात ईश्वर की पसन्द बन्दे की पसन्द हो जानी चाहिए। अगर मालिक किसी चीज़ के बारे में यह कह दे कि वह उसे पसन्द है तो बन्दे को भी उसे पसन्दीदा क़रार दे देना चाहिए। चाहे साधारण स्थिति में वह चीज़ उसके लिए जायज़ वह हलाल ही क्यों न हो, लेकिन जैसे ही उसको यह आदेश मिले उसी समय वह अपने लिए उसको नाजायज़ बना ले जब तक कि कोई दूसरा आदेश उसे न मिल जाए। इसी में उसकी परीक्षा है। उदाहरणस्वरूप अल्लाह/मालिक का यह आदेश हो कि पाकी व सफ़ाई, निश्छलता, परहेज़गारी और सदक़ा व ख़ैरात (दान) उसे पसन्द हैं तो बन्दे के नज़दीक भी उन्हें पसन्दीदा बन जाना चाहिए। इसी तरह उसका अगर यह फ़रमान है कि शिर्क (बहुदेववाद), शराब, समलैंगिकता, बलात्कार, हरामकारी जैसे काम उसके निकट अत्यधिक अप्रिय हैं तो बन्दे को भी बिना झिझक इससे दूर हो जाना चाहिए। यह समझकर उनसे दूर हो जाना चाहिए कि उसके मालिक की प्रसन्नता इसी में है। यही अल्लाह पर ईमान है।

हालांकि यह ईमान शुद्ध एकेश्वरवाद का अभिन्न अंग है लेकिन आस्था और व्यवहार में बड़ा अन्तर पाया जाता है अर्थात यह कि जिन चीज़ों पर ईमान रखने की घोषणा की जाती है इस पर पूरी तरह अमल नहीं हो पाता है। हालांकि आदर्श जीवन के लिए यह ज़रूरी है और धर्म की पूर्णता इसी प्रकार होती है। यह एक बड़ी कमज़ोरी है। इमाम इब्ने तैमिया इस सिलसिले में कहते हैं–

"यह चीज़ हर तरह के सन्देहों से परे है कि एक अल्लाह की उपासना (बहुदेववाद की मिलावट के बिना) इन्सानी ज़रूरत है, ऐसी ज़रूरत कि इसका कोई दूसरा उदाहरण प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। यह ऐसी ज़रूरत है जैसे खाना-पीना, मगर इन दोनों हालतों में अन्तर भी पाया जाता है। इन्सान के पास दो ही चीज़ें वास्तविक हैं, रूह (आत्मा) और क़ल्ब (हृदय), आत्मा में बढ़ोत्तरी और हृदय की शुद्धता अल्लाह से जुड़े बिना संभव नहीं है। अल्लाह की याद में जो आनन्द है वह किसी और चीज़ से हासिल नहीं हो सकती, इसमें कोई सन्देह नहीं है कि इन्सान धीरे-

धीरे अपने रब की ओर बढ़ रहा है । उससे मुलाक़ात यक़ीनी है । अल्लाह से मुलाक़ात में जो ख़ुशी, आनंद और मिठास नसीब होता है दुनिया में किसी और चीज़ के मिलने से इतनी ख़ुशी नहीं मिलती । अगर मिल भी जाए तो उसे स्थायित्व हासिल नहीं होता है । यह बदलती रहती है । एक चीज़ से दूसरी चीज़ में जाती रहती है । वह भी थोड़े-थोड़े समय तक ही बाक़ी रहती है । कई बार ऐसा भी होता है कि इन्सान जिस चीज़ में मन लगाता है वह उसे बिल्कुल ख़ुशी नहीं देती, कभी उससे उसे नुक़सान भी पहुंचता है । कम या ज़्यादा, लेकिन अल्लाह का मामला इन सबसे बिल्कुल अलग है । अल्लाह से उम्मीदें बांधने में किसी प्रकार का कोई नुक़सान या ख़राबी नहीं है । वह हमेशा इन्सान के साथ होता है जो कोई अल्लाह को छोड़कर किसी और की इबादत करता है तो उसे जान लेना चाहिए कि तबाही व बरबादी और नुक़सान उसके लिए निश्चित हो चुका है । अगर किसी को यह महसूस होता है कि ऐसा करने से उसे आनंद मिल रहा है तो वह बिल्कुल ग़लत है, यह ज़हर खाने से अधिक घातक है ।''

(संग्रह फ़तावा शैख़ुल इस्लाम, इमाम इब्ने तैमिया)

यह बताने की अब कोई ज़रूरत बाक़ी नहीं रह गयी है कि एक अल्लाह को सृष्टि का स्रष्टा मानने का क्या मतलब है अलबत्ता इसकी पुन: चर्चा ज़रूरी मालूम होती है कि केवल मानना ज़रूरी नहीं है, इतिहास यह बताता है कि लोगों ने इसको पर्याप्त समझा है हालांकि केवल मानना ज़रूरी नहीं है, बल्कि इसको मानने का प्रमाण प्रस्तुत करना भी इतना ही ज़रूरी है जितना कि मानना । दुनिया को यह मालूम भी होना चाहिए कि इन्सान जिसका दावा कर रहा है इसमें वह निश्छल है और यह अनुपालन के बिना संभव नहीं है, मानने का प्रमाण प्रस्तुत करके अस्ल में वह यह बता देता है कि केवल और केवल अल्लाह ही इबादत और उपासना का मुस्तहिक़ है । अल्लाह पर ईमान के एलान की सच्चाई उसी वक़्त ज़ाहिर होगी । अब तक की बहस का सार यह है कि अल्लाह और उसकी बड़ाई इसकी मांग करता है कि उनकी बड़ाई बयान की जाए और उसकी इबादत व उपासना की जाए । उसके गुणों को सत्य मानने की मांग है कि उसी की इबादत की जाए किसी और को पूज्य न माना जाए न उसकी पूजा व उपासना की जाए । इसके अलावा हर तरह के माबूदों (उपास्यों) का इन्कार कर दिया जाए, क्योंकि सारे माबूद बातिल (असत्य) हैं ।

इस दुनिया में इतनी सारी निशानियां मौजूद हैं कि इन पर सोच-विचार अल्लाह के वजूद को साबित करता है । जितना इन पर ग़ौर किया जाएगा अल्लाह का मौजूद होना खुलता चला जाएगा । इन पर ग़ौर व फ़िक्र हमें यह बताता है कि वह हस्ती एक ही होनी चाहिए, एक से ज़्यादा ख़ुदा होना न अक़्ल से साबित होता है, न वह्य (ईशप्रकाशना) इसकी गवाही देती है । शिर्क (बहुदेववाद) अस्ल में तौहीद (एकेश्वरवाद) का इन्कार है जो एक ऐसा गुनाह है जिसकी ख़राबी बिल्कुल स्पष्ट है । यह इतना बड़ा गुनाह है कि अगर कोई व्यक्ति इसी हालत में मर जाए तो उसका गुनाह माफ़ नहीं किया जाएगा जैसा कि क़ुरआन की गवाही है–

''अल्लाह बस साझीदार बनाने को ही क्षमा नहीं करता, इसके सिवा दूसरे जितने पाप हैं वह जिनके लिए चाहता है क्षमा कर देता है । अल्लाह के साथ जिसने किसी और को साझीदार ठहराया उसने तो बहुत ही बड़ा झूठ रचा और घोर पाप की बात की ।'' (अन-निसा : 48)

इस सूरह में आगे एक स्थान पर यह कहा गया है–''अल्लाह के यहां बस केवल शिर्क (अनेकेश्वरवाद) ही को क्षमा नहीं है, इसके सिवा और सब कुछ क्षमा हो सकता है जिसे वह क्षमा करना चाहे । जिसने अल्लाह के साथ किसी को साझी ठहराया वह तो गुमराही में बहुत दूर निकल गया ।'' (अन-निसा : 116)

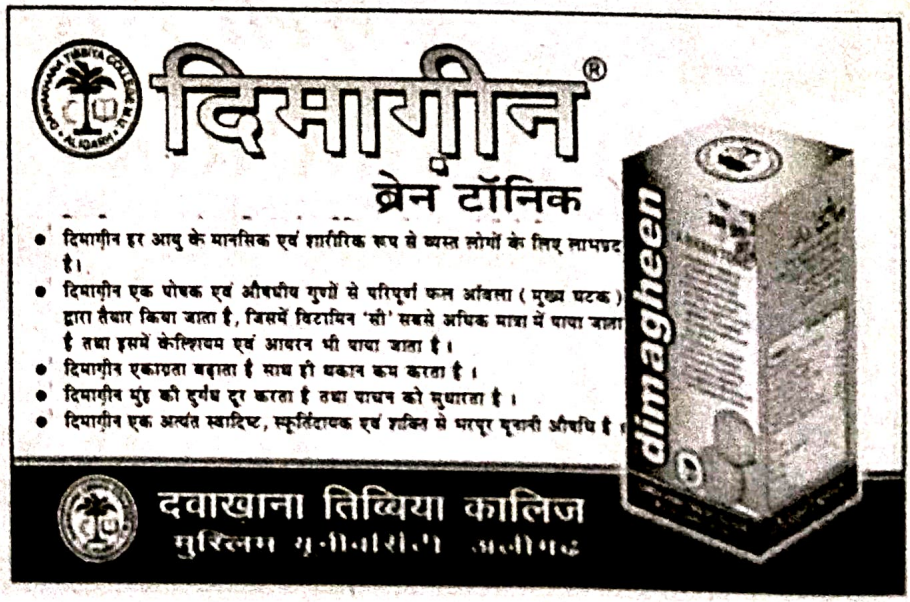

हज़रत अबू उसामा (रज़ि०) से उल्लिखित है कि अल्लाह के रसूल (सल्ल०). ने कहा कि 'प्रतापवान और तेजोमय अल्लाह केवल उस कर्म को स्वीकार करता है, जो केवल उसी के लिए हो और जिसके द्वारा उसकी प्रसन्नता चाही गयी हो ।'' (अबू दाऊद, नसई

A Well Wisher

DARBHANGA (BIHAR)

पैग़म्बर (सल्ल०) के जीवन आचरण में समस्याओं का समाधान

■ डॉ० ज़फ़रुल्लाह बेग

आज की दुनिया विभिन्न प्रकार की समस्याओं से जूझ रही है। ये समस्याएं अत्यन्त जटिल एवं कठिन हैं। राजनैतिक, आर्थिक, आन्तरिक एवं बाह्य समस्याओं के साथ-साथ अन्तर्राष्ट्रीय समस्याएं हर देश एवं राष्ट्र के सामने हैं। सभ्यता एवं संस्कृति की उन्नति, विज्ञान एवं टेक्नॉलोजी के विकास ने इन समस्याओं को जहां एक ओर महत्वपूर्ण बना दिया है, वहीं इनको जटिल से जटिलतम भी कर दिया है। समस्याएं होना अपने आपमें कोई नई बात नहीं। इतिहास के हर काल में देशों एवं राष्ट्रों को इन आन्तरिक एवं बाह्य समस्याओं का सामना रहा है, परन्तु ध्यान देने योग्य बात यह है कि एक दूसरे से जुड़ी तथा उलझी हुई इन समस्याओं का निदान कैसे हो और वर्तमान समय की अपेक्षाओं का किस प्रकार सामना किया जाए?

समस्याएं मानव के सामाजिक जीवन का एक अंग हैं, रही हैं और रहेंगी। उनका जीवन से चोली-दामन का साथ है। वर्तमान समय में उनका स्वरूप बदलने के साथ-साथ उनका महत्व भी बढ़ गया है। अधिकांश समस्याएं मुस्लिम क़ौमों को विरासत में मिलीं, जबकि वे विदेशी वर्चस्व के अधीन थीं। विदेशी शक्तियों ने न केवल उनके प्राकृतिक संसाधनों को लूटा, बल्कि उनको ऐसी राजनैतिक, आर्थिक तथा आन्तरिक समस्याओं से दो-चार कर दिया जिनको हल करना आसान न था। आज अधिकांश मुस्लिम देश आर्थिक पिछड़ेपन और निर्धनता का शिकार हैं, क्योंकि एक तो वे स्वयं अपना भाग्य बदलने पर तैयार नहीं, दूसरे, बाहरी दबाव के प्रभाव में उनकी क्रिया शक्ति नाकारा हो चुकी है। क़ौमों की इस दुर्दशा को मुस्लिम देश विभिन्न राजनैतिक एवं आर्थिक प्रयोग करके अपने लिए नयी राहें निकाल रहे हैं। विचारों की इस रंगा-रंगी ने उन्हें उलझाकर कर रख दिया है। इस विचारधारा के हमले से वे कभी एक ओर निगाह दौड़ाते हैं और कभी दूसरी ओर देखते हैं। मगर उन्हें हर ओर अंधेरा दिखायी पड़ता है। तेज़ी से आगे बढ़ता हुआ वैज्ञानिक विकास, सूचना प्रौद्योगिकी की धूम-धाम और पश्चिमी क़ौमों के ज़ोरदार प्रोपेगंडों ने उनको चकित कर दिया है। उनकी निगाहें चकाचौंध हो गयी हैं और स्नायु थक से गये हैं। यह एक सच्चाई है कि मुसलमान उस समय तक गौरवपूर्ण मंज़िल हासिल नहीं कर सकते, जब तक वे इस्लाम धर्म के अनमिट क़ानूनों पर अमल न कर रहे हों, और इस्लाम के पैग़म्बर (सल्ल०) की सीरत (जीवन आचरण) के अनुसार अपने जीवन को न ढालें।

जीवन कितनी ही सुखद एवं दुखद परिस्थितियों से गुज़रे, समय कितना ही परिवर्तित हो, विज्ञान एवं टेक्नॉलोजी कितनी ही तरक़्क़ी करें, इन्सान ज्ञान के कितने ही कीर्तिमान स्थापित कर ले, मुहम्मद (सल्ल०) के अनमिट नक़्श उसको मंज़िल का रास्ता बताते रहेंगे। उसको इस्लाम ही से रनुमाई मिलेगी।

वर्तमान सदी में मुस्लिम जगत् जिस आन्तरिक कलह, दूसरों के अत्याचार तथा ग़ैर-मुस्लिम क़ौमों के आक्रामक रवैये का शिकार है, इसका उदाहरण इतिहास के किसी युग में नहीं मिलता। पश्चिमी क़ौमों ने इस्लाम को बदनाम करने और नबी (सल्ल०) के व्यक्तित्व पर अज्ञानता एवं पक्षपातपूर्ण आपत्तियों का जो ढेर लगा रखा है, वह उनके आन्तरिक कपट, इस्लाम से नफ़रत और पक्षपात का द्योतक है। उनकी ओर से कभी इस्लाम और उसके पैग़म्बर (सल्ल०) के बारे में अनुचित और अनर्गल आपत्तियां की जाती हैं और कभी इस्लाम का विद्वेषपूर्ण अध्ययन करनेवाले प्राच्यविदों से ऐसी किताबें लिखायी जाती हैं, जिनसे इस्लाम की महान विभूतियों का चरित्र हनन हो। इस निन्दनीय अभियान में स्पष्ट ऐतिहासिक तथ्यों को तोड़ा-मरोड़ा जाता है ताकि मुसलमानों को दुख पहुंचे। इस सम्बन्ध में एक नयी चाल उन कार्टूनों का प्रसार है जो केवल इस्लाम के विरुद्ध नफ़रत पैदा करने

के अभियान का एक अंग हैं, तो दूसरी ओर यह मुसलमानों के दिलों से पैग़म्बर मुहम्मद (सल्ल॰) के प्रति सम्मान को कम करने का एक कुप्रयास भी है। ग़ैर-मुस्लिम दुनिया इन तरीक़ों से अपने देशों के आम लोगों को इस्लाम दुश्मनी पर उकसाती है। जेनेवा में मस्जिद के ऊंचे मीनार बनाने पर प्रतिबन्ध लगाया गया, हालांकि चर्चों के ऊंचे मीनार उसी तरह क़ायम हैं। मुस्लिम महिलाओं के हिजाब पर पाबन्दी पर आग्रह और उन्हें आज़ादी के नाम पर गुमराह करने की चालें पश्चिम की स्थायी नीति बन चुकी हैं।

पश्चिमी जगत् की ओर से एक तो सांस्कृतिक, आर्थिक एवं राजनैतिक रूप से हावी होने के प्रयास जारी हैं, तो दूसरी ओर इस्लाम को एक आतंकवादी तथा उग्रवादी धर्म के रूप में पेश किया जाता है, जो सरासर ग़लत और अनुचित है। इस्लाम अम्न और शान्ति की शिक्षा देता है। वह न्याय तथा समता क़ायम करने का ध्वजावाहक है। इस्लाम पर आपत्तियां करनेवाले यूरोपीय राष्ट्रों के दिलों में इन्सानी जानों, धार्मिक मूल्यों, सामाजिक अपेक्षाओं तथा मुसलमानों की आज़ादी का कोई सम्मान नहीं, मानवाधिकारों के लिए कोई संवेदना नहीं और लोगों के बेझिझक क़त्लेआम पर ज़मीर की कोई चुभन नहीं। इस्लाम ऐसे युद्ध तथा जुल्म एवं बर्बरता की अनुमति नहीं देता। वह इन्सानों की जान, माल, मान-सम्मान को सुरक्षा प्रदान करता है तथा अम्न-शान्ति से जीवन बिताना सिखाता है। वह ताक़त के अनुचित प्रयोग और अंधाधुंध इस्तेमाल का कट्टर विरोधी है। पश्चिमी राष्ट्र एक ओर तो आधुनिक हथियारों से लैस सभ्यता एवं संस्कृति, देश की अखण्डता और आज़ादी पर हमले कर रही हैं, तो दूसरी ओर भ्रामक प्रोपेगंडा करके इस्लाम एवं इस्लामी मूल्यों को मिटाने पर तुली हुई हैं। यह दो तरफ़ा हमला दिन पर दिन ज़ोर पकड़ रहा है जिसको रोकने के लिए मुसलमानों को सामूहिक रूप से एक रणनीति बनानी चाहिए।

पश्चिमी जगत् में ईसाई और यहूदी बुद्धिजीवी इस्लाम विरोधी नीतियां बनाते हैं और फिर उनको पूरा करने के लिए हर अस्त्र का प्रयोग किया जाता है। हर इस्लामी देश एक प्रकार की पश्चिमी आक्रामकता और आन्तरिक एवं बाह्य राजनैतिक तथा आर्थिक समस्याओं से जूझ रहा है। इसलिए इनको मिलकर पश्चिम के हमलों का बचाव करना चाहिए। सामूहिकता, एकता तथा संयुक्त रणनीति जो इस्लामी मूल्यों पर निर्मित और पैग़म्बर मुहम्मद (सल्ल॰) की शिक्षाओं की रौशनी में तैयार की गयी हो, उनका आख़िरी ठिकाना है और इसी में उनकी नजात का दारोमदार है।

संक्षेप में यह कहा जा सकता है–

(1) निरन्तर संघर्ष और कर्म के द्वारा अपनी मंज़िल तय करें। आपसी बिगाड़ और बिखराव से दूर रहें।

(2) नैतिक पतन एवं पथभ्रष्टता सामाजिक मूल्यों को खोखला कर रही है। इसके कारण दूसरी आर्थिक, सामाजिक तथा राजनैतिक समस्याएं जन्म ले रही हैं, जो पूरे मानव जीवन को अपनी चपेट में ले चुकी हैं। पश्चिम का बेलगाम भटकाव तथा यौन स्वच्छंदता के प्रभाव मुस्लिम समाज के अन्दर भी प्रवेश कर रहे हैं। जब तक इस रेले को रोकने के लिए नवजवानों का चरित्र निर्माण न होगा, वे मानसिक उहापोह का शिकार रहेंगे। इसी लिए उनके नैतिक आचरण की ओर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। अक़ीदों और इबादतों (आस्था एवं उपासना पद्धति) के बाद नैतिक आचरण का बहुत महत्व है। इससे अभिप्रेत न केवल लोगों के साथ सद्व्यवहार करना है, बल्कि उनके हक़ अदा करना भी शामिल है।

(3) वर्तमान समय की महंगाई, मौलिक आवश्यकता की वस्तुओं की कमी और औद्योगिक पैदावार के तरीक़ों ने इन्सान को रुपये की भूख में मुब्तला कर दिया है, जिससे भ्रष्टाचार के दरवाज़े खुल गये हैं, जिनमें इन्सान सुगमता से प्रविष्ट हो रहे हैं। वे सामाजिक, राष्ट्रीय, धार्मिक सिद्धान्तों एवं नियमों को ताक़ पर रखकर भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। इसके कारण एक वर्ग संपन्न तो दूसरा अत्यन्त दयनीय स्थिति में है। इस स्थिति को दूर करना आवश्यक है ताकि रोज़ी कमाने के जाइज़ ज़रिये पैदा किये जाएं और दौलत का वितरण न्यायपूर्ण ढंग से हो।

(4) हम इस्लामी क़ानूनों का आम तौर पर दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। एक तो वे क़ानून हैं जो हम ख़ुद अपने ऊपर लागू करने की क्षमता रखते हैं, जैसे चोरी न करो, जुल्म न करो, दूसरों के ख़िलाफ़ झूठे मुक़द्दमे न बनाओ, स्त्रियों को उनके जाइज़ हक़ दो, अनाथों से अच्छा बरताव करो। ऐसे और बहुत से इस्लामी आदेश हैं जिनपर व्यक्तिगत रूप से अमल करके हम समाज में आपसी सुधार और भाईचारे को परवान चढ़ा सकते हैं। दूसरे वे क़ानून हैं जो सरकार की ओर से लागू होते हैं, जैसे शराबख़ोरी, जुआ, हत्या तथा चोरी आदि पर सज़ाएं, क़ानून-व्यवस्था तथा

क़ानून का लागू होना आदि। अगर हम अपना सुधार करें तथा सरकार अपनी भूमिका निभाए जिसके लिए इस्लामी क़ानून और मुहम्मद (सल्ल॰) के आदर्श जीवन से मार्गदर्शन प्राप्त किया जाए तो समाज उन्नति कर सकता है। मुहम्मद (सल्ल॰) का आदर्श जीवन एक रौशन मीनार है। इससे रौशनी हासिल करना हमारा काम है। अगर हम खुद इस प्रकाशपुंज से रौशनी प्राप्त नहीं करते तो यह हमारी ग़लती है जिसकी हम सज़ा भोग रहे हैं।

इस्लाम के मूलस्रोतों अर्थात् कुरआन एवं हदीस पर अगर निगाह डाली जाए जो उसकी शिक्षाएं किसी विशेष क्षेत्र, जाति के लिए नहीं, बल्कि पूरी मानवता के लिए हैं। ये किसी विशेष युग की आवश्यकताओं को पूरा नहीं करतीं, बल्कि वे तमाम युगों के लिए हैं। कुरआन आसमान से उतारी जानेवाला अन्तिम ग्रन्थ है और पैग़म्बर मुहम्मद (सल्ल॰) इन्सानों के आख़िरी पैग़म्बर हैं। कुरआन में पिछले आसमानी धर्मों की सच्ची और सुधारवादी शिक्षओं को बरक़रार रखा गया तथा उनकी कुरीतियों और मनगढ़न्त रीतियों में सुधार किया गया। शरीअत (इस्लामी धर्म-विधान) पूरी मानवता को एक सभ्यता से परिचित कराना तथा एक समाज में पिरोना चाहती है और उसका मूल स्रोत कुरआन मजीद और पैग़म्बर (सल्ल॰) का व्यवहारिक आचरण (सुन्नत) है। शरीअत के आदेश मानव मन के लिए बोझ नहीं हैं। उनमें आसानी है। उनमें स्पष्ट शिक्षाएं हैं, जिनमें कोई उलझाव नहीं। शरीअत पहले क़दम पर ही मानव मन का सुधार करती है। मन को पाक साफ़ करने के बाद शरीअत के आदेश बोझ नहीं, बल्कि सुविधाजनक लगते हैं। कुरआन मजीद शरीअत के आदेश बयान करते हुए जो शैली अपनाता है उसका एक उदाहरण देखिए–

"और अनाथ के माल के निकट भी मत जाओ, सिवाय ऐसे तरीक़े के जो उत्तम हो, यहां तक कि वे वयस्क हो जाएं, और नाप-तौल में इन्साफ़ करो, हम हर व्यक्ति पर ज़िम्मेदारी का उतना ही बोझ डालते हैं, जितना कि वह उठा सकता है और जब बात कहो तो इन्साफ़ की कहो, चाहे मामला अपने रिश्तेदार ही का क्यों न हो। और अल्लाह को दिये हुए वचन का पालन करो। इन बातों का आदेश अल्लाह ने तुम्हें दिया है। शायद कि तुम नसीहत क़बूल करो। उसका निर्देश यह है कि यही मेरा सीधा रास्ता है। अतः तुम उसपर चलो और दूसरे रास्तों पर न चलो वह इसलिए कि वे रास्ते से हटाकर तुम्हें भटका देंगे। यह है वह मार्गदर्शन जो तुम्हारे रब ने किया है। शायद कि तुम पथभ्रष्टता से बचो।" (कुरआन, 6:152-153)

यदि आप इस आयत पर ग़ौर करें तो मालूम होता है कि शरीअत मानव प्रकृति के कितने अनुकूल है। इन्सान की बुद्धि स्वाभाविक रूप से उसका समर्थन करती है। शरीअत ने बुद्धि को कहीं तुच्छ एवं हेय नहीं समझा, बल्कि उसे अल्लाह की बेमिसाल निशानी ठहराया है। हमें इस बात का आभास है कि समय की तीव्र गति ने सदियों पहले के समाज में एक मौलिक परिवर्तन ला दिया है, सादा जीवन एक जटिल रूप धारण कर चुका है। अर्थशास्त्र का क्षेत्र और उसके मानदण्ड हर पल बदल रहे हैं। नित नये प्रश्नों का हमें सामना है। चिकित्सा और इंजीनियरिंग की दुनिया में एक क्रान्ति आ चुकी है। विज्ञान की खोजों, आविष्कारों ने जीवन की गति को न केवल तेज़ कर दिया है, बल्कि उसका स्वभाव और नक़्शा भी बदलकर रख दिया है। लेकिन इस परिवर्तन ने शरीअत के निश्चित आदेशों की रौशनी में व्यापकता पैदा कर दी है। प्रकृति जितने रूप धारण करेगी, शरीअत उसके हर रूप और पहलू में मार्गदर्शन करेगी।

पश्चिमी राष्ट्र तथा उनके क़ानूनविद् अगर इन्साफ़ की निगाहों से देखें तो इस्लामी शरीअत की दौलत से वे भी लाभान्वित हो सकते हैं। इस्लामी शरीअत ने पहले तो रोमियों और सासानियों के समाजों को प्रभावित किया। फिर पहली सदी हिजरी के अन्त में हस्पानिया के रास्ते फ़्रांसीसी क़ानूनों पर अपने असरात छोड़े और यों धीरे-धीरे पूरा पश्चिम इस्लामी शरीअत से लाभान्वित हुआ। सरकार और चर्च के बीच जो खाई पैदा हो गयी थी, उससे पश्चिमी राज्य नास्तिकता एवं भौतिकता के रास्ते पर सरपट दौड़ी चली गयीं। परिणामस्वरूप सेक्युलरिज़्म उनकी आख़िरी मंज़िल ठहरा, जिसके शिकंजे में वे नैतिक मूल्यों से दूर और रूहानी प्रभावों से वंचित होते चले गये। पश्चिमी समाजों में बहुत से सकारात्मक मूल्य होने के बावजूद वे वह्य (दैवी प्रकाशना) और इल्हाम (दैवी इशारा) के महत्व को न जानने की वजह से एक पाशविक समाज में ढलते चले जा रहे हैं।

शरीअत एक ऐसा जीवन विधान है जो वह्य के द्वारा इन्सानों को दिया गया, जिसकी व्याख्या का अधिकार पैग़म्बर मुहम्मद (सल्ल॰) को दिया गया, जो अब शरीअत की शब्दावली में 'सुन्नत' कहलाता है। यह शरीअत व्यक्तिगत,

सामूहिक, सामाजिक, आर्थिक, न्यायिक, राजनैतिक तथा अन्तर्राष्ट्रीय समस्याओं एवं हालात के बारे में निर्णायक पक्ष पेश करती है। चूंकि यह सिद्धान्त प्रकृति के अनुकूल है, इसलिए इसमें स्वाभाविक लचक और विकास का पहलू दिखायी देगा। अगर आप व्यवहार में इस्लाम के दीवानी क़ानून को देखें और फ़क़ीहों (इस्लामी धर्मशास्त्रियों) के काम पर निगाह दौड़ाएं तो शरीअत की व्यापकता का आप भली-भांति अनुमान लगा सकते हैं।

पश्चिमी क़ानून केवल अपराधों की दुनिया के बारे में बात करते हैं। उनके यहां राज्यकीय मामलों के कुछ दायरों में दूसरे ज़ाब्ते भी दिखायी देते हैं। मगर शरीअत, व्यक्तिगत, सामूहिक और राज्यकीय तमाम दायरों को समेटे हुए है। जीवन की हर गतिविध और इन्सान की हर क्रिया, सांसारिक हो या पारलौकिक, एक लड़ी में पिरोयी हुई दिखायी देती है। यह दीवनी क़ानून हों या फ़ौजदारी, व्यापारिक नियम हों या औद्योगिक, सामाजिक सिद्धान्त हों या नागरिक जीवन के, संवैधानिक मामले हों या अन्तर्राष्ट्रीय, पति-पत्नी के अधिकार एवं ज़िम्मेदारियां हों या मां-बाप के ताल्लुक़ात, पड़ोसियों की समस्याएं हों या नागरिक नियम, शरीअत इन सबके बारे में स्थायी क़ानून पेश करती है। नैतिक क़ानून भी इसी व्यवस्था का एक स्थायी अंग हैं।

इस्लामी क़ानून के बारे में गोल्ड ज़िहर (Gold Zhiher), जोसेफ़ शाख़्त (Joseph Schacht) और अन्य दुराग्रही प्राच्यविदों की आपत्तियां कि यह रोमी क़ानून से लिये गये या उनकी नक़्ल हैं, एक सतही सोच के आदमी का दावा हो सकता है। परन्तु तुलनात्मक अध्ययन किया जाए या सच्चाई का पता लगाया जाए तो ऐसे आरोप सही साबित नहीं होते। अस्ल मसला यह है कि पश्चिम का सारा क़ानूनी और संवैधानिक ढांचा जनता की सरकार और जनप्रतिनिधि के विचारों पर खड़ा है। जबकि शरीअत के नियम तो अल्लाह तआला के प्रभुत्व और उसके सर्वोपरि होने को स्वीकार करते हैं और शासकों की हैसियत उस सम्पूर्ण सत्ता के प्रतिनिधि या ख़िलाफ़त पर आधारित होती है। इसलिए सरकार हो या समाज, दोनों शरीअत के अधीन हैं। जिससे वास्तविक क़ानूनी समता जन्म लेती है। इन क़ानूनों में कोई क़ानून भेदभावपूर्ण नहीं है। रंग, नस्ल, भाषा, स्त्री-पुरुष, दास-स्वामी, छोटा-बड़ा, धनी-निर्धन या कोई अन्य कारक इस शरई क़ानून के लागू करने में बाधक नहीं होता। पश्चिमी क़ानून में हराम-हलाल का कोई अन्तर नहीं माना जाता। उनके यहां ब्याज, व्यभिचार, सट्टा, जुआ, शराब, अश्लील नृत्य तथा और न जाने कितनी बुराइयां ऐसी हैं, जिन्हें क़ानून का संरक्षण प्राप्त है।

"जिस क़ानून में समलैंगिकता के लिए तर्क दिये जा रहे हों और क़ानून बनाया जा रहा हो, उसके नैतिक पहलुओं का पाठक स्वयं अनुमान लगा सकते हैं। स्वच्छंद यौन सम्बन्ध और बिना किसी नैतिक एवं सामाजिक बन्धन के शारीरिक सम्बन्धों ने पश्चिम के सामाजिक जीवन को तलपट कर दिया है। उनकी पारिवारिक व्यवस्था टूट-फूट की आख़िरी हदों को छू रही है। पश्चिम की इच्छा है कि वैश्वीकरण द्वारा एक ऐसा विश्व समाज क़ायम कर दिया जाए, जहां किसी प्रकार की नैतिक तथा सामाजिक सीमाएं एवं बन्धन न हों।"

इन तमाम मुश्किलों का हल पैग़म्बर मुहम्मद (सल्ल॰) की जीवनी में मौजूद है, जो हर दौर के तक़ाज़ों का हल पेश करती है और इन्सानों को अंधेरों तथा गुमराहियों से निकालकर रौशनी और तरक़्क़ी का रास्ता दिखाती है।

0291-2658786

HOTEL Crown Plaza

A/C & Non A/C Air Cooled Rooms & Dormitory

Opp. Minerva Centre,
Railway Station Road, Jodhpur-342001 (Raj.)
Cell : 9784856007, 9414110345

½ km from the railway station

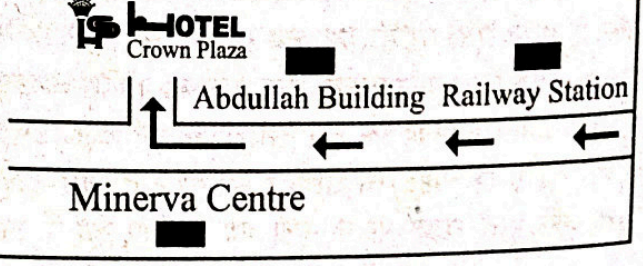

तलाक़ : औरत पर अत्याचार ?

■ ज़ैनुल आबिदीन मंसूरी

सवाल : ''इस्लाम में तलाक़ का प्रावधान है जो व्यक्तिगत स्तर पर पत्नी पर और सामाजिक स्तर पर नारी-जाति पर अत्याचार है । व्यापक क्षेत्र में यह लिंग-समानता (Gender Equality) के भी विरुद्ध है, क्योंकि औरत को तलाक़ देने का हक़ प्राप्त नहीं है, इस प्रकार कुल मिलाकर यह नारी-अधिकार का हनन भी है ।''

जवाब : इस आक्षेप के कई कारण हैं। एक कारण यह है कि 'कुछ तत्वों' की नीति ही इस्लाम के प्रति दुराग्रह, विरोध, और दुष्प्रचार की है। दूसरा कारण यह है कि स्वयं मुस्लिम समाज में कुछ नादान व जाहिल लोग, तलाक़ के इस्लामी प्रावधान को कुरआन की शिक्षाओं तथा नियमों के अनुकूल इस्तेमाल नहीं करते, जिससे कभी-कभी स्त्री पर अत्याचार की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। उनके इस कृत्य से, वे ग़ैर-मुस्लिम लोग, जो नादान मुसलमानों की ग़लती का शिकार हो जाने वाली औरत से सहानुभूति रखते हैं, यह निष्कर्ष निकाल लेते हैं कि यह ग़लती इस्लाम की है, त्रुटि इस्लामी विधान में है।

मुस्लिम समाज में पाये जाने वाले इस व्यावहारिक दोष का एक बड़ा कारक यह भी है कि हमारे देश के मुस्लिम समाज की उठान और संरचना उस 'इस्लामी शासन व्यवस्था' के अन्तर्गत तथा उसके अधीन रहकर नहीं हो रही है (और न ही हो सकती है) जो इस्लाम के अनुयायियों के जीवन के हर क्षेत्र को पूरी व्यापक व समग्र जीवन-व्यवस्था की एक पवित्र तथा न्यायपूर्ण व नैतिक लड़ी में पिरो देता है, जहां न पत्नी पर दुष्ट पति के अत्याचार की गुंजाइश रह जाती है, न उद्दंड व नाफ़रमान पत्नियों द्वारा पतियों के शोषण की गुंजाइश।

(गत कई वर्षों से हमारे देश में पत्नियों के अत्याचार से पीड़ित व प्रताड़ित पतियों के संगठन काम कर रहे हैं तथा जुलाई 2009 में, ऐसे संगठनों के हज़ारों सदस्यों का जमावड़ा राजधानी दिल्ली में हुआ था।

तलाक़-अत्यंत नापसन्दीदा काम

हलाल और जाइज़ (वैध) कामों में सबसे ज़्यादा नापसन्दीदा और अवांछित काम इस्लाम में तलाक़ को माना गया है। दाम्पत्य-सम्बन्ध-विच्छेद (तलाक़) को इस्लाम उस अतिशय परिस्थिति (Extreme situation) में कार्यान्वित होने देता है जब दाम्पत्य सम्बन्ध इतने ज़्यादा ख़राब हो जाएं कि दम्पत्ति, सन्तान, परिवार और समाज के लिए अभिशाप बन जाएं। ऐसे में इस्लाम चाहता है कि पति व पत्नी एक दूसरे से आज़ाद होकर अपनी पसन्द का नया जीवन शुरू कर सकें। अरबी शब्द 'तलाक़' में इसी 'आज़ाद होने' का भाव निहित है। इस्लाम इस बात को गवारा नहीं करता कि पति-पत्नी में आए दिन लड़ाई-झगड़ा, मार-पीट, गाली-गलौज का वातावरण रहे, बच्चे ख़राब हों, उनका भविष्य नष्ट हो, पति-पत्नी एक-दूसरे की हत्या करें/कराएं या आत्महत्या कर लें, पति घर छोड़कर चला जाए या पत्नी को घर से निकाल दे, परिवार अशांति व बदनामी की आग में जलता रहे, लेकिन जैसा कि हमारे भारतीय समाज की दृढ़ व व्यापक परम्परा रही है, दोनों में सम्बन्ध-विच्छेद न हो। इस परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो तलाक़ को 'अत्याचार' कहने वाले लोग स्वयं, इसे पति व पत्नी के लिए, विशेषत: स्त्री के लिए 'वरदान' और 'न्याय' कहेंगे कि वह एक नरक समान जीवन जीने पर मजबूर रहने के और पीड़ा, प्रताड़ना, अत्याचार, घुटन, कुढ़न व अशांति से ग्रस्त रहने के बजाय एक नया, शांतिमय व गौरवपूर्ण जीवन व्यतीत करने के लिए आज़ाद हो गयी। और यही विकल्प पुरुष को भी प्राप्त हो गया।

दो अतियां (Extremes)

हमारे देश में, सेक्युलर क़ानून-व्यवस्था में कुछ समय पूर्व तलाक़ का प्रावधान किये जाने से परे, मूल तथा प्राचीन भारतीय सभ्यता और धार्मिक परम्परा में तलाक़ की गुंजाइश ही नहीं है। दाम्पत्य जीवन चाहे जितना असामान्य, कुण्ठित, समस्याग्रस्त हो जाए, पति-पत्नी के सम्बन्धों में चाहे जितनी कटुता आ जाए, दोनों के लिए दाम्पत्य-सम्बन्ध अभिशाप बनकर रह जाए, यहां तक कि एक-दूसरे के प्रति अत्याचार,

अपमान, अपराध की परिस्थिति भी बन जाए, सम्बन्ध -विच्छेद किसी हाल में भी नहीं हो सकता। औरत के पास, मायके से डोली उठने के बाद, ससुराल से अर्थी उठने के सिवाय कोई विकल्प ही नहीं रहता।

दूसरी तरफ़, पाश्चात्य सभ्यता में तलाक़ देना/लेना (कोर्ट के माध्यम से) इतना सरल और इतना अधिक प्रचलित है कि ज़रा-ज़रा सी बात पर तलाक़ हो जाती है। कच्चे धागे की तरह दाम्पत्य-सम्बन्ध टूट जाते/तोड़ दिये जाते हैं। 'सिंगिल पैरेंट फ़ैमिली' का अभिशाप नन्हे-नन्हे बच्चे भी झेलते हैं और समाज भी झेलता है। पति-पत्नी दाम्पत्य जीवन की गरिमा व महत्व के प्रति संवदेनहीन (Insensitive) होत जा रहे हैं। कुछ लोग तो पति-पत्नी ऐसे बदलते हैं जैसे मकान, लिबास और कारों के मॉडल।

संतुलित, मध्यम मार्ग

इस्लाम, भारतीय मूल-सभ्यता और पाश्चात्य सभ्यता की उपरोक्त दो अतियों (Extremes) के बीच एक संतुलित 'मध्यम मार्ग' अपनाता है। न तलाक़ को वर्जित, अवैध, असम्भव बनाता है, न खेल-खिलवाड़ की तरह आसान। विशेषत: औरत पर, उपरोक्त दोनों अतियों (ज़्यादती) में जो अत्याचार और उसका जो बहुपक्षीय शोषण होता है वही आपत्तिजनक तथा आक्षेप का पात्र है, न कि इस्लाम का, तलाक़ का प्रावधान।

इस्लाम में इस बात का प्रावधान है कि पति, अत्यंत असहनीय परिस्थिति में पत्नी को तलाक़ दे सकता है और स्त्री नियमानुसार विधिवत प्रक्रिया द्वारा पति से तलाक़ प्राप्त कर सकती है। यह प्रक्रिया विस्तार के साथ शरीअत ने निश्चित व निर्धारित कर दी है। अलबत्ता स्त्री को स्वयं तलाक़ देने का अधिकार न देने में इस्लाम ने इस तथ्य का भरपूर ख़याल रखा है कि स्त्री अपने स्वभाव, मनोवृत्ति, मानसिकता व भावुकता में पुरुष से भिन्न बनायी गयी है। उसकी भावनात्मक स्थिति इतनी नाज़ुक होती है कि वह बहुत जल्द अत्यंत भावुक हो उठती है। जिस प्रतिकूल एंवं कठिन व असह्य परिस्थिति में पुरुष आत्मसंयम व आत्म-नियंत्रण द्वारा तलाक़ देने से रुका रहता है, सम्भावना रहती है कि वैसी ही परिस्थिति में स्त्री का आत्मबल उसकी भावुकता व क्रोध से हार जाए और वह तलाक़ दे बैठे। इसे पाश्चात्य समान ने सही भी साबित कर दिया है। अपनी पसन्द का चैनल देखने का आग्रह करने वाली पत्नी ने अपनी पसन्द का चैनल देखने पर आग्रह करने वाले पति से रिमोट कंट्रोल न पाकर गुस्से में तलाक़ ले लिया। पति के खर्राटों से रात में नींद न आने पर परेशान और क्रोधित पत्नी ने तलाक़ ले लिया। ब्वॉय-फ्रेंड के साथ मनोरंजन करने पर पति द्वारा एतिराज़ किये जाने पर पत्नी ने भावुक व क्रोधित होकर तलाक़ ले लिया। पति की किसी बात से अत्यधिक कष्ट या उसके किसी व्यवहार से अपमानित महसूस करके या किसी घरेलू झगड़े में भावुक होकर बिना बहुत दूर तक, बहुत आगे की सोचे, (पति द्वारा तलाक़ देने की तुलना में) पत्नी द्वारा तलाक़ दे देना अधिक सम्भावित होता है। इसी वजह से इस्लाम स्त्री को तलाक़ लेने का अधिकार तो देता है, तलाक़ देने का अधिकार नहीं देता। तलाक़ लेने की प्रक्रिया इस्लामी शरीअत कुछ समय तक समझाने-बुझाने (Counselling) की प्रक्रिया जारी रखने के बाद यदि विश्वास हो जाता है कि सम्बन्ध विच्छेद हो जाना ही औरत के लिए भलाई व न्याय का तक़ाज़ा है तो शरीअत उसे तलाक़ दिलाकर पति से आज़ाद करा देती है। इस प्रक्रिया को शरीअत की परिभाषा में 'ख़ुलअ़' कहा जाता है।

तलाक़शुदा औरत के प्रति सहानुभूति

तलाक़ पर आपत्ति करने का एक सकारात्मक कारक भी है कि लोग तलाक़शुदा औरत से सहानुभूति रखते हैं, लेकिन चूंकि वे उसके बारे में इस्लाम की पारिवारिक तथा सामाजिक व्यवस्था को नहीं जानते, इसलिए समझते हैं कि ऐसी अबला, औरत को कोई पूछने वाला, सहारा देने वाला नहीं है इसलिए तलाक़ उसपर साक्षात् अत्याचार, शोषण और अन्याय है। लेकिन सच्ची बात यह है कि इस्लाम उसे बेसहारा , अबला और दयनीय बनाकर नहीं छोड़ता, उसने उसके लिए कई प्रावधान, कई स्तरों पर किये हैं, जैसे-

(1) विवाह के समय ही इस्लाम, पत्नी को पति से स्त्री-धन (महर) दिलाता है। इस धन पर उसके पति या ससुराली नातेदारों का ज़रा भी हक़ नहीं होता, वह स्वयं उसकी मालिक होती है, कठिन व प्रतिकूल परिस्थिति में (जैसे तलाक़ के बाद) यह धन उसका सहारा बनता है।

(2) विवाह के समय या दाम्पत्य जीवन में पति जो कुछ भी धन, गहने, समाग्री, सम्पत्ति पत्नी को देता है, तलाक़ होने पर उससे वापस नहीं ले सकता।

(3) तलाक़ के बाद स्त्री वापस अपने मायके की ज़िम्मेदारी में चली जाती है। वहां माता-पिता या भाइयों पर

उसकी आजीविका तथा भरण-पोषण की ज़िम्मेदरी लागू हो जाती है। वह बेसहारा नहीं रह जाती।

(4) मायके पहुंच कर यदि तलाक़शुदा औरत दूसरा विवाह करना चाहे तो मायके वालों को न सिर्फ़ यह कि उसे इससे रोकने या पुनर्विवाह में रोड़े अटकाने का अधिकार नहीं, बल्कि अनिवार्य रूप से उनका कर्तव्य है कि उसकी पसन्द का रिश्ता ढूंढ़ कर उसकी शादी कराएं और उसका नया घर बसा दें।

(5) औरत का उसके मृत माता-पिता के धन-सम्पत्ति में शरीअत ने निर्धारित हिस्सा रखा है। माता-पिता की छोड़ी हुई दौलत, मकान, जायदाद, फ़ैक्ट्री, कारोबार, ज़मीन कृषि भूमि आदि में उसके हिस्से को क़ुरआन ने 'अल्लाह की सीमाएं' (हुदूदुल्लाह) कहा है जिसके अन्दर न रहनेवालों को हमेशा के लिए नरक में जलने की घोर चेतावनी दी गयी है (4:14)। इसी तरह भाइयों और कुछ अन्य रिश्तेदारों के धन-सम्पत्ति में भी उसे हिस्सा दिया गया है। तलाक़शुदा औरत पुनर्विवाह कर ले तब भी और न करे तब भी वह हिस्से पानी की अधिकारी बनायी गयी है।

(6) सामान्यत: कोई कुंआरा व्यक्ति किसी तलाक़शुदा स्त्री से शादी नहीं करता। इन्सानी प्रकृति के रचयिता ईश्वर ने इसी बात का ख़याल रखते हुए शरीअत में बहु-पत्नीत्व (Polygyny) की गुंजाइश रखी है ताकि तलाक़शुदा (और विधवा) औरतों को लोग दूसरी या (अतिविशिष्ट परिस्थितियों में तीसरी, चौथी) पत्नी बनाकर उनका सहारा बन जाएं।

इतने प्रावधानों के साये में 'तलाक़' औरत के लिए अत्याचार व अभिशाप नहीं बन पाता। हां, मुस्लिम समाज में नादानी, अज्ञानता के कारण पायी जानेवाली कुछ कमियों के कारण कुछ मामलों में तलाक़शुदा औरत को कुछ कठिनाइयां अवश्य पेश आती हैं, लेकिन ख़ुदा का ख़ौफ़ (परलोक की सज़ा का डर), इस्लामी नैतिकता, परिवार और समाज का दबाव आदि कुछ ऐसे कारक हैं, जो ऐसी औरत को सहारा उपलब्ध कराते रहते हैं। दूसरी तरफ़ मुस्लिम समाज में क़ुरआन, हदीस, शरीअत और नैतिकता के हवालों से शिक्षा व चर्चा हमेशा जारी रहती है, समाज-सुधार के प्रयत्न बराबर होते रहते हैं। परिणाम स्वरूप अज्ञान व जहालत का स्तर निरंतर नीचे गिरता रहता है और तलाक़शुदा औरत की उस तथाकथित दुर्दशा की स्थिति मुस्लिम समाज में बनने नहीं पाती जिसका बड़े पैमाने पर दुष्प्रचार किया जाता या जिसको एक मुद्दा बनाकर रह-रहकर इस्लाम पर आक्षेप किया जाता, मुस्लिम समाज पर 'तलाक़' के अत्याचार व अभिशाप होने का आरोप लगाया जाता, इस्लाम के प्रति घृणा का वातावरण बनाया जाता है। या सीधे-सादे देशबंधुओं में अज्ञानवश 'तलाक़-इस्लाम-मुस्लिम समाज' के हवाले से ग़लतफ़हमियां पायी जाने लगती हैं।

आपके पत्र

बंधुत्व : राष्ट्रवाद की सही पहचान

'कान्ति' हिन्दी मासिक पत्रिका के जून 2019 अंक के स्तंभ 'विशेष आयोजन' में मुशर्रफ़ अली ने राष्ट्रवाद, बंधुत्व, मैत्री एवं समाज के दृष्टिकोण से मानवता का जीता-जागता उदाहरण प्रस्तुत किया है। मानकर चलें कि मुस्लिम समाज में महत्वपूर्ण ईदुल फ़ित्र यानी ईद मिलन को भाई-बंधु की समरसता का संगम माना जाता है। ईद मिलन की सबसे बड़ी विशेषता यह मानी जाती है कि इसमें हर व्यक्ति चाहे वह सामाजिक दृष्टि से कितने ही निचले वर्ग का हो, इमाम साहब के गले मिल सकता है, जबकि हिन्दू धर्म में इस प्रकार का प्रावधान नहीं है। बहुत बड़े मठाधीश से यदि कोई पत्रकार या आम आदमी धर्म के विषय में कुछ पूछता है तो उसका संतोषजनक उत्तर नहीं दिया जाता।

'राष्ट्रवाद बनाम विश्वबंधुत्व' लेख में समरसता, समानता, मैत्री और करुणा की मानसिक सोच के सन्दर्भ में दुनिया के जाने-माने दार्शनिकों के सिद्धांत और वैचारिक मंथनों की चर्चा की गयी है। राष्ट्रवाद की परंपरा क़ायम करने के लिए साम्राज्यवाद, निरंकुशता और तानाशाही को समाप्त करना होगा, क्योंकि इनके कारण राष्ट्र का सदैव ह्रास ही हुआ है। मानव को केवल मानवीय मूल्यों के लिए सेवारत रहना चाहिए। राष्ट्रवाद की धुरी पर, धैर्य, शांति, सन्तोष जैसी निर्मल भावनाओं से मनुष्य का सदैव गौरव बढ़ता है।

-डॉ॰ जसवन्त सिंह जनमेजय

कटवरिया सराय, नयी दिल्ली 16

مولانا سیّد ابوالاعلیٰ مودودیؒ کی شہرہ آفاق تفسیر

تفہیم القرآن حصہ چہارم کا ہندی اڈیشن

तफ़हीमुल-क़ुरआन [4]

सूरह लुक़माऩ-सूरह अल-अहक़ाफ़

ہندی ترجمہ: مولانا نسیم احمد غازی فلاحی

بندگانِ خدا کو خدا اور اس کی کتاب قرآن حکیم سے وابستہ کرنے والی عصری اسلوب میں ہر عام وخاص طبقے کے درمیان یکساں مقبول و پسندیدہ اردو تفسیر تفہیم القرآن حصہ چہارم کا ہندی زبان میں عام فہم اور دل نشیں ترجمہ۔ ہندی اڈیشن میں 'ترجمہ قرآن مجید مع مختصر حواشی' سے لیے گئے کچھ حاشیوں کا اضافہ بھی۔

- سائز: $\frac{20\times30}{8}$ ● صفحات: 800 ● ہدیہ: 585.00 روپے

- اول: ● سائز: $\frac{20\times30}{8}$ ● صفحات: 744 ● ہدیہ: 375.00 روپے
- دوم: ● سائز: $\frac{20\times30}{8}$ ● صفحات: 768 ● ہدیہ: 500.00 روپے
- سوم: ● سائز: $\frac{20\times30}{8}$ ● صفحات: 896 ● ہدیہ: 580.00 روپے

آرڈر کے لیے رابطہ کریں: **Customer Care No:** 7290092403 **E-mail:** info@mmipublishers.net

MMI PUBLISHERS | مرکزی مکتبہ اسلامی پبلشرز، نئی دہلی ۲۵

D-307, Dawat Nagar, Abul Fazl Enclave, Jamia Nagar, New Delhi-110025

Phone: 26981652, 26984347 Mob: 7290092401

E-mail: info@mmipublishers.net, mmipublishers@gmail.com **Website:** www.mmipublishers.net

हज़रत उसमान बिन अफ़्फ़ान (रज़ि॰)

❖ अब्दुर्रहमान राफ़त पाशा

हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान (रज़ि॰) ज़माना-ए-जाहिलियत (अज्ञानता युग) में भी अपनी क़ौम के बड़े शान वाले आदमी थे। हर कोई उनका सम्मान करता था। वे बड़े मालदार थे। नेमतों की बरखा उन पर झूमकर बरसी थी। वे बड़े सुशील एवं बहुत शर्मीले स्वभाव के इन्सान थे। उनकी इन्हीं विशेषताओं के कारण उन्हें उनकी क़ौम ने बड़ा लाड-प्यार दिया। यहां तक कि क़ुरैश की औरतें अपने बच्चों से लाड-प्यार जतलाने के लिए कहती थीं कि अल्लाह की क़सम, मैं तुमसे उतना ही प्यार करती हूं जितना प्यार क़ुरैश के लोग उस्मान से करते हैं।

जब मक्के में इस्लाम की किरण फूटी तो हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान (रज़ि॰) ने ज़रा भी देर नहीं की और इस्लाम क़बूल करके अपना नाम उन लोगों की सूची में लिखवा लिया जिनको दुनिया साबिक़ूनल अव्वलून अर्थात सर्वप्रथम इस्लाम क़बूल करने वाले के नाम से जानती है। उनके इस्लाम क़बूल करने की कहानी भी बड़ी निराली है।

कहानी यह है कि जब हज़रत उस्मान (रज़ि॰) को जाहिली युग में यह बात मालूम हुई कि मुहम्मद बिन अब्दुल्लाह ने अपनी बेटी रुक़ैया की शादी उतबा बिन अबू लहब से कर दी है तो मन ही मन वह बहुत पछताए कि काश ! रुक़ैया की शादी मुझसे हो जाती। जब वे दुखी मन के साथ अपने घर गये तो उनकी मुलाक़ात सौदा बिन्ते कुरैज़ से हुई जो रिश्ते में उनकी ख़ाला होती थीं। सौदा बड़ी चतुर और समझदार औरत थीं। उन्होंने हज़रत उस्मान (रज़ि॰) का ग़म दूर करने के लिए उन्हें एक ऐसे नबी के प्रकट होने की शुभ सूचना दी जो मूर्तिपूजा को ग़लत बता रहा था तथा सबसे केवल एक अल्लाह की इबादत करने का आह्वान करता था। सौदा ने हज़रत उस्मान (रज़ि॰) को बिना विलंब किये उस नबी का अनुसरण करने का मशविरा देते हुए कहा कि उसी नबी के पास तुम्हारे मन की चाहत पूरी करने का इलाज भी है।

हज़रत उस्मान (रज़ि॰) कहते हैं कि ख़ालाजान ने जो कुछ कहा था, उस पर विचार करते हुए मैं घर से निकला और हज़रत अबू बक्र (रज़ि॰) से मिलकर उनको सारी बात बतायी। हज़रत अबू बक्र (रज़ि॰) ने कहा : तुम्हारी ख़ाला ने जो कुछ तुमसे कहा है, सच है, बल्कि उसने तुम्हें एक बड़ा शुभ समाचार दिया है। फिर तुम ख़ुद भी एक चतुर और समझदार आदमी हो। तुम पर सही और ग़लत छिपे नहीं रह सकते। ज़रा मुझे बताओ कि यह बुत जिनकी पूजा हमारी क़ौम करती है, क्या हैं ? बहरे और गूंगे पत्थर ही तो हैं जो न सुन सकते हैं और न देख सकते हैं ? उस्मान ! तुम्हारी ख़ाला ने जो कहा है, सच कहा है। अल्लाह ने अपने रसूल (सल्ल॰) को पूरी मानवता को सीधा-सच्चा रास्ता दिखाने हेतु भेज दिया है।

मैंने पूछा : कौन है वह रसूल (सल्ल॰)?

हज़रत अबू बक्र (रज़ि॰) ने कहा : मुहम्मद बिन अब्दुल्लाह।

मैंने कहा : वही जिसको अमीन (अमानतदार) और सादिक़ (सच्चा) कहकर मक्का वाले पुकारा करते हैं ?

उन्होंने कहा : हां, वही।

मैंने कहा : क्या आप मुझे उनके पास ले जा सकते हैं? उन्होंने हां कर दी तो मैं उनके साथ रसूलुल्लाह (सल्ल॰) के पास उसी वक़्त पहुंच गया। जब अल्लाह के नबी (सल्ल॰) ने मुझे देखा तो कहने लगे : उस्मान ! अल्लाह के संदेष्टा की बात क़बूल कर लो। मैं तुम लोगों की तरफ़ ख़ासकर और पूरी दुनिया के लिए आमतौर पर रसूल बनाकर भेजा गया हूं।

हज़रत उस्मान (रज़ि॰) कहते हैं कि अल्लाह की क़सम ! मैंने आप (सल्ल॰) को आंख भरकर देखा भी नहीं, बस उनका यह आह्वान सुना था कि मेरे दिल ने विश्वास कर लिया और मैंने इस्लाम ग्रहण कर लिया। उस वक़्त तक बनू हाशिम के किसी भी आदमी ने इस्लाम क़बूल नहीं किया था। लेकिन अबू लहब के अलावा उस ख़ानदान का कोई भी शख़्स आप (सल्ल॰) की दुश्मनी पर उतरा भी नहीं था। केवल अबू लहब और उसकी बीवी

उम्म-ए-जमील आपसे बहुत जलन रखते थे और आपको तरह-तरह से सताया करते थे । उनके अत्याचार पर उन्हीं दिनों एक पूरी सूरा नाज़िल हुई, जिसको सूरा अबू लहब के नाम से जाना जाता है । उसका अनुवाद इस प्रकार है–

"अबू लहब के दोनों हाथ टूट गये और वह नाश हो गया । न तो उसकी दौलत उसके काम आयी और न उसकी कमाई । वह जल्द ही भड़कने वाली आग में जाएगा । और उसकी पत्नी भी जाएगी जो लकड़ियां ढोती है, उसकी गर्दन में खजूर की छाल की बंटी हुई रस्सी होगी ।"

इस सूरा के नाज़िल होने के बाद अबू लहब तथा उसकी पत्नी की अल्लाह के रसूल (सल्ल॰) और मुसलमानों से जलन और बढ़ गयी । इसी का बदला उसने आप (सल्ल॰) से इस प्रकार लिया कि अपने बेटे को हज़रत रुक़ैया (रज़ि॰) को तलाक़ देने का आदेश दे दिया । बाप की बात मानते हुए उतबा ने रुक़ैया (रज़ि॰) को तलाक़ दे दी ।

इस तलाक़ की ख़बर जब हज़रत उस्मान (रज़ि॰) को मिली तो उन्होंने तुरंत आप (सल्ल॰) से हज़रत रुक़ैया (रज़ि॰) के साथ शादी करने की इच्छा ज़ाहिर की । आप (सल्ल॰) ने तुरंत हां कर दी और दोनों की शादी हो गयी । हज़रत उस्मान (रज़ि॰) और हज़रत रुक़ैया (रज़ि॰) की जोड़ी क़ुरैश की सबसे उत्तम जोड़ी बन गयी ।

हज़रत उस्मान (रज़ि॰) क़ुरैश के जाने-माने व्यक्ति होने के बावजूद इस्लाम क़बूल करने के जुर्म में अपनी क़ौम की यातनाओं से बच नहीं सके । अबू जह्ल को यह बात ज़रा भी गवारा नहीं थी कि बनू अब्द-ए-शम्स का कोई जवान क़ुरैश के पैत्रिक धर्म से बग़ावत करके कोई नया धर्म क़बूल कर ले । अत: जब हज़रत उस्मान (रज़ि॰) ने इस्लाम क़बूल कर लिया तो अबू जह्ल और उसके अनुयायी हज़रत उस्मान (रज़ि॰) के पीछे हाथ धोकर पड़ गये । हज़रत उस्मान (रज़ि॰) को पकड़ कर उन्होंने सख़्ती से बांध दिया और कहा : अपने पुर्वजों के धर्म को त्याग कर नये धर्म को स्वीकार कर लिया ? क़सम अल्लाह की ! मैं तुम्हें उस वक़्त तक नहीं छोड़ूंगा जब तक तुम अपने नये धर्म को नहीं छोड़ देते ।

हज़रत उस्मान (रज़ि॰) ने जवाब दिया : मैं भी अल्लाह की क़सम खाकर कहता हूं कि जब तक जीवित हूं, न अपना धर्म त्याग करूंगा और न अपने नबी का साथ छोड़ूंगा।

उसके बाद इधर उनके चचा उन पर सख़्ती करते गये और उधर उनके ईमान में लगातार बढ़ोत्तरी होती गयी यहां तक कि उनके चचा ने परेशान होकर उन्हें आज़ाद कर दिया और यातनाएं देना बंद कर दीं । परन्तु क़ुरैश के दूसरे लोग उन्हें परेशान करते रहे और इतना परेशान किया कि उन्हें अपने धर्म तथा ईमान की रक्षा के लिए अपनी मातृभूमि तक को त्याग देना पड़ा और अपने और प्रिय नबी (सल्ल॰) से भी जुदा होना पड़ा ।

हज़रत उस्मान (रज़ि॰) तथा उनकी बीवी हज़रत रुक़ैया (रज़ि॰) इस्लामी इतिहास के ही नहीं अपितु अल्लाह के नबी लूत (अलैहिस्सलाम) के बाद मानव इतिहास की प्रथम जोड़ी थे, जिन्होंने अपने धर्म एवं आस्था की सुरक्षा के लिए हिजरत की । जब उनकी विदाई का वक़्त क़रीब आ गया तो अल्लाह के रसूल (सल्ल॰) ने यह कहते हुए उनको विदा किया कि अल्लाह हज़रत उस्मान (रज़ि॰) और हज़रत रुक़ैया (रज़ि॰) के साथ रहे, अल्लाह हज़रत उस्मान (रज़ि॰) एवं हज़रत रुक़ैया के साथ रहे, बेशक हज़रत उस्मान (रज़ि॰) ऐसे व्यक्ति हैं जिसने अपनी पत्नी के साथ अल्लाह के नबी लूत (अलैहिस्सलाम) के बाद हिजरत की है ।

हज़रत उस्मान (रज़ि॰) तथा हज़रत रुक़ैया (रज़ि॰) हब्शा में ज़्यादा दिनों तक नहीं ठहर पाए क्योंकि अल्लाह के रसूल (सल्ल॰) की जुदाई वे सहन नहीं कर पाए और मक्के का विरह भी उनकी सहनशक्ति से बाहर हो गया । अत: वे मक्का लौट आये और उस वक़्त तक मक्के में ठहरे रहे जब तक अल्लाह ने मदीने की ओर हिजरत करने की मुसलमानों को अनुमति नहीं दे दी । फिर जब अनुमति मिल गयी तो वे भी दूसरे प्रवासियों के साथ मदीना चले गये ।

हज़रत उस्मान (रज़ि॰) अल्लाह के रसूल (सल्ल॰) के साथ इस्लाम के प्रत्येक धर्म युद्ध में शरीक रहे । केवल बद्र की जंग में वे शरीक होने से इसलिए वंचित रह गये कि उस वक़्त वे अपनी बीवी हज़रत रुक़ैया (रज़ि॰) की परिचर्या (तीमारदारी) में व्यस्त थे । जब अल्लाह के रसूल (सल्ल॰) बद्र की जंग जीतकर वापस मदीना आये तो पाया कि हज़रत रुक़ैया (रज़ि॰) का इन्तिक़ाल हो चुका है । इससे आपको बड़ा गहरा आघात पहुंचा । आपने उस्मान (रज़ि॰) पर आयी मुसीबत को गंभीरता से लेते हुए उन्हें बद्र के मुजाहिदों में से एक क़रार दिया और उसमें प्राप्त माल-ए-ग़नीमत में

उनका भी हिस्सा लगाया । उससे भी बढ़कर उन्हें यह उपहार दिया कि अपनी दूसरी बेटी उम्म-ए-कुलसुम से उनकी शादी करा दी । इस कारण लोगों ने उन्हें जुन-नूरैन अर्थात दो नूर वाले, कहकर पुकारना शुरू कर दिया । रसूलुल्लाह (सल्ल०) की दो बेटियों से शादी, हज़रत उस्मान (रज़ि०) की ऐसी विशेषता है जिसे कोई दूसरा व्यक्ति मानव इतिहास में कभी प्राप्त नहीं कर सका ।

हज़रत उस्मान (रज़ि०) का इस्लाम क़बूल करना मुसलमानों के लिए अल्लाह का बहुत बड़ा इनाम साबित हुआ । उनका ईमान के दामन में आना खुद इस्लाम के लिए भी बड़ा नेक शगुन सिद्ध हुआ । वे इस्लाम के सबसे बड़े शुभचिंतक तथा इस्लाम पर जब भी कठिन घड़ी आयी, उसे दूर करने में सबसे आगे दिखे ।

इसकी एक मिसाल यह है कि जब अल्लाह के रसूल (सल्ल०) ने तबूक की जंग लड़ने का इरादा कर लिया तो आपके सामने जितनी आवश्यकता सिपाहियों की थी, उससे कहीं ज़्यादा ज़रूरत माल एवं दौलत की थी । रोमी लश्कर की बात करें तो उसकी तादाद बहुत ज़्यादा थी । उसे हथियारों की कमी का सामना भी नहीं था । उस पर यह कि उसे वह जंग अपनी धरती पर लड़ना थी । इधर मुसलमानों के सामने लम्बी यात्रा की समस्या मुंह बाए खड़ी थी । उनको रसद की कमी का सामना था । उनके पास सवारियां भी बहुत कम थीं । उस पर यह कि वे ऐसे अकाल से जूझ रहे थे जिसके समान भयंकर अकाल उससे पहले अरब उपमहाद्वीप ने कभी न देखा था । यही वह कारण थे जिनसे विवश होकर अल्लाह के रसूल (सल्ल०) को अपने बहुत से सहाबियों को जिहाद में जाने से रोकना पड़ा क्योंकि उनके पास सवारी नहीं थी और उतनी लम्बी यात्रा पैदल तय करना असंभव था । लाचार होकर उन्हें रोते हुए वापस जाना पड़ा । ऐसी हालत में आप (सल्ल०) मिंबर पर चढ़े और अल्लाह की प्रशंसा करने के बाद मुसलमानों को सदक़ा एवं ख़ैरात देने पर उभारने लगे । ऐसे में हज़रत उस्मान (रज़ि०) खड़े हुए और कहा : ऐ अल्लाह के रसूल (सल्ल०)! मैं सौ ऊंट उनके तमाम सामान समेत अल्लाह की राह में दान करता हूं । यह सुनकर आप (सल्ल०) मिंबर के एक पायदान नीचे उतर आए और फिर लोगों को दान देने पर उभारने लगे । हज़रत उस्मान (रज़ि०) दोबारा खड़े हुए और घोषणा की : ऐ अल्लाह के रसूल (सल्ल०)! मैं और सौ ऊंट उनके तमाम सामानों समेत दान करता हूं । यह सुनकर आप (सल्ल०) का चेहरा ख़ुशी से तमतमाने लगा और आप एक और पायदान नीचे उतर आये लेकिन लोगों को आप लगातार दान करने पर उभारते रहे । हज़रत उस्मान (रज़ि०) फिर खड़े हुए और घोषणा की : ऐ अल्लाह के रसूल (सल्ल०)! मैं और एक सौ ऊंट उनके तमाम सामान समेत दान करता हूं ।

इस बार आप (सल्ल०) हज़रत उस्मान (रज़ि०) की ओर इशारा करते हुए कहने लगे : आज के बाद उस्मान जो भी करे उसे कोई हानि नहीं होगी, आज के बाद उस्मान जो भी करे, उसे कोई हानि नहीं होगी ।

अल्लाह के रसूल (सल्ल०) अभी मिंबर से उतरे भी नहीं थे कि हज़रत उस्मान (रज़ि०) ने घर जाकर तीन सौ ऊंटों के अलावा सोने के एक हज़ार दीनार आप (सल्ल०) की सेवा में भिजवा दिये । जब सोने के उन दीनारों को अल्लाह के रसूल (सल्ल०) के कमरे में उलट दिया गया तो आपने उन्हें अपने पावन हाथों से उलट-पुलट कर देखना शुरू कर दिया, साथ ही यह भी कहने लगे कि ऐ उस्मान! अल्लाह ने तुम्हारे सारे गुनाह चाहे वह तुमने छुपकर किये हों या स्पष्टत:, जितने गुनाह तुमसे हुए या जीवनकाल में होंगे, सबको क्षमा कर दिया गया है ।

हज़रत उमर (रज़ि०) के शासनकाल में भी एक साल ऐसा सूखा एवं अकाल पड़ा कि खेती तथा मवेशी सब चौपट हो गये । अकाल इतना भयंकर था कि वह साल "बालू का साल" के नाम से प्रसिद्ध हो गया । लोग मुसीबत में ऐसे पड़े कि जान लबों पर आ गयी। अंतत: लोग एक दिन प्रात: हज़रत उमर (रज़ि०) के पास आये और कहने लगे : ऐ अल्लाह के रसूल (सल्ल०) के ख़लीफ़ा ! आकाश ने बरसना और धरती ने उगाना छोड़ दिया है । लोग मृत्यु के क़रीब पहुंच गये हैं । अब आप ही कोई उपाय बताएं कि हम क्या करें ?

हज़रत उमर (रज़ि०) ने उनकी ओर प्यार भरी नज़रों से देखते हुए उन्हें आश्वासन दिया कि धीरज धरो और धैर्य रखो, मुझे पूरी आशा है कि आज संध्या होने से पहले तुम्हारी मुसीबत दूर हो जाएगी ।

हज़रत उमर (रज़ि०) का विश्वास रंग लाया । दोपहर बाद यह ख़बर आम जनता में फैल गयी कि हज़रत उस्मान (रज़ि०) का सामानों से लदा क़ाफ़िला सीरिया से चल चुका

है और प्रातः होने से पहले-पहले मदीना पहुंच रहा है । फ़ज्र की नमाज़ ख़त्म हुई तो लोग क़ाफ़िले का स्वागत करने के लिए दौड़ पड़े । व्यापारियों ने क़ाफ़िले के ऊंटों को गिना तो मालूम हुआ कि क़ाफ़िला एक हज़ार ऊंटों का है जिन पर गेहूं, तेल और पनीर लदा हुआ है ।

सारे ऊंट हज़रत उस्मान (रज़ि॰) के दरवाज़े पर आकर बैठ गये और बच्चों ने उन पर से सामान उतराना शुरू कर दिया । इतने में बहुत से व्यापारी आपकी सेवा में उपस्थित हुए और सम्मानपूर्वक कहा : अबू अम्र ! इन सामानों का आप हमसे सौदा करेंगे ?

हज़रत उस्मान (रज़ि॰) ने कहा : बड़े सम्मान तथा प्यार से करूंगा । परन्तु पहले आप लोग यह तो बताएं कि आप कितना नफ़ा दे सकते हैं ?

व्यापारियों ने उत्तर दिया : एक दिरहम के सामान का दो दिरहम ।

कहा : मुझे इससे ज़्यादा लाभ मिल रहा है ।

यह सुनकर व्यापारियों ने और ज़्यादा दर लगायी मगर उन्होंने फिर कहा कि मुझे इससे ज़्यादा दर मिल रही है । ऐसा कई बार हुआ । व्यापारी दर बढ़ाते जाते और हज़रत उस्मान (रज़ि॰) कहते जाते कि मुझे इससे ज़्यादा लाभ मिल रहा है । अंत में व्यापारियों ने कहा : अबू अम्र ! मदीने में हमारे अलावा और व्यापारी नहीं हैं । एक बात यह भी है कि हमसे पहले कोई व्यापारी आपके पास आया भी नहीं । फिर वह व्यापारी कौन है जो आपको हमसे अधिक दाम दे रहा है ।

फ़रमाया : अल्लाह तआला ने हर दिरहम के बदले दस दिरहम देने का वादा किया है । क्या आप लोग इससे ज़्यादा दर लगा सकते हैं ? व्यापारियों ने कहा : नहीं ।

इस पर उन्होंने घोषणा की : मैं अल्लाह को साक्षी बनाकर कहता हूं कि क़ाफ़िले के संपूर्ण सामानों को मैं ग़रीब मुसलमानों को दान करता हूं । मुझे किसी से कोई दिरहम या दीनार नहीं चाहिए । बस मुझे अल्लाह का सँवाब और ख़ुशी चाहिए । जब हज़रत उस्मान (रज़ि॰) मुसलमानों के शासक बने तो अल्लाह तआला ने उनके हाथों अर्मीनिया, कूकाज, ख़ुरासान, करमान, सिजिस्तान, कुब्रस तथा अफ़्रीक़ा का बड़ा भू-भाग फ़तह करवा दिया ।

उनके शासनकाल में मुसलमानों पर दौलत का हुन-सा बरस गया और वे धरती के सबसे मालदार क़ौम बन गये । हज़रत हसन बसरी (रह॰) उनके शासनकाल की ख़ुशहाली बयान करते हुए कहते हैं कि मैंने अपनी आंखों से हज़रत उस्मान (रज़ि॰) के घोषणाकर्ताओं को घोषणा करते देखा । वे घोषणा करते कि लोगो ! अपने-अपने हिस्से का माल ले लो । लोग जाते और उठा लाते । घोषणा की जाती कि लोगो ! अपना-अपना खाद्यान ले आओ । लोग जाते और जितना चाहते ले आते । फिर घोषणा की जाती कि लोगो ! अपने-अपने हिस्से के कपड़े, घी तथा शहद ले लो । लोग जाते और जी भरकर ले आते । इसमें कोई आश्चर्य की बात थी भी नहीं क्योंकि हज़रत उस्मान (रज़ि॰) के शासनकाल में दौलत का हुन बरस रहा था । हर ओर भलाई की बरसात हो रही थी । सबके आपसी मामलात अच्छे थे । कोई मोमिन दूसरे मोमिन से भयभीत नहीं था । सब आपस में एक-दूसरे से प्यार करते थे और एक-दूसरे के सहायक बने हुए थे ।

परन्तु जैसा कि होता आया है, कुछ लोग जब सुख का मज़ा चखते हैं तो इतराने लगते हैं, जब अल्लाह उन्हें नेमतें प्रदान करता है तो वे नाशुक्री पर उतर आते हैं । हज़रत उस्मान (रज़ि॰) के साथ भी ऐसा ही हुआ । कुछ मामलों को लेकर कुछ बदमाशों ने उन्हें दोषी ठहराया । अगर वे मामले किसी और के होते तो कोई उसे दोष नहीं देता । उन

25 yrs. Service (Regd.)
AL KAUSAR HOLY HERBAL
HOSPITAL & RESERCH CENTRE
(A minority Unit of Islamic Medicine Under Art.30 (1) Const. of India)
Founder: Al-Hajj Dr. ABDUR RASHEED
Ph.D. (HOLISTIC HERBAL)
Medicine of Hazrat Mohammad (S.A.W)
By faith of ALLAH
Shyamganj Road, B.Deoghar - 814112
(Jharkhand) India
Kidney, Heart, Liver, Pancreas, Uterus, disorders, Pain Control, Asthama, Child Birth (Cardio, Uro, Nephro, Neuro, Gastroe, Gynae, Hemato, Diabeto Intercentral cardio, Bronco etc.)
Recharge your body, mind, psyco, soul, desire heart way of "Islamic medicine". Further treatment require or not feels within 7 to 19 days
(Rooms available)
Enquiry: 9955725769, E-mail: alkausarreached@gmail.com
Bank of India, Deoghar Branch A/c-446110100000871
IFS Code No. BKID 0004461

बदमाश लोगों ने उन्हें केवल दोष ही नहीं दिया क्योंकि अगर वे इतने पर बस करते तो मामला बहुत आसानी से निपटा लिया जाता । शैतान उनकी आत्माओं में हज़रत उस्मान (रज़ि॰) के विरुद्ध ख़बासत का जादू चलाता रहा यहां तक कि उन बदमाशों ने हज़रत उस्मान (रज़ि॰) के घर की नाकाबंदी कर उन पर दाना-पानी तक बंद कर दिया जिससे वे एक घूंट पानी तक के लिए तरस गये । उन बदमाशों ने भुला दिया कि वह व्यक्ति हज़रत उस्मान (रज़ि॰) ही थे जिसने रोमा नामी तालाब अपने पैसे से ख़रीद कर तमाम मदीनावासियों तथा वहां बाहर से आने वालों के लिए ऐसे वक़्त पर वक़्फ़ कर दिया जब मदीने में उसके अलावा पेयजल वाला कोई दूसरा कुंवां था ही नहीं । उन बदमाशों ने इतने ही पर बस नहीं किया अपितु उन्हें उस मस्जिद-ए-नब्वी में नमाज़ पढ़ने से भी रोक दिया जिसे उन्होंने ऐसे समय पर अपने ख़र्चे पर विस्तार दिया जब वह मुसलमानों के लिए छोटी पड़ गयी थी ।

जब हज़रत उस्मान (रज़ि॰) पर ग़म एवं दुख के घनेरे साये बहुत बढ़ गये तो सात सहाबा किराम तथा उनकी संतानें हज़रत उस्मान (रज़ि॰) के समर्थन में उठ खड़ी हुई जिनमें हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि॰), हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर (रज़ि॰), हज़रत हसन एवं हज़रत हुसैन बिन अली (रज़ि॰), हज़रत अबू हुरैरा (रज़ि॰) इत्यादि ख़ासम-ख़ास थे । परन्तु दो नूर वाले, दो प्रवासों का दुख उठाने वाले, नेकी लुटाने वाले और दुनिया वालों पर अपना सब कुछ न्योछावर करने वाले हज़रत उस्मान (रज़ि॰) ने अपने ख़ून पर मुसलमानों के ख़ून को प्राथमिकता दी । अपने प्राण पर मुसलमानों की एकता को प्रधानता देते हुए अपने समर्थकों से कह दिया कि मैं आप लोगों को क़सम देकर कहता हूं कि अगर आप लोग अपने आप पर मेरे कुछ भी अधिकार मानते हैं तो मुझे अपने भाग्य के फ़ैसले पर छोड़ दीजिए । साथ ही अपने गुलामों को प्रोत्साहन देते हुए कहा कि तुममें से जो कोई अपनी तलवार को म्यानबन्द कर लेगा वह आज़ाद है ।

उसी दौरान अपनी शहादत से कुछ क्षण पूर्व हज़रत उस्मान (रज़ि॰) की आंखें नींद से बोझिल हो गयीं । उन्होंने आप (सल्ल॰) और आपके साथ हज़रत अबू बक्र (रज़ि॰) व हज़रत उमर (रज़ि॰) को सपने में देखा । वे कह रहे थे कि उस्मान ! आज रात तुम हमारे साथ रोज़ा तोड़ो । इससे उन्हें दृढ़ विश्वास हो गया कि अब शहादत क़रीब है और रसूलुल्लाह (सल्ल॰) से मुलाक़ात का समय आ गया है ।

हज़रत उस्मान (रज़ि॰) ने रोज़े की हालत में सुबह की । उन्होंने लंबे पायजामे मंगाकर पहन लिए ताकि शहादत के वक़्त उनकी शर्मगाह कहीं खुल न जाए । अतंत: जिलहिज्जा की अठारहवीं तारीख़ को जुमा के दिन, उम्मत के उस महान शख़्स को ज़ालिमों ने बेदर्दी से शहीद कर दिया जो बड़ा ही इबादतगुज़ार, रोज़ेदार, क़ुरआन को एक जगह जमा करने वाला और रसूलुल्लाह (सल्ल॰) का प्यारा दामाद था । वे अपने रब से इस हाल में जा मिले कि प्यासे और रोज़ेदार थे और अल्लाह की किताब उनके सामने खुली हुई थी । मुसलमानों के लिए इस संदर्भ में अच्छी बात यह है कि अल्लाह की कृपा से हज़रत उस्मान ग़नी (रज़ि॰) के क़त्ल में सिवाय एक सहाबी के जिन्होंने शुरू में बाग़ियों का साथ दिया लेकिन बाद में पछताए और ज़ालिमों से अलग हो गये, कोई सहाबी या सहाबी की संतान शरीक नहीं थी ।

क़ुरआन ज्योति

(पृष्ठ 5 का शेष)

उसी की मर्ज़ी पर तुम्हारी ज़िन्दगी भी पूरी तरह आश्रित है और तुम्हारी मौत भी । मैं केवल उसकी उपासना और उसी की बन्दगी व गुलामी और उसी के आज्ञापालन का क़ायल हूं ।'' यहां इतना और समझ लेना चाहिए कि मक्का के मुश्रिक भी इस वास्तविकता को मानते थे कि मौत केवल सर्वजगत के पालनहार अल्लाह के अधिकार में है । अत: अभिप्राय व्यक्त करने के लिए अल्लाह के अगणित गुणों में से यह प्रमुख गुण कि ''वह जो तुम्हें मौत देता है' यहां इसलिए चुना गया है कि अपना मत व्यक्त करने के साथ-साथ उसके सही होने का तर्क भी दे दिया जाए । फिर अलंकृत भाषा व सुन्दरता यह भी है कि ''वह जो मुझे मौत देने वाला है'' कहने के बजाय 'वह जो तुम्हें मौत देता है' फ़रमाया, (जिससे यह अर्थ निकला कि मुझे ही नहीं, तुम्हें भी उसी की बन्दगी करनी चाहिए और तुम यह ग़लती कर रहे हो कि उसके सिवा दूसरों की बन्दगी किये जाते हो) इस तरह एक ही शब्द में अभिप्राय का व्यक्त करना उसका प्रमाण देना और उसकी ओर बुलाना–तीनों भाव जमा कर दिये गये हैं ।

धरती का मूल निवासी मनुष्य या अन्य प्राणी ?

अमेरिकी वैज्ञानिक एवं पर्यावरणविद् डॉ॰ एलिस सिल्वर का अध्ययन

■ मुशर्रफ़ अली

डॉक्टर एलिस सिल्वर ने अपनी किताब "ह्यूमन्स आर नॉट फ्रॉम दि अर्थ" में यह दावा किया है कि मनुष्य इस ग्रह, अर्थात धरती का मूल निवासी नहीं है, बल्कि उसे किसी दूसरे ग्रह पर बनाया गया और किसी कारण से धरती पर फेंक दिया गया।

डॉक्टर एलिस, जो कि एक वैज्ञानिक, अन्वेषक, लेखक और अमेरिका के जाने-माने इकोलॉजिस्ट हैं, उनकी किताब में लिखे शब्दों पर विचार कीजिए। ध्यान रहे कि ये शब्द एक वैज्ञानिक के हैं, जो किसी धर्म पर विश्वास नहीं रखता।

उनका कहना है कि मनुष्य जिस माहौल में पहली बार बनाया गया और जहां वह पहले रहता था, वह जगह इतनी अधिक आरामदायक और सुन्दर थी कि उसे वी.वी.आई.पी. कहा जा सकता है। वहां पर मनुष्य बहुत ही सुखद और आनंदपूर्ण माहौल में रहता था। उसकी संवेदनशीलता और आराम परस्त तबीअत से मालूम होता है कि उसे अपनी रोज़ी-रोटी के लिए कुछ भी चिंता नहीं करनी पड़ती थी। रचयिता की यह कोई बहुत ही लाडली रचना थी जिसे सारी सुविधाएं उपलब्ध थीं। वह माहौल ऐसा था जहां सर्दी और गर्मी के बजाय सदा बसंत जैसा मौसम रहता था। और वहां पर सूर्य जैसे ख़तरनाक सितारे की तेज़ धूप और पराबैंगनी किरणें बिल्कुल नहीं थीं, जो उसकी सहनशक्ति से बाहर हो और कष्टदायक हो। तब वहां इस मनुष्य से कोई भूल हुई।

उसको किसी ग़लती की वजह से उस सुविधाजनक माहौल से निकाल कर फेंक दिया गया था। जिस शक्ति ने इंसान को उस ग्रह से निकाला, लगता है वह कोई अत्यंत शक्तिशाली सत्ता है। जिसके नियंत्रण में ग्रहों और तारों का पूरा तंत्र है। वह जिसे चाहता जिस ग्रह पर चाहता सज़ा या पुरस्कार के तौर पर भिजवा सकता है। वह हर प्रकार की सृष्टि की रचना करने का सामर्थ्य भी रखता है।

डॉक्टर सिल्वर का कहना है कि संभव है यह ज़मीन कोई ऐसी जगह हो, जिसे जेल कहा जा सकता है। यहां पर केवल अपराधियों को सज़ा के तौर पर भेजा जाता हो। क्योंकि ज़मीन का रूप काला पानी जेल की तरह है। भूमि के एक ऐसे टुकड़े के रूप में जिसके चारों ओर समुद्र ही समुद्र है वहां मनुष्य को भेज दिया गया।

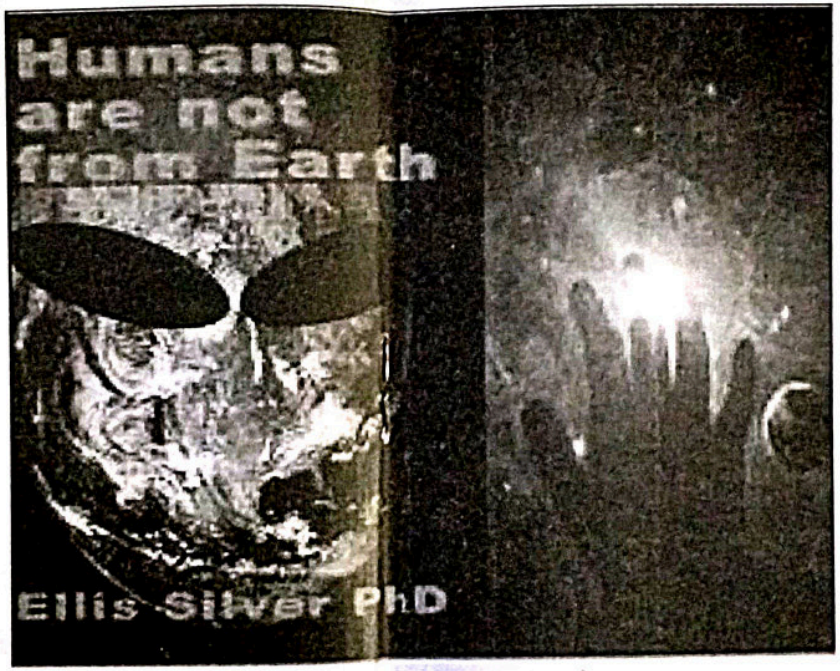

डॉक्टर सिल्वर एक वैज्ञानिक हैं जो केवल तर्कों और साक्ष्यों के आधार पर कोई राय बनाते हैं, उनकी किताब में वैज्ञानिक तर्कों की बहुतायत है, जिनका इंकार संभव नहीं।

उनके तर्कों की बुनियाद जिन बिंदुओं पर है उनमें से अधिकतर सिद्ध हो चुके हैं।

1. ज़मीन का गुरुत्वाकर्षण और जहां से मनुष्य आया है उस जगह के गुरुत्वाकर्षण में बहुत अंतर है। जिस ग्रह से मनुष्य आया है वहां का गुरुत्वाकर्षण धरती से बहुत कम था। जिसके कारण मनुष्य के लिए चलना फिरना बोझ उठाना आदि काम बहुत आसान था। मनुष्य के अंदर कमर दर्द की शिकायत अधिकतर गुरुत्वाकर्षण के कारण ही है।

2. मनुष्य में जितने स्थायी रोग पाए जाते हैं वे जमीन पर बसने वाले किसी और जीव में नहीं पाए जाते। डॉक्टर एलिस लिखते हैं कि आप इस धरती पर एक भी ऐसा मनुष्य दिखा दीजिए जिसे कोई एक भी बीमारी न हो तो मैं अपने दावे को छोड़ सकता हूं। जबकि मैं आपको हर जानवर के बारे में बता सकता हूं कि वह क्षणिक तौर पर तो बीमार हो सकता है लेकिन किसी में भी कोई स्थायी रोग नहीं होता।

3. कोई भी सामान्य मनुष्य अधिक समय तक धूप में बैठना सहन नहीं कर सकता, बल्कि कुछ ही देर बाद उसको चक्कर आने लगते हैं और सनस्ट्रोक का शिकार हो सकता है जबकि जानवरों में ऐसा कोई इशू नहीं है। महीनों धूप में रहने के बावजूद न तो उन्हें कोई चर्म रोग होता है और न ही किसी और तरह की कोई बीमारी जिसका संबंध धूप और घातक किरणों से हो।

4. हर मनुष्य यही महसूस करता है और हर समय उसे एहसास रहता है कि उसका घर इस ग्रह पर नहीं। कभी कभी उस पर बिना कारण ऐसी उदासी छा जाती है, जैसी परदेस में रहने वालों पर छाती है, चाहे वह अपने घर में अपने निकट संबंधियों के पास ही क्यों न बैठा हो ।

5. धरती पर रहने वाले सभी जीवों के शरीर का तापमान ऑटोमेटिक तरीक़े से हर क्षण रेगुलेट होता रहता है। अगर तेज़ धूप है तो उनके शरीर का तापमान अपने आप रेगुलेट हो जाता है। जबकि उसी समय अगर बादल आ जाते हैं तो उनके शरीर का तापमान छांव के अनुसार बदल जाता है। मनुष्य का ऐसा कोई सिस्टम नहीं, बल्कि मनुष्य बदलते मौसम और माहौल के साथ बीमार होने लग जाता है। मौसमी बुख़ार की शब्दावली केवल इंसानों में ही पायी जाती है।

6. मनुष्य इस ग्रह पर पाए जाने वाले दूसरे जीवों से बहुत अलग है। उसका डी॰एन॰ए॰ और जींस की संख्या इस ग्रह पर पाए जाने वाले दूसरे सभी जीवों से पूर्णता अलग है।

7. धरती के मूल निवासी अर्थात जानवरों को अपने भोजन प्राप्त करने और उसे खाने में कोई कठिनाई नहीं होती। वह हर भोजन को उसी रूप में खाते हैं, जिस रूप में वह प्राप्त होता हैं, जबकि मनुष्य को अपने भोजन के कुछ निवाले प्राप्त करने के लिए हज़ारों जतन करने पड़ते हैं। पहले वह अपनी शारीरिक ज़रूरतों और स्वाद के अनुकूल अनाज, फल और दूसरी चीज़ों की पैदावार करता है। फिर उनको पकाकर नर्म करता है और भोजन को अपने शरीर के अनुसार उपयोग के लायक़ बनाता है। इससे भी

पता चलता है यह मनुष्य इस धरती का रहने वाला नहीं है। जब यह अपने मूल ग्रह पर था तो वहां उसे खाना पकाने का झंझट नहीं उठाना पड़ता था, बल्कि हर चीज उसे सीधे रूप में प्राप्त थी।

इसके अलावा मनुष्य इस धरती पर अकेला ऐसा प्राणी है जो दो पांव पर चलता है और यह उसके एलियन होने की निशानी है। दो पैरों पर खड़े होने के कारण इसकी रीढ़ ज़मीन के साथ लम्बवत है, जबकि दूसरे सभी जानवरों की रीढ़ ज़मीन के समानान्तर है। रीढ़ के लम्बवत होने के कारण इसे कमर दर्द और दूसरी अनगिनत बीमारियों का सामना करना पड़ता है।

8. मनुष्य को धरती पर रहने के लिए बहुत ही नर्म बिस्तर की ज़रूरत होती है जबकि धरती के मूल निवासियों अर्थात जानवरों को ऐसे नर्म बिस्तर की कोई जरूरत नहीं होती। यह इस बात का प्रमाण है कि मनुष्य के अपने मूल ग्रह पर उसके सोने और आराम करने की जगह उसके शरीर की आवश्यकताओं के अनुरूप अत्यंत नर्म और आरामदायक थी।

9. मनुष्य धरती के सब निवासियों से अलग है। यह यहां पर किसी भी जानवर बंदर या चिंपैंज़ी आदि का विकसित रूप नहीं है, बल्कि उसे किसी और ग्रह से धरती पर कोई लाकर फेंक गया है।

मनुष्य को जिस मूल ग्रह पर बनाया गया था, वहां धरती जैसा गंदा माहौल नहीं था। उसकी नर्म त्वचा जो सूर्य की धूप में झुलस कर काली हो जाती है, उसके अपने ग्रह के एकदम अनुकूल बनाई गई थी। मनुष्य इतना संवेदनशील है कि धरती पर आने के बाद भी अपनी संवेदनशीलता के अनुसार वातावरण पैदा करने की कोशिशों में लगा रहता है।

जिस तरह उसे अपने ग्रह पर आरामदायक और सुविधाजनक बिस्तर पर सोने की आदत थी वह धरती पर आने के बाद भी उसी के लिए कोशिश करता रहता है कि अधिक से अधिक सुविधाजनक जीवन गुज़ार सके।

जैसे सुंदर और मज़बूत भवन उसे वहां उसके पूर्वजों को मिले थे वह अभी उन्हीं जैसे घर बनाने की कोशिश करता है। जबकि अन्य सभी जानवर इसकी चिन्ता नहीं करते। इस धरती के सभी जीव बुद्धि और विवेक से ख़ाली हैं जिनको न अच्छा सोचने की क्षमता है और न अच्छा रहने की और न ही उन्हें शांति से रहने की आदत है। मनुष्य एक ऐसा क़ैदी है जिसे सज़ा के तौर पर तृतीय श्रेणी के एक ग्रह पर भेज दिया गया है, ताकि अपनी सज़ा काट कर यह वापस आ जाए।

डॉक्टर एलिस का कहना है के मानव बुद्धि और विवेक के विकास से अंदाज़ा होता है कि इस के पूर्वज को अपने ग्रह से धरती पर आए हुए कुछ अधिक समय नहीं बीता। अभी कुछ हज़ार साल ही हुए हैं। यह अभी अपने जीवन को अपने पुराने ग्रह की तरह सुविधाजनक बनाने के लिए भरपूर कोशिश करता है। कभी गाड़ियां आविष्कार करता है, कभी मोबाइल फ़ोन। अगर इसे आए हुए कुछ लाख बरस भी बीते होते तो यह आविष्कार जो आज दिखाई पड़ रहे हैं, हज़ारों वर्ष पहले अस्तित्व में आ चुके होते। क्योंकि यह बुद्धि रखने वाला जीव लाखों वर्षों तक जानवरों की तरह वंचितता का जीवन नहीं बिता सकता था।

डॉ॰ एलिस सिल्वर की किताब में इस हवाले से बहुत कुछ है और सबसे बड़ी बात यह है कि उनके तर्कों को अभी तक कोई चुनौती नहीं दे सका है।

यह बात भी ध्यान देने की है कि ये बातें एक वैज्ञानिक बता रहा है। यह कोई कहानी नहीं, बल्कि सच्चाई का वर्णन है। यही बातें सभी ईश्वरीय किताबों में भी बतायी गयी हैं। आज मनुष्य अपने अध्ययन के आधार पर वे सब कहने पर मजबूर हो गए हैं जो ईश्वर के दूत अपने-अपने ज़माने में लोगों को बताते रहे हैं । ईश्वर ने अपनी अंतिम किताब क़ुरआन में भी बार-बार अनगिनत जगह पर यही बताया है कि ऐ मनुष्य, यह दुनिया का जीवन तुम्हारे लिए परीक्षा की घड़ी है। मरने के बाद परलोक में तुम को धरती पर किये अपने कर्मों के अनुसार सज़ा या पुरस्कार मिलेगा।

पाठकों और विज्ञापनदाताओं से निवेदन

चेक और ड्राफ्ट केवल
'कान्ति' के नाम से बनवाएं,
'मासिक कान्ति' के नाम से नहीं ।

–मैनेजर

मनुष्य : धरती के अन्य प्राणियों से इतना भिन्न क्यों?

■ गुलज़ार सहराई

क्या इन्सान भी इस धरती के अन्य जीवों की भांति एक जीव है? यह प्रश्न सदैव मानव के शोध का विषय रहा है। ईश्वर, धर्म-अधर्म, पाप-पुण्य तथा लोक-परलोक जैसी मान्यताओं में विश्वास न रखने वाले बुद्धिवादी तो उसी विचारधारा के समर्थक रहे हैं, जो डार्विन के विकासवाद के सिद्धांत (Theory of Evolution) की पक्षधर रही है। इस थ्योरी की दृष्टि से इन्सान मात्र एक सामाजिक पशु है। उसमें तथा अन्य पशुओं में यदि अन्तर है तो केवल यह कि वह अपनी आरंभिक स्थिति पर स्थिर न रहा, बल्कि उसने अपनी बुद्धि एवं विवेक का प्रयोग कर हर प्रकार से स्वयं को विकसित किया, जिसका परिणाम यह है कि वह पशुओं वाली स्थिति से निकलकर आज के इस अति विकसित एवं आधुनिक युग तक पहुंच गया है।

परन्तु डार्विन की उक्त विचारधारा के समर्थक, समस्त बुद्धि एवं विवेक के प्रयोग के बावजूद, यह बता पाने में पूर्णतः असमर्थ रहे हैं कि आख़िर 'इन्सान' या 'मानव' नामक इस जन्तु को यह विशिष्टता क्यों प्राप्त हो गयी कि वह अन्य जीवों के विपरीत अपनी आरंभिक प्राकृतिक स्थिति पर सन्तुष्ट न रहा, बल्कि उसने उससे निकलने का निरन्तर प्रयास किया, यहां तक कि शताब्दियां बीत जाने के बाद भी वह अब तक सन्तुष्ट नहीं हुआ है और विकास के नाम पर निरन्तर अपनी पिछली स्थिति से निकलने के प्रयास कर रहा है। जबकि धरती के अन्य जीवों में विकास की यह प्रवृत्ति नहीं पायी जाती, यहां तक कि उस बन्दर में भी नहीं, डार्विन की थ्योरी जिसे इन्सान का पूर्वज ठहराती है।

निश्चय ही डार्विन की विकासवाद की थ्योरी के समर्थकों के पास इस प्रश्न का भी कोई उत्तर नहीं है कि यदि इन्सान बन्दर की अवस्था से विकिसित होकर आज की स्थिति में पहुंचा है तो फिर उस बन्दर की नस्ल अब भी क्यों मौजूद है? और अब उनमें कोई विकास होता क्यों दिखायी नहीं देता? इसका सबसे बड़ा उदाहरण चिम्पैंज़ी है, जो इन्सान से बहुत मिलता-जुलता नज़र आता है, मगर उसकी जाति में भी कोई विकास होता दिखाई नहीं पड़ता। आख़िर मानव ही को यह विशिष्टता क्यों प्राप्त हुई?

तथाकथित बुद्धिवाद से परे हटकर जब हम धार्मिक मान्यताओं की दृष्टि से इस विषय पर नज़र डालते हैं, तो इस्लाम का धर्मग्रन्थ पवित्र क़ुरआन हमारे सामने एक अलग ही दृष्टिकोण रखता है। क़ुरआन हमें बताता है कि मनुष्य इस धरती का प्राणी है ही नहीं, बल्कि इसकी उत्पत्ति तो किसी और ही लोक में हुई है–

"और याद करो जब तुम्हारे रब ने फ़रिश्तों से कहा कि 'मैं धरती में (मनुष्य को) ख़लीफ़ा (सत्ताधारी) बनानेवाला हूं।' उन्होंने कहा, 'क्या उसमें उसको रखेगा, जो रक्तपात और बिगाड़ पैदा करे और हम तेरा गुण्गान करते और तुझे पवित्र कहते हैं?' उसने कहा, 'मैं जानता हूं, जो तुम नहीं जानते।' उसने (अल्लाह ने) आदम को सारे नाम सिखाये, फिर उन्हें फ़रिश्तों के सामने पेश किया और कहा, 'अगर तुम सच्चे हो तो मुझे इनके नाम बताओ।' वे बोले, 'पाक और महिमावान है तू! तूने जो कुछ हमें बताया उसके सिवा हमें कोई ज्ञान नहीं। निस्सन्देह तू सर्वज्ञ तत्त्वदर्शी है।' उसने कहा, 'ऐ आदम! इन्हें उन लोगों के नाम बताआ।' फिर जब उसने उन्हें उनके नाम बता दिये तो (अल्लाह ने) कहा, 'क्या मैंने तुमसे कहा न था कि मैं आकाशों और धरती की छिपी बातों को जानता हूं और मैं जानता हूं जो कुछ तुम ज़ाहिर करते हो और जो कुछ छिपाते हो।' और याद करो जब हमने फ़रिश्तों से कहा कि 'आदम को सजदा करो,' तो उन्होंने सजदा किया सिवाय इबलीस के, उसने इनकार कर दिया और लगा बड़ा बनने और काफ़िर होकर रहा।" (क़ुरआन, 2:30 से 34)

इन्सान की उत्पत्ति का वृत्तान्त सुनाने और अल्लाह द्वारा फ़रिश्तों को उनके इस सन्देह का जवाब देने के बाद कि 'यह नया प्राणी धरती में उत्पात मचाएगा' कुरआन हमें बताता है कि आदम को पैदा करके यों ही धरती पर नहीं भेज दिया गया, बल्कि पहले उसकी और उसकी पत्नी की परीक्षा ली गयी–

"और हमने कहा, 'ऐ आदम! तुम और तुम्हारी पत्नी बाग़ (स्वर्ग) में रहो और वहां जी भर बेरोक-टोक जहां से तुम दोनों चाहे खाओ, परन्तु इस वृक्ष के पास न जाना, अन्यथा तुम अत्याचारी ठहरोगे।' अन्ततः शैतान ने उन्हें वहां से फिसला दिया, फिर उन दोनों को वहां से निकलवाकर छोड़ा, जहां वे थे। हमने कहा कि 'उतरो, तुम एक-दूसरे के शत्रु होगे और तुम्हें एक समय तक धरती में ठहरना और रहना है।' फिर आदम ने अपने रब से कुछ शब्द पा लिये, तो अल्लाह ने उसकी तौबा स्वीकार कर ली, निस्संदेह वही तौबा स्वीकार करनेवाला, अत्यन्त दयावान है। हमने कहा, 'तुम सब यहां से उतरो, फिर यदि तुम्हारे पास मेरी ओर से कोई मार्गदर्शन पहुंचे, तो जिस किसी ने मेरे मार्गदर्शन का अनुसरण किया, तो ऐसे लोगों को न तो कोई भय होगा और न वे शोकाकुल होंगे।' और जिन लोगों ने हमारी आयतों (आदेशों, निशानियों) को झुठलाया, वही आग में पड़नेवाले हैं, वे उसमें सदैव रहेंगे।" (कुरआन, 2:35-40)

कुरआन की उपर्युक्त आयतों से यह स्पष्ट हो जाता है कि मनुष्य की रचना स्वर्गलोक में हुई, जहां उसके रब ने उसकी परीक्षा ली। और जब वह परीक्षा में असफल हुआ, तो उससे उसका वह सुख-सुविधापूर्ण जीवन छीन लिया गया। मनुष्य को सबसे पहले जिस सुविधा से वंचित किया गया वह था उसका प्राकृतिक वस्त्र।

लाज-शर्म की अनुभूति

मनुष्य की एक विशेषता उसकी लाज एवं शर्म की अनुभूति है। यह अनुभूति धरती के किसी भी प्राणी में नहीं पायी जाती। धरती के समस्त जीव, चाहे उनके शरीर बालों से ढंके हों या नहीं, निर्वस्त्र रहते हैं और इस स्थिति में ज़रा भी असहज महसूस नहीं करते, परन्तु मनुष्य अपने प्राकृतिक (अर्थात् अनावृत) रूप में कभी सहज महसूस नहीं करता, बल्कि उसमें लाज-शर्म का तत्व पाया जाता है, और प्राकृतिक (अनावृत) रूप में उसे ऐसा महसूस होता है, मानो उसका कुछ खो गया हो। आइए देखते हैं कि वह क्या चीज़ थी, जो उससे छीन ली गयी, जिसकी कमी आज भी उसे महसूस होती है और जिसे वह कृत्रिम रूप से पूरा करने पर विवश है–

"और जब हमने फ़रिश्तों से कहा कि 'आदम को सजदा करो।' तो उन्होंने सजदा किया सिवाय इबलीस के, वह इनकार कर बैठा। इसपर हमने कहा, 'ऐ आदम! निश्चय ही यह तुम्हारा और तुम्हारी पत्नी का शत्रु है। ऐसा न हो कि यह तुम दोनों को जन्नत (स्वर्ग) से निकलवा दे और तुम कष्ट में पड़ जाओ। तुम्हारे लिए तो ऐसा है कि न तुम यहां भूखे रहते हो न नंगे। और यह कि न यहां प्यासे रहते हो और धूप की तकलीफ़ उठाते हो।' फिर शैतान ने उसे उकसाया। कहने लगा, 'ऐ आदम! क्या मैं तुझे शाश्वत जीवन के वृक्ष का पता दूं और ऐसे राज्य का जो कभी जीर्ण न हो?' अन्ततः उन दोनों ने उसमें से खा लिया, जिसके परिणाम स्वरूप उनके गुप्तांग उनके सामने खुल गये और वे दोनों अपने ऊपर बाग़ के पत्ते जोड़-जोड़कर रखने लगे। और आदम ने अपने रब की अवज्ञा की, तो वह मार्ग से भटक गया।" (कुरआन, 20:115-121)

इन आयतों से मालूम होता है कि जन्नत में निश्चय ही आदम और उनकी पत्नी को प्राकृतिक रूप से कोई ऐसा आवरण प्राप्त था जिससे उन्हें नंगेपन का आभास न होता था, न एक-दूसरे के सामने शर्म महसूस होती थी। परन्तु निषिद्ध फल चखते ही जो सबसे पहली सुविधा उनसे छीनी गयी वह वही प्राकृतिक वस्त्रों की सुविधा थी। जिसकी पहली प्रतिक्रिया यह हुई कि वे वस्त्रों का प्रबन्ध करने पर मजबूर हुए और सामने पत्तों का पाकर उन्हीं से सही, अपने अंगों को ढंकने का प्रयास करने लगे। मानव की इस संवेदना को हम आज भी उसके बचपन में देख सकते हैं। हम देखते हैं कि इन्सान का बच्चा भी जैसे-जैसे बड़ा होता जाता है, शर्म और लाज़ का यह एहसास उसमें विकसित होने लगता है। क्या धरती के किसी और जीव में हम इस तरह की संवेदना की कल्पना भी कर सकते हैं?

सुख-सुविधाओं वाले जीवन की चाह

कुरआन का अध्ययन हमें यह भी बताता है कि जन्नत,

जो कि इन्सान का पहला वास था, और मरने के बाद अच्छे कर्मों के बदले उसे फिर उसी में जाना है, वह अन्यन्त आरामदायक स्थान है। न वहां रोज़ी कमाने की चिन्ता होगी, न खाना-पकाने का झंझट। न उसे धूप सताएगी, न सर्दी से उसका बुरा हाल होगा। सब कुछ बस इच्छा करने भर से प्राप्त हो जाएगा। कुरआन में ईश्वरीय आदेशों के अनुरूप जीवन बितानेवालों से से यह वादा किया गया कहा गया है कि इसके प्रतिदान स्वरूप उन्हें धरती के इस जीवन के बाद उनके अस्ल घर अर्थात् परलोक में वह सब कुछ मिलेगा जिसकी वे इच्छा करेंगे–

"उनके लिए (जन्नत में) मेवे हैं और वह सब कुछ जिसकी वे मांग करें।" (कुरआन, 36:57)

दूसरी जगह कहा गया–

".....किन्तु जो लोग ईमान लाए और उन्होंने अच्छे कर्म किये, वे जन्नतों की वाटिकाओं में होंगे। उनके लिए उनके रब के पास वह सब कुछ है जिसकी वे इच्छा करेंगे। वही तो बड़ा उदार अनुग्रह है।" (कुरआन, 42:22)

अब ज़रा मनुष्य की मनोवृत्ति पर विचार कीजिए। संसार के किसी अन्य प्राणी में इच्छा या अभिलाषा जैसी कोई चीज़ नहीं पायी जाती। यह इन्सान ही है, जिसकी इच्छाएं असीमित हैं, जो कभी समाप्त नहीं होतीं। एक पूरी होती है, तो दूसरी जाग उठती है। अपनी असीमित इच्छाओं की पूर्ति के लिए मनुष्य सारा जीवन संघर्षरत रहता है, यहां तक कि वह इसके लिए उचित-अनुचित तथा वैध-अवैध की भी परवाह नहीं करता। यहां तक कि इन्सान का यह सांसारिक जीवन समाप्त हो जाता है, परन्तु इच्छाओं का अन्त नहीं होता।

कुरआन हमें बताता है कि मनुष्य की इस सन्तुष्टि का सामान भी इस लोक में नहीं, बल्कि उसी लोक में पाया जाता है, जहां से वह आया है।

शाश्वत जीवन की चाह

धरती के किसी अन्य प्राणी के बारे में नहीं सुना कि उसने अपने भविष्य के लिए कोई लम्बी चौड़ी प्लॉनिंग की हो। यह विशिष्टता भी मनुष्य नामक प्राणी ही में पायी जाती है, जो न केवल इस धरती पर, यह जानते हुए भी कि एक न एक दिन उसे मरना है, वह अधिक से अधिक जीना चाहता है। हालांकि वह आए दिन लोगों को बूढ़ा होते और फिर मरते हुए देखता है, परन्तु फिर भी वह अपनी इस इच्छा का परित्याग नहीं कर पाता। गौतम बुद्ध के बारे में कहा जाता है कि वे मानव जीवन की इसी क्षणभंगुरता (अर्थात् रुग्णावस्था, वृद्धावस्था तथा मरणावस्था) से घबरा गये थे और सब कुछ छोड़कर निर्वाण की तलाश में निकल गये थे।

कुरआन का अध्यन हमें बताता है कि इन्सान की यह इच्छा भी कोई अस्वाभाविक नहीं है, बल्कि यह इन्सान वस्तुत: जिस लोक का वासी है, वहां कुछ ऐसी ही व्यवस्था है, जिससे इन्सान को कभी मौत न आएगी।

ईश्वरीय आदेशों के अनुरूप जीवन गुज़ारने के प्रतिदान स्वरूम जिन नेमतों का उल्लेख कुरआन में किया गया है, उनमें उनके शाश्वत होने की बात भी कही गयी है, बल्कि सच तो यह है परलोक के शाश्वत जीवन के उल्लेख से तो कुरआन भरा पड़ा है, यहां तो केवल कुछ उदाहरण ही दिये जा रहे हैं–

"इसके विपरीत जो लोग ईमान लाये और उन्होंने अच्छे कर्म किये – हम किसी पर उसकी सामर्थ्य से बढ़कर बोझ नहीं डालते – वही लोग जन्नतवाले हैं। वे उसमें सदैव रहेंगे।" (कुरआन, 7:42)

"ईमानवाले (आस्थावान) पुरुषों और ईमानवाली स्त्रियों से अल्लाह ने ऐसे बाग़ों का वादा किया है जिनके नीचे नहरें बह रही होंगी, जिनमें वे सदैव रहेंगे और सदाबहार बाग़ों में पवित्र निवास गृहों का (भी वादा है) और अल्लाह की प्रसन्नता का, जो सबसे बढ़कर है। यही सबसे बड़ी सफलता है।" (कुरआन, 9:72)

"अच्छे से अच्छा कर्म करनेवालों के लिए अच्छा बदला है और इसके अतिरिक्त और भी। और उनके चेहरों पर न तो कलौंस छाएगी और न अपमान। वही जन्नतवाले हैं, वे उसमें सदैव रहेंगे।" (कुरआन, 10:26)

सदा जवान रहने की चाह

इन्सान की एक इच्छा सदैव जवान रहना भी है। यह प्रवृत्ति भी केवल मानव नामक प्राणी ही में पायी जाती है। संसार का कोई और प्राणी सदा जवान बने रहने के लिए ऐसे जतन नहीं करता, जैसे मनुष्य करता है। खाने-पीने से लेकर मेकअप और व्यायाम तक का सहारा लेता है। उसकी पूरी कोशिश होती है कि वह उम्र की उस कड़वी सच्चाई को

झुठला दे और सदा जवान और स्वस्थ बना रहे।

कुरआन का अध्ययन हमें यह बताता है कि मनुष्य की यह इच्छा भी अस्वाभाविक नहीं है, बल्कि शाश्वत जीवन की अपेक्षा भी यही है कि इन्सान हमेशा जीने के साथ जवान और स्वस्थ भी रहे। वरना बुढ़ापे और कमज़ोरी की हालत में जीना भी कोई जीना होता है? और शाश्वत जीवन का उल्लेख तो कुरआन में जगह-जगह मिलता है। साथ ही मनुष्य की इस इच्छा की पूर्ति के लिए भी कुरआन में इशारा किया गया है–

"इन (अनुकम्पाओं) में निगाह बचाए रखने वाली (सुन्दर) स्त्रियां होंगी, जिन्हें उन (जन्नत वालों) से पहले किसी मनुष्य ने हाथ न लगाया होगा और न किसी जिन्न ने।" (कुरआन, 55:56)

इस आयत की व्याख्या में सुप्रसिद्ध इस्लामी विद्वान मौलाना अबुल आला मौदूदी (रह०) लिखते हैं–

"इसका मतलब यह है कि दुनिया की ज़िन्दगी में चाहे कोई स्त्री कुंआरी मर गयी हो या किसी की पत्नी रह चुकी हो, जवान मरी हो या बूढ़ी होकर दुनिया से विदा हुई हो, परलोक में जब ये सब सदाचारी स्त्रियां जन्नत में प्रवेश करेंगी तो जवान और कुंआरी बना दी जाएंगी और वहां उनमें से जिस स्त्री को भी किसी सदाचारी पुरुष की जीवन संगिनी बनाया जाएगा, वह जन्नत में अपने उस पति से पहले किसी के संसर्ग में नहीं आयी होगी।"

इस बात का उल्लेख इस्लाम के पैग़म्बर हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) की हदीसों से मिलता है–

हज़रत अबू सईद खुदरी (रज़ि०) और हज़रत अबू हुरैरा (रज़ि०) से उल्लिखित है कि अल्लाह के रसूल (सल्ल०) ने फ़रमाया, "(जन्नत में) एक पुकारने वाला पुकारेगा कि (ऐ जन्नतवालो) तुम्हारे लिए यह तय हो चुका है कि तुम स्वस्थ रहोगे, कभी बीमार नहीं पड़ोगे, तुम ज़िन्दा रहोगे कभी मरोगे नहीं, तुम जवान रहोगे, कभी बूढ़े नहीं होगे, तुम सुख-सुविधाओं में रहोगे, कभी दुख-तकलीफ़ का शिकार नहीं होगे।" (सहीह मुस्लिम)

हज़रत अबू हुरैरा (रज़ि०) ही से उल्लिखित एक और हदीस में है कि अल्लाह के रसूल (सल्ल०) ने फ़रमाया कि "जो व्यक्ति जन्नत में दाख़िल हो जाएगा वह हमेशा ऐश में रहेगा, उसे कोई दुख नहीं एवं कष्ट नहीं पहुंचेगा। न उसके कपड़े पुराने होंगे और न उसकी जवानी समाप्त होगी।" (सहीह मुस्लिम)

धरती के अन्य प्राणियों के विपरीत मानव में पायी जाने वाली ये विशेषताएं सिद्ध करती हैं कि वह मात्र कोई सामाजिक जानवर नहीं है, जिसमें अन्य जानवरों से भिन्न अगर कोई बात है तो बस यह कि वह विकास के विभिन्न चरणों से गुज़रकर यहां तक पहुंच गया है, बल्कि उसकी उत्पत्ति का उद्देश्य अन्य जानवरों से बिलकुल भिन्न है और उसका अन्त भी उनसे भिन्न ही होगा। उसकी उत्पत्ति न इस धरती पर हुई है और न वह इसमें विलीन होकर समाप्त हो जाएगा। बल्कि उसका जन्म किसी और लोक में हुआ है और इस धरती पर अपना संघर्षपूर्ण जीवन बिताने के बाद उसे अपने वास्तविक लोक ही जाना है, जहां के लिए न केवल वह बना है, बल्कि वहीं उसकी वे इच्छाएं भी पूरी होंगी, जिन्हें अज्ञानतावश वह इस धरती पर भी पूरा करने के प्रयास में लगा दिखायी देता है।

ANSARI STONE KOTA

Deals in :
ALL TYPES OF SAND STONE
(RED, BLUE, BROWN ETC.)

MACHINE CUT & HAND CUT SAND STONE





KOTA STONE

Address :
RAM NAGAR NEW STONE MANDI
KOTA RAJASTHAN

Mobile : 9829039190, WhatsApp : 9660853702

महिलाओं पर अत्याचार का हो अन्त

■ ख़ान शाहीन

हर बार यही होता है। मैं उठती हूं अख़बार उठाती हूं और वही गैंगरेप, छेड़छाड़ और कुचली हुई किसी कमज़ोर सी जान को आंखों के सामने पाती हूं। बार-बार एक ही सवाल ज़ेहन में करवट लेता है कि क्या कभी अन्त होना है इन घटनाओं का? फ़क़त औपचारिकताएं हैं। न इससे पहले कुछ था न इसके बाद कुछ है। याद है दिल्ली की दामिनी? शायद आपको न याद हो, परन्तु मुझे याद है और हर लम्हा रहेगी। याद करती हूं तो ठहर जाती हूं, दिमाग़ सोचना बन्द कर देता है, ठिठुरन सी होती है दरिंदगी की हद थी और भूखे भेड़ियों के बीच एक नन्हीं सी जान। वह कई दिनों अस्पताल में रही और आख़िरी सांस के जाते एक सवाल छोड़ गयी कि 'उसे किस जुर्म में मारा गया' हां औपचारिकताएं हैं.. हैं और रहेंगी, क्योंकि इस समाज में इंसानियत ख़त्म हो रही है, किसी को कोई मतलब नहीं है।

आज से 4 साल पहले सीकर में एक 11 साल कि मासूम बच्ची को कुचला गया। इन दरिंदो ने उसे भी अपने पागलपन का, अपनी हवस का शिकार बनाया। प्रशासन ने औपचारिकताएं निभा दीं। वह अस्पताल में लड़ती रही और हमारा समाज औपचारिकताओं में बह गया। सड़कों पर लोग मोमबत्तियां लेकर निकल पड़े। हर तरफ़ आवाज़ उठने लगी। सरकारी वादों कि बहार आ गयी, फ़क़त औपचारिकताएं कुछ नहीं कर सकतीं। इन दरिंदों पर रोक लगाओ। इन हरकतों पर रोक लगाओ.....इसी घटना के बाद सामने आया कि प्रदेश में पिछले 11 माह मे 865 थानों में 3317 दुष्कर्म के मामले दर्ज हुए। इनमें से 1233 में FIR लगाई गयी लेकिन क़रीब 750 मामले बन्द कर दिये गये। दुष्कर्म के ज़्यादातर मामलों में मोटी रक़म लेकर पीड़िता और अपराधियों के बीच पुलिस कर्मियों द्वारा सुलह करायी गयी..क्या यही कर्तव्य है प्रशासन का? और क्या हम ख़ुद भी सोये हुए नहीं है? जो इन घटनाओं पर अफ़सोस जताने के सिवा कुछ नहीं करते...

कब एक लड़की को यक़ीन हो जायेगा कि हां मेरे साथ या कभी किसी के साथ यह घटना नहीं होने वाली?

कितने अभियान चलाये गये, कितने ही क़ानून बनाये गये, कितने उन मासूम लड़कियों के लिए कैंडल मार्च निकाले गये, उसके बावजूद भी हमें इस चीज़ के ख़त्म होने का कोई रास्ता नज़र नहीं आता....

फिर वह कौन-सा क़ानून था, जो 1400 साल पूर्व मुहम्मद साहब ने बनाया था कि औरतों और लड़कियों को इस चीज़ का भय नहीं था कि अगर वह अकेली जायेगी तो उनके साथ कुछ बुरा हो सकता है, वह क़ानून ऐसा ही था कि अगर औरत कश्मीर से कन्याकुमारी तक भी अगर जाये तो बिना भय के जा सकती थी...

मदीना में वह कौन-सी लहर दौड़ी थी, जिसने बुराइयों को ख़त्म कर दिया और उसे अमन का शहर बना दिया था। वह थी इस्लाम की लहर, वह था अल्लाह का क़ानून, जिसने बुराइयों को जड़ से ख़त्म कर दिया था।

अगर इंसान जो अक़्ल रखने वाला है, वह थोड़ा भी अपने दिमाग़ पर ज़ोर डाल कर सोचे तो क्या वह यह नहीं पायेगा कि इन दुष्कर्मों की जड़ यह भी है कि औरत का बेपर्दा होकर बाहर जाना और मर्द यह बेहया काम इसलिए कर गुज़रता है कि वह शराब या किसी और नशे में चूर रहता है ।

पिछले दिनों अख़बारों में मैने पढ़ा कि अगर प्रशासन कुछ नहीं कर सकता है तो लड़की को अपनी हिफ़ाजत ख़ुद करनी है। अगर उनको इन दुष्कर्मो से बचना है तो इन इन चीज़ों का ख़याल रखें और नीचे बहुत सी बाते पॉइंट की गयीं, जिसमें एक पॉइंट पढ़ कर आंखें वही कुछ वक़्त के लिए ठहर गयीं।

-'लड़कियां पब और डिस्को में जायें तो छोटे कपड़े पहन कर न जायें'

ये ऊपर के शब्द इस बात की दलील हैं कि छोटे कपड़ों में न कोई आज़ाद है न ही सुरक्षित...

मैं ये बात यक़ीन के साथ कह सकती हूं कि अगर लोग इस्लाम को समझें और उस पर अमल करें तो इन

हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान (रज़ि॰) से उल्लिखित है कि अल्लाह के रसूल (सल्ल॰) ने फ़रमाया : "जो व्यक्ति इस हाल में मरा कि वह (यक़ीन के साथ) जानता था कि अल्लाह के सिवा कोई इलाह (पूज्य-प्रभु) नहीं है, वह जन्नत में दाख़िल होगा ।"

(मुस्लिम)

A Well Wisher

MOTIHARI (BIHAR)

गोडसे को महिमामंडित करने के निहितार्थ

■ सुफ़ियान अहमद



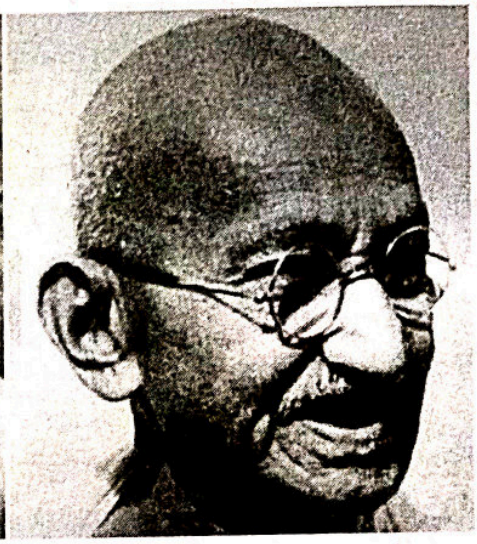

30 जनवरी वर्ष 1948, समय लगभग पांच बजकर 15 मिनट, जब एक अस्सी साल का बूढ़ा व्यक्ति लोगों का सहारा लेकर एक मैदान पार कर रहा था, तभी एक आदमी ने उस बूढ़े आदमी के कमज़ोर से जिस्म में तीन गोलियां उतार दीं। मारनेवाले को इस बूढ़े आदमी से नफ़रत थी क्या? इस कमज़ोर से जिस्म से अस्सी साल पुराने जिस्म से नफ़रत थी? क्या वह उसे मारना चाहता था या कुछ और मारना चाहता था?

वह उस विचार को वह उस सोच को, उस स्वप्न को, उस उम्मीद को मारना चाहता था, जिसका नाम गांधी था। लेकिन, अभिलाषा और स्वप्न, उम्मीद और उसूल व सच्चाइयां गोलियों से नहीं मरतीं। सो गांधी जिन्दा हैं। यह बात उन लोगों को ज़्यादा पता है जिन्हें गांधी से नफ़रत है। उनकी हिम्मत नहीं होती, वे गांधी जिनके हर आदर्श हर उसूल के ये खिलाफ़ हैं कि उनकी बुराई कर सकें। अब भी उन्हें राजघाट पर हाथ जोड़कर खड़ा होना पड़ता है।

ये वो चूहे हैं, जो गांधी के पैर धीरे-धीरे कुतर रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि इस बुत का क़द कम कर लेंगे। पर ऐसा होने वाला नहीं है। इसलिए कि गांधी किसी दिल में कम, किसी दिल में ज़्यादा, किसी सोच में कम किसी सोच में ज़्यादा हर हिदुस्तानी में जिन्दा हैं। लेकिन, साथ ही साथ यह भी स्पष्ट रहे कि सिर्फ़ गांधी ही नहीं जिन्दा हैं।

गांधी को मारने वाला जिसे कुछ दिनों में फांसी हो गयी थी, वह भी ज़िन्दा है। इसलिए कि वह भी एक सोच था, वह भी एक विचारधारा था। वह सिर्फ़ एक आदमी नहीं था। एक आदमी ने गोली नहीं मारी थी। एक विचारधारा ने, एक सोच ने, एक विचार ने, एक सामाजिक-राजनैतिक विचारधारा ने गोली मारी थी और वह भी ज़िन्दा है।

आज भी देश के हर गांव में, हर गली में, हर शहर में, हर सड़क पर कहीं एक गांधी चल रहा है और कहीं एक गोडसे पिस्तौल लिए खड़ा है। हत्या हो रही है, होती रहती है, लेकिन गोडसे की गोलियां नहीं खत्म होतीं और गांधी की ज़िन्दगी नहीं ख़त्म होती।

गांधी को उस दिन तो नहीं बचा पाये थे 1948 में हम, लेकिन अब हमें गांधी को बचाना है। इसलिए कि क़ातिल तो अब भी लगा हुआ है और ये क़ातिल वह विचारधारा है जो गांधी के ख़िलाफ़ थी और वह ताक़तवर होती जा रही है। हमें उससे लड़ना है।

हाल के लोकसभा चुनाव के दौरान नाथूराम गोडसे को लेकर जिस प्रकार बयानबाज़ियां की गयीं और बाद में अखिल भारतीय हिंदू महासभा के सदस्यों द्वारा गांधी जी के हत्यारे नाथूराम गोडसे के जन्मदिवस पर यज्ञ किया गया और मिठाइयां बांटी गयीं और उसे महिमामंडित किया गया, वह वास्तव में बहुत चिंतित करने वाली बात है।

नाथूराम गोडसे ने तो गांधी के शरीर की हत्या की थी, लेकिन ऐसे लोग तो उनकी आत्मा की हत्या के साथ, अहिंसा, शांति, सहिष्णुता और भारत की आत्मा की हत्या कर रहे हैं। इससे पहले भी हिन्दू महासभा इस तरह के आयोजनों में गोडसे का महिमामंडन कर चुकी है। इसी साल 30 जनवरी को गांधी जी की पुण्य तिथि पर हिन्दू महासभा द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में गांधी जी के प्रतीकात्मक पुतले में गोली मारी गयी थी। वर्ष 2017 में हिन्दू महासभा ने ग्वालियर में गोडसे को समर्पित एक मन्दिर भी बनाया था।

गांधी जी के हत्यारे गिरोह के सरग़ना नाथूराम गोडसे

को महिमामंडित करने के जो प्रयास इन दिनों किये जा रहे हैं, वे नये नहीं हैं। गोडसे का संबंध राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से बताया जाता रहा है और इसीलिए गांधीजी की हत्या के बाद देश के तत्कालीन गृह मंत्री सरदार वल्लभभाई पटेल ने संघ पर प्रतिबंधा लगा दिया था।

हालांकि संघ गोडसे से अपने संबंधों को हमेशा नकारता रहा है और अपनी इस सफ़ाई को पुख़्ता करने के लिए वह गोडसे को गांधी का हत्यारा भी मानता है और उसके कृत्य को निंदनीय क़रार भी देता है। लेकिन सवाल उठता है कि आख़िर क्या वजह है कि केंद्र में भारतीय जनता पार्टी के सत्तारूढ़ होने के बाद ही गोडसे को महिमामंडित करने का सिलसिला तेज़ हो गया?

इस सिलसिले में एकाएक उसका मंदिर बनाने के प्रयास शुरू हो गए। उसकी 'जयंती' और 'पुण्यतिथि' मनायी जाने लगी। उसे 'चिंतक' और यहां तक कि 'स्वतंत्रता सेनानी' और 'शहीद' भी बताया जाने लगा। सवाल यह है कि केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार बनने के साथ ही गोडसे भक्तों के इस पूरे उपक्रम के शुरू होने को क्या मात्र संयोग माना जाए या कि यह सब कुछ किसी सुनियोजि कार्यक्रम के तहत हो रहा है?

गांधी के जिस हत्यारे को इस तरह महिमामंडित किया जा रहा है, उसके बारे में यह जानना दिलचस्प है कि वह गांधी की हत्या से पहले तक क्या था? क्या वह चिंतक था, ख्याति प्राप्त राजनेता था, हिंदू महासभा का ज़िम्मेदार पदाधि कारी या स्वतंत्रता सेनानी था?

दरअस्ल नाथूराम गोडसे कभी इतनी ऊचाइयों के दूर-दूर तक भी नहीं पंहुच पाया था। पुणे शहर के उसके मुहल्ले सदाशिव पेठ के बाहर उसे कोई नहीं जानता था, जबकि तब वह चालीस वर्ष की आयु के समीप था। नाथूराम स्कूल से भागा हुआ छात्र था। नूतन मराठी विद्यालय में मिडिल की परीक्षा में फ़ेल हो जाने पर उसने पढ़ाई छोड़ दी थी। उसका मराठी भाषा का ज्ञान भी नाम मात्र ही था। अंग्रेज़ी का ज्ञान होने का तो सवाल ही नहीं उठता।

नाथूराम की युवावस्था किसी ख़ास घटना अथवा विचार के लिए नहीं जानी जाती। उस समय उसके हमउम्र लोग भारत में क्रांति का अलख जगा रहे थे, जेल जा रहे थे, शहीद हो रहे थे। स्वाधीनता संग्राम की इस हलचल से नाथूराम का ज़रा भी सरोकार नहीं था। नाथूराम को उसके प्रशंसक एक धर्मनिष्ठ हिंदू के तौर पर भी प्रचारित करते रहे हैं लेकिन तीस जनवरी की ही शाम की एक घटना से साबित होता है कि नाथूराम कैसा और कितना धर्मनिष्ठ था। गांधी जी पर पर तीन गोलियां दाग़ने के पूर्व वह उनका रास्ता रोककर खड़ा हो गया था।

पोती मनु ने नाथूराम से एक तरफ़ हटने का आग्रह किया था, क्योंकि गांधीजी को प्रार्थना के लिए देरी हो गई थी। धक्का-मुक्की में मनु के हाथ से पूजा वाली माला और आश्रम भजनावली ज़मीन पर गिर गयी थी, लेकिन नाथूराम उसे रौंदता हुआ ही आगे बढ़ गया था, 20वीं सदी का जघन्यतम अपराध करने।

जो लोग नाथूराम गोडसे से ज़रा भी सहानुभूति रखते हैं, उन्हें इस निष्ठुर हत्यारे के बारे में एक और प्रमाणित तथ्य पर ग़ौर करना चाहिए। वह आज़ाद भारत का बाशिंदा था और उसे भारतीय क़ानून के तहत ही उसके अपराध के लिए मृत्युदंड की सज़ा सुनायी गयी थी। फिर भी उसने अपने मृत्युदंड के फ़ैसले के ख़िलाफ़ लंदन की प्रिवी कांउसिल में अपील की थी। उसका अंग्रेज़ वकील था जान मेगा।

नाथूराम का उद्देश्य कितना पैशाचिक रहा होगा, इसका अनुमान इस बात से लगाया जा सकता है कि गांधीजी की हत्या के बाद पकड़े जाने पर ख़ाकी निकर पहने नाथूराम ने अपने को मुसलमान बताने की कोशिश की थी। इसके पीछे उसका मक़सद देशवासियों के रोष का निशाना मुसलमानों को बनाना और उनके ख़िलाफ़ हिंसा भड़काना था।

नाथूराम गोडसे जिसने एक निहत्थे बूढ़े, परम सनातनी हिंदू और राम के अनन्य-आजीवन भक्त का सीना गोलियों से छलनी कर दिया। ऐसे हत्यारे को महिमामंडित एवं प्रतिष्ठित करने के प्रयास तो शर्मनाक हैं ही, ऐसे प्रयासों पर सत्ता में बैठे लोगों का समर्थन भी कम शर्मनाक और ख़तरनाक नहीं।

KANTI
Current A/c. No. :0990839195
IFS Code : IDIB000J029
Indian Bank, Jamia Millia Islamia branch
New Delhi 110025
कृपया पैसा जमा करने के बाद फोन न. 011-26949430,
मोबाइल न. 9818799223 या ई मेल :
managerkantidelhi@gmail.com पर अवश्य
सूचित करें।

समाज निर्माण में धर्म गुरुओं की भूमिका

■ संपादन प्रभाग

भारतीय धर्म संसद के नेशनल कन्वीनर गोस्वामी सुशील कुमार जी महाराज ने देश में साम्प्रदायिक सौहार्द के महत्व पर बोलते हुए कहा कि हमारे देश की साझा संस्कृति बहुत प्राचीन है। मत अनेकता में एकता की सभ्यता रही है। यहां विभिन्न धर्मावलंबियों के बीच पारस्परिक सम्बन्ध बहुत पुराना है। धर्म अलग-अलग होने के बावजूद हमारे बीच भाईचारे का रिश्ता सदियों से बना हुआ है।

जमाअत इस्लामी हिन्द के हेडक्वार्टर द्वारा आयोजित गोष्ठी 'देश में साम्प्रदायिक सौहार्द बनाये रखने में धर्म गुरुओं की भूमिका' में अपने विचार व्यक्त करते हुए श्री सुशील कुमार जी महाराज ने कहा कि बड़े दुख का विषय है कि पिछले कुछ वर्षों से हमारे देश में साम्प्रदायिक सद्भाव को जान-बूझकर बिगाड़ा जा रहा है। आज यह विचार करने की ज़रूरत है कि वह कौन सी शक्तियां हैं, जो इस आपसी भाईचारे को तोड़ना चाहती हैं। ऐसे में धर्मगुरुओं की ज़िम्मेदारी बहुत बढ़ जाती है।

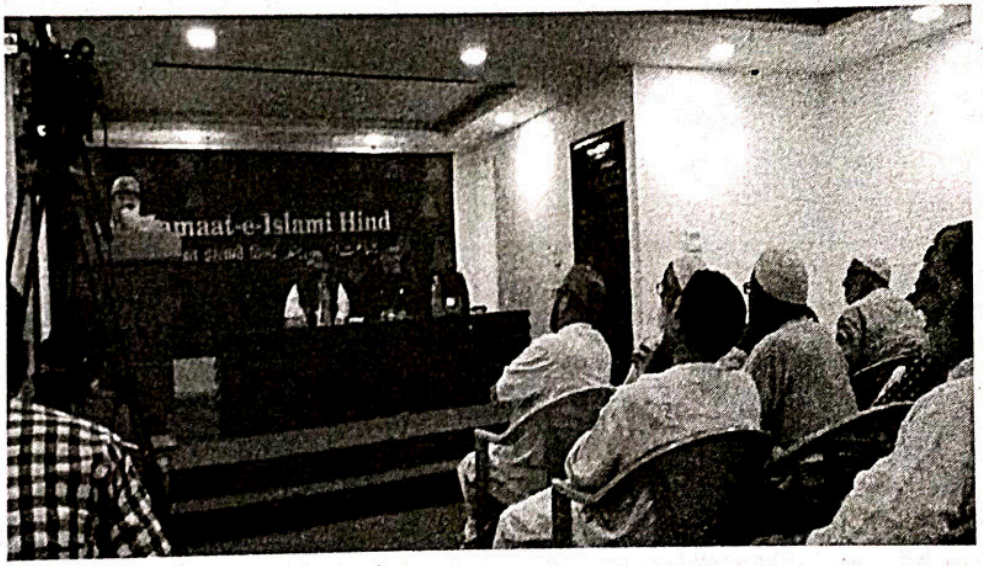

उन्होंने कहा कि यह देश किसी सम्प्रदाय विशेष का कभी नहीं था। देश को तोड़ना किसी के भी हित में नहीं हो सकता। मैं देश तोड़ने वालों को यह याद दिलाना चाहता हूं कि इससे सभ्यताएं नहीं मरतीं, तहज़ीबें हर हाल में जीवित रहती हैं। मैं तो पाकिस्तान को भी अपना समझता हूं, क्योंकि हमारी और उनकी तहज़ीब एक है। 70 वर्षों से अलग रहकर भी वह अलग नहीं हुआ, वह हमारा अपना है।

राष्ट्रवाद के बारे में बात करते हुए गोस्वामी जी ने आशंका व्यक्त की कि क्या हम धर्म के नाम पर एक और विभाजन की ओर बढ़ रहे हैं।

धर्मगुरुओं की भूमिका पर बोलते हुए उन्होंने 'महाभारत' से द्रौपदी के चीरहरण की मिसाल दी कि अगर धर्मगुरु ध तराष्ट्र की तरह आंखें मूंदकर बैठे रहे तो अनर्थ होता रहेगा। धर्मगुरुओं को अपना स्थान समझना चाहिए। उनकी भूमिका महत्वपूर्ण है, उनकी शक्ति असीम है। जनता उनकी बातें आस्था और विश्वास से सुनती है।

गोष्ठी के अध्यक्षीय भाषण में अमीर जमाअत इस्लामी हिन्द जनाब सआदतुल्लाह हुसैनी ने कहा कि समाज निर्माण में धर्म की रचनात्मक भूमिका होती है। समाज में नैतिक मूल्यों और सद्गुणों को फैलाने का काम धर्म के माध्यम से ही किया जा सकता है। कुछ शक्तियां धर्म का ग़लत इस्तेमाल कर नफ़रत को फैलाने और समाज को तोड़ने का काम कर रही हैं। ऐसे में धर्म के सच्चे प्रतिनिधियों को आगे आना चाहिए। धर्म की रचनात्मक भूमिका को पुनर्जीवित करना चाहिए। समाज के भले लोग अगर तटस्थ हो जाएंगे तो वही स्थिति पैदा होगी जिसकी मिसाल सुशील जी महाराज ने 'महाभारत' से दी। समाज में बुराइयां केवल बुरे लोगों की सक्रियता से ही नहीं फैलतीं, बल्कि भले लोगों की ख़ामोशी और तटस्थता से भी फैलती हैं।

भले लोगों को समाज में भलाई स्थापित करने के काम के साथ बुराई को रोकने का प्रयास भी जारी रखना चाहिए। स्पष्ट है कि यह किसी एक धर्म के लोगों की ज़िम्मेदारी नहीं है। हमारे देश में विभिन्न धर्मों के प्रतिनिधि परस्पर सहयोग से यह काम कर सकते हैं। इसके लिए विभिन्न धर्मों के बीच संवाद की ज़रूरत है।

अनाथ लड़कों की पुकार

VOICE OF ORPHAN BOYS

यतीमख़ाना इस्लामिया (गया)



एक परिचय

● दीनी और असरी शिक्षा की अपनी तरह की जानी-मानी रिहाइशी पाठशाला ● 102 वर्षों की सेवाएं ● बहुत से विभाग ● शिक्षा के पड़ाव : प्राथमिक से मैट्रिक तक ● हिफ़्ज़ का विभाग : हिफ़्ज़ के साथ-साथ मैट्रिक ● हर वर्ष बिहार स्कूल बोर्ड परीक्षा का 100 प्रतिशत रिज़ल्ट ● पत्राचार शिक्षा 2019-2020 के सत्र के लिए आइ०ए०, बी०ए०, एम०ए० और लाइब्रेरी साइंस (BLiS) में प्रवेश जारी ● कंप्यूटर की भी शिक्षा ● किफ़ाला स्कीम के तहत एक अनाथ छात्र पर वार्षिक ख़र्च 20,000/- रुपये प्रति वर्ष ● कुल वार्षिक ख़र्च 25 लाख से अधिक ● आमदनी का स्रोत : मुस्लिम अवाम के चन्दे ● 70 अनाथ बच्चे जिनका पूरा ख़र्च इदारा ही उठाता है ।

● जिस रूप में संभव हो मदद करके अल्लाह से बड़ा इनाम प्राप्त करें–उदाहरण के लिए ● ज़कात ● सदक़े ● अतिया ● पैदावार की ज़कात ● कुरबानी की खाल ● एक अनाथ बच्चे का वार्षिक ख़र्च ● अपने या किसी बुज़ुर्ग के नाम पर कमरा या हॉल बनवाना आदि ।

● याद रखें यहां हर वर्ष ऑडिट (Audit) भी कराया जाता है । आप खुद यतीमख़ाना इस्लामिया पहुंच कर बराबरी का व्यावहारिक नमूना अपनी आंखों से देखें कि किस प्रकार अनाथ और मां-बाप वाले बच्चे मिल-जुलकर रहा करते हैं ।

नोट : इनायत टेक्निकल इंस्टीट्यूट (Technical Institute) की इमारत के निर्माण का काम पूरा हो चुका है ।

यह इदारा आप से उदार सहायता की अपील करता है ।

नोट : यह इदारा विदेशी मुद्रा के क़ानून FCRA के तहत भी रजिस्टर्ड है ।

Foreign Donors विदेशी चन्दा देने वाले

अब आप विदेश से BANK A/c No. 300402010000187

BANK SWIFT CODE NO. UBININBBJAM,

UNION BANK OF INDIA (MAIN BRANCH, GAYA)

में अपनी रक़म भेज सकते हैं

चेक या ड्राफ्ट पर केवल यह लिखें–THE GAYA MUSLIM ORPHANAGE

चेक, ड्राफ़्ट, मनीऑर्डर या ख़त भेजने का पता

Hon. SECRETARY, THE GAYA MUSLIM ORPHANAGE

At+P.o : CHERKI-824237, Distt : GAYA (BIHAR) INDIA

Local Donors मक़ामी चन्दा देने वाले

CORE BANKING A/C NO.: 300402010010581, Mobile : 09955655960, 09801213022

Bank IFS Code No. : UBIN 0530042

BANK, UNION BANK OF INDIA (MAIN BRANCH, GAYA)

E-mail : gmocde@yahoo.co.in, Website : www.gmogaya.com

Note : Documentary Film–NAZR-E-ENAYAT जिसमें इदारे का इतिहास है। इंटरनेट यू ट्यूब पर देखें।

नोट : कोर बैंकिंग वाले हज़रात E-mail या डाक से अपना मुकम्मल पता भेज दिया करें ताकि उसी पते पर रक़म की रसीद रवाना की जा सके ।

अध्यक्ष : डॉ० फ़रासत हुसैन **एज़ाज़ी नाज़िम : डॉ० मुहम्मद एहतिशाम रसूल**

सत्य के विरोध ही ने दिखाया सन्मार्ग

■ संपादन प्रभाग

हॉलैंड के राजनितिज्ञ गीर्ट वाइल्डर्स की पार्टी, 'पार्टी फॉर फ्रीडम-पी॰वी॰वी॰' के पूर्व सदस्य जोराम वान क्लेवरेन ने घोषणा की है कि उन्होंने इस्लाम क़बूल कर लिया है। उन्होंने कहा है कि इस्लाम के विरोध में एक किताब लिखते हुए उनका हृदय इस्लाम के लिए खुल गया। इस लेखन के दौरान उनके सामने अनगिनत चीज़ें आयीं, जिन्होंने इस्लाम के विषय में उनके पूर्व के दृष्टिकोण को ग़लत साबित कर दिया।

उनके प्रकाशक का कहना है कि वान क्लेवरेन, जो कि एक प्रोटेस्टेंट ईसाई थे, इस्लाम की आलोचना में एक किताब के लिए अध्ययन कर रहे थे। बुक पब्लिशिंग हाउस के चेयरमैन मुहम्मद बिन हैम्मोक का कहना है कि 'हमें उम्मीद है कि इस किताब की मदद से इस्लाम को लेकर समाज में फैली बहुत सी भ्रांतियां दूर होंगी।' क्लेवरेन का कहना है कि 'इसे लिखने के दौरान मेरे सामने बार-बार ऐसे तथ्य आये, जिन्होंने मेरा झुकाव इस्लाम की ओर कर दिया।' एक आर्थोडाक्स क्रिश्चियन माहौल में परवरिश पाने वाले क्लेवरेन का कहना है कि 'मैं लम्बे समय से इस विषय पर शोध कर रहा था। अब मुझे लगता है कि धर्म के आधार पर सही अर्थों में मेरी घर वापसी हो रही है।'

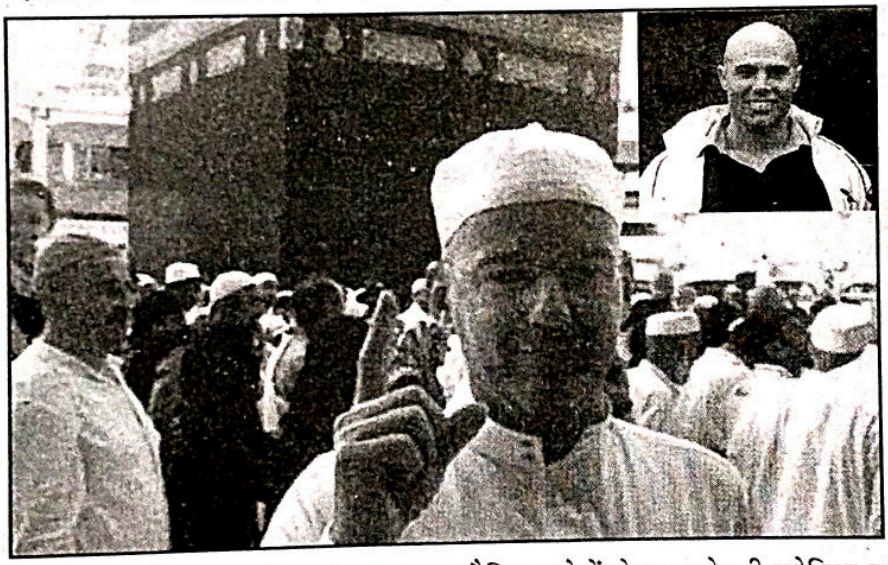

वान क्लेवरेन 2010 से 2014 तक संसद सदस्य रहे हैं। 2014 ई॰ में एक रैली के दौरान जब वाइल्डर्स ने भीड़ से पूछा कि 'उन्हें नीदरलैंड्स में थोड़े मोरक्कन चाहिएं या ज़्यादा?' इसपर भीड़ की ओर से एक स्वर में कहा गया, 'थोड़े, थोड़े, थोड़े'। इस घटना के बाद क्लेवरेन ने पार्टी छोड़ दी थी। पी॰वी॰वी॰ छोड़ने के बाद वान क्लेवरेन ने अपनी पार्टी बनायी, लेकिन 2017 के आम चुनाव के में पार्टी एक सीट भी नहीं जीत पायी। इसके बाद उन्होंने राजनीति से संन्यास ले लिया।

जब वान क्लेवरेन पी॰वी॰वी॰ के राजनीतिज्ञ थे तो वे इस्लाम के कटु आलोचक थे। अब वे कहते हैं कि सारी बुराइयों को किसी न किसी तरह इस्लाम से जोड़ देने की पी॰वी॰वी॰ की नीति बहुत ग़लत थी।

इससे पहले पी॰वी॰वी॰ के एक अधिकारी अमाउड वान डूर्न भी इस्लाम की शरण में पनाह ले चुके हैं। इस्लाम क़बूल करने पर डूर्न ने क्लेवरेन को मुबारकबाद दी।

वास्तविकता यह है कि क्लेवरेन अपने स्वाभाविक धर्म, सत्य और सन्मार्ग की ओर वापस लौटे हैं। इस्लाम शांति और भाईचारे का धर्म है, यह सभी ईसाइयों का धर्म है। उदार हृदय और मन से इसका अध्ययन किया जाना चाहिए। क्लेवरेन सच्चाई तक इसलिए पहुंच पाये कि उन्होंने इस्लाम को उसके मौलिक स्रोतों से समझने की कोशिश की, उन्होंने आतंकवादियों और कपटाचारियों के रवैये से, जिन्होंने इस्लाम को अपने तुच्छ स्वार्थों की पूर्ति के लिए बंधक बना रखा है, इस्लाम को जानने की कोशिश नहीं की। क्लेवरेन ने यह साबित कर दिया है कि वे इस्लाम के सच्चे अनुयायी हैं और यह उनकी समझदारी से संभव हुआ हो सका है।

बहुत सारे लोग जो इस्लाम विरोधी हैं, वे इस्लाम के बारे में कुछ नहीं जानते। उनका विरोध पूरी तरह पूर्वाग्रह पर आधारित है। वे इस्लाम के विषय में प्राथमिक जानकारी भी नहीं रखते और वे इस्लाम के बारे में बहुत ही बुनियाद और सरल सवालों के जवाब भी नहीं दे सकते।

अनाथ लड़कियों की पुकार

VOICE OF ORPHAN GIRLS

मुस्लिम लड़कियों का यतीमख़ाना (गया)

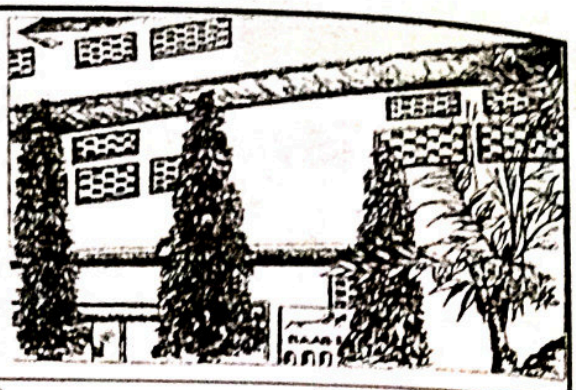

संक्षिप्त परिचय

लड़कियों के लिए आधुनिक और इस्लामी तालीम से लैस राष्ट्रीय स्तर का एक आदर्श रिहाइशी इदारा

● 32 वर्षीय सेवाएं ● 19 विभाग ● शिक्षा : प्राथमिक से मैट्रिक तक ● पत्राचार शिक्षा I.A., B.A. एवं Library Science ● 9 छात्राओं ने हिफ़्ज़ के साथ मैट्रिक पास किया ● प्रौढ़ शिक्षा ● वोकेशनल सेन्टर ● कटिंग और सिलाई: 11 बैच 103 छात्राएं ● ज़री वर्क्स : 7 बैच 65 छात्राएं ● 1993 ई॰ से 2019 ई॰ तक 97 अनाथ बच्चियों और 66 मां-बाप वाली बच्चियों ने मैट्रिक पास किया ● वार्षिक ख़र्च : 35 लाख रुपये से अधिक ● आमदनी का स्रोत : मुस्लिम अवाम के चन्दे ● इदारा 100 अनाथ बच्चियों का सारा ख़र्च पूरा करता है ● किफ़ाला स्कीम के तहत एक यतीम बच्ची का वार्षिक ख़र्च 18,000/- रुपये है–आप भी एक अनाथ बच्ची का ख़र्च उठा कर सवाब में शरीक हों ।

सहायता के विभिन्न रूप : ● ज़कात ● सदक़े ● अतिया ● पैदावार की ज़कात ● दीनी किताबें ● ज़मीन की ख़रीदारी और क़र्ज़ की अदायगी ● स्टाफ़ की मासिक आय के लिए 1,35,000/- रुपये से अधिक ● मां-बाप या रिश्तेदारों के नाम कमरा या हॉल बनवाना और निर्माण कार्यों के लिए ईंटें, सीमेंट, सरिया और अन्य सामग्री या उसका मूल्य देना ● यहां प्रतिवर्ष हिसाब चेक किये जाते हैं और ऑडिट होता है । ● इदारा में खुद आकर बराबरी का नमूना देखें कि अनाथ बच्चियां और वे बच्चियां जिनके मां-बाप हैं किस तरह मिलकर रहा करती हैं ।

नोट : इस्लामी माहौल, इस्लामी लिबास और इस्लामी यूनिफार्म के साथ-साथ कम ख़र्च में मेयारी तालीम।

यह इदारा आप से उदार सहायता की अपील करता है ।

विदेशी चन्दा देने वाले : भारत सरकार से "मुस्लिम लड़कियों का यतीमख़ाना (गया) को विदेशों से चन्दा लेने का इजाज़तनामा प्राप्त हो गया है ।

Foreign Donors विदेशी चन्दा देने वाले

विदेशों में रहने वाले अब BANK A/c No. 300402010009042

BANK CODE NO. UBININBBJAM or IFS Code No. UBIN 0530042

Union Bank of India (Main Branch, GAYA में अपनी रक़म भेज सकते हैं ।

चेक या ड्राफ्ट पर केवल यह लिखें–"THE GAYA MUSLIM GIRLS ORPHANAGE"

Address for correspondence : रक़म भेजने और संपर्क करने का पता

GENERAL SECRETARY, THE GAYA MUSLIM GIRLS ORPHANAGE

At : KOLOWNA, P.O.: CHERKI-824237, Distt.: GAYA (BIHAR) INDIA, Mobile : 9934480190

E-mail : thegayamuslimgirlsorphanage@gmail.com, Website : www.gmgo.org

LOCAL DONORS मक़ामी चन्दा देने वाले

CORE BANKING A/c No. : 300402010007752

BANK IFS CODE-UBI No. 530042 UNION BANK OF INDIA (MAIN BRANCH, GAYA)

Note : Documentary Film–NAZR-E-ENAYAT जिसमें इदारे का इतिहास है। इंटरनेट यू ट्यूब पर देखें।

नोट : कोर बैंकिंग वाले हज़रात E-mail या डाक से अपना मुकम्मल पता भेज दिया करें ताकि उसी पते पर रक़म की रसीद रवाना की जा सके ।

संस्थापक महासचिव : इक़बाल अहमद ख़ां

केरल : सहअस्तित्व का स्वर्ग

केरल में विपरीत धर्मों का सहअस्तित्व हज़ारों वर्ष पुराना है। सदियों से विभिन्न सभ्यताओं के लोग–अरब सौदागर, यहूदी और ईसाई प्रवासी तथा यूरोपियन ट्रेडर्स–स्पाइस रूट से केरल आते और यहीं बसते रहे हैं। मूल रूप से हिन्दू बहुसंख्या वाला राज्य केरल अति प्राचीन काल से आने वाले विदेशियों का स्वागत करता रहा है, बल्कि स्थानीय लोग

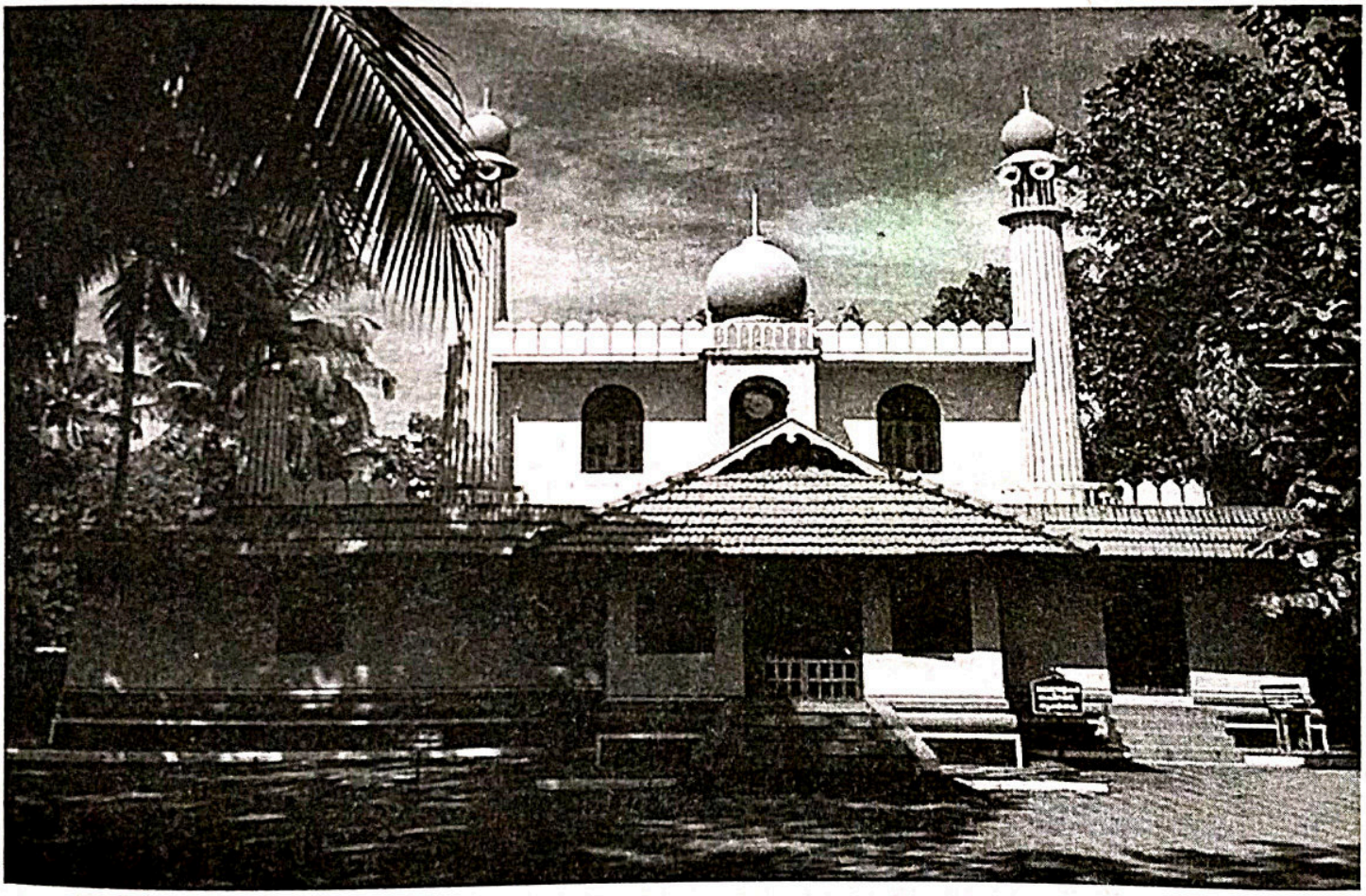

मेहमानों द्वारा बाहर से लाए धर्म को अपनाने में भी पीछे नहीं रहे हैं।

मुसलमान, हिन्दू और ईसाई सारे एक ही भाषा बोलते हैं, जो है मलयालम। केरल में हिन्दुओं, मुसलमानों और ईसाइयों के लिए अलग-अलग गांव नहीं हैं, बल्कि ये सारे एक साथ पड़ोसियों की तरह रहते हैं। स्कूलों मं विभिन्न धर्मों के बच्चे एक दूसरे के साथ मिल-जुलकर बैठते हैं और इसी तरह सब मिल-जुलकर खेलते हैं। केरल में एक ही प्लाट पर एक दूसरे से मिलकर बने मंदिर, मस्जिद और चर्च को देखा जा सकता है। जिसका एक उदारहण खुद राज्य की राजधानी तिरुअनंतपुरम के मध्य में मौजूद है।

दक्षिण पश्चिम में कोच्चि, जो 667,000 निवासियों के साथ राज्य का सबसे घनी आबादी वाला नगर है, वहां देश का सबसे पुराना सेनेगॉग (यहूदी धर्मस्थल) और सबसे पुराना यूरोपीय चर्च मौजूद है। ये दोनों ऐतिहासिक इमारतें 16वीं सदी की हैं। 1947 ई॰ तक कोच्चि में अच्छी ख़ासी यहूदी आबादी भी मौजूद थी, जिसके बाद अधिकतर आबादी इसराईल स्थानांतरित हो गयी। बहुत कम लोगों ने अपनी जन्मभूमि से जुड़े रहने का फ़ैसला किया।

हमारे देश में बनायी गयी सबसे पहली और सबसे

पुरानी मस्जिद चेरामन जामा मस्जिद केरल के थ्रिसुर ज़िले के पथाला में बनी है। कहा जाता है कि यह मस्जिद सातवीं सदी ईसवी में मालिक बिन दीनार के हाथों बनवायी गयी, जब वे अल्लाह के बन्दों को अल्लाह के दीन से अवगत कराने के उद्देश्य से अरब से भारत आये थे। यहां सभी मुख्य धर्मों के अनुयायी एक दूसरे की परम्पराओं और सांस्कृतिक रीतियों को साझा रूप से मनाते हैं और इसके परिणामस्वरूप ही हमें पूरे केरल में सांस्कृतिक विविधता में एकता नज़र आती है।



केरल में हिन्दू, मुसलमान और ईसाई के बीच साम्प्रदायिक तनाव और दंगे न के बराबर हैं। अभी 2017 ई॰ की बात है कि एक हिन्दू मंदिर के अध्यक्ष ने मंदिर की 4 वर्ग मीटर भूमि पड़ोस की मस्जिद को दे दी ताकि मुसलमान अपनी मस्जिद का निर्माण कर सकें। केरल अपनी 33 मिलियन की आबादी में 50 प्रतिशत हिन्दू, 30 प्रतिशत मुसलमान और 20 प्रतिशत ईसाई के साथ देश का सबसे बड़ा धार्मिक बहुलतावाद वाला राज्य है। इसमें कोई सन्देह नहीं कि सहअस्तित्व की सभ्यता केरल के लिए गौरव का विषय है।

केरल में शांतिपूर्ण सहअस्तित्व के माहौल, के कारण नेशनल ज्योग्राफ़िक ट्रैवेलर ने केरल को विश्व के दस 'स्वर्गों' में से एक क़रार दिया है। इस स्वर्ग के निर्माण में राज्य सरकार की भूमिका भी सराहनीय है। राज्य सरकार द्वारा अपने नागरिकों को सुविधा उपलब्ध कराने और उनके अधिकारों की रक्षा करने के मामले में कोई भेदभाव नहीं किया जाता। एक स्वस्थ वातावरण में, जहां सबके साथ समान व्यवहार किया जाता है, किसी नाराज़गी या विवाद के फूट पड़ने की संभावना नहीं रह जाती। विवाद तो तब उभरते हैं जब समाज में किसी एक वर्ग की बुनियादी ज़रूरतें जैसे भोजन, पेय जल, जन सुविधाएं, आवास, सफ़ाई और सुरक्षा आदि भी पूरी नहीं होती हैं। जब किसी के सामाजिक और आर्थिक अधिकारों की अनदेखी नहीं की जाती, कोई भी ख़ुद को उपेक्षित महसूस नहीं करता और हर कोई यह महसूस करता है कि उसके साथ समानता का व्यवहार किया जा रहा है, तो शिकायतें नगण्य हो जाती हैं।

दूसरा कारण यह है कि केरल में शिक्षा दर बंहुत ऊंची है। यह देश के अन्य राज्यों की तुलना में सबसे ऊंची जो है ही, कई आधुनिक विकसित देशों के बराबर है। 1991 ई॰ में नेशनल लिट्रेसी मिशन ने एक शिक्षित समाज के निर्माण का संकल्प लिया था और उसने केरल को एक पूर्ण शत प्रतिशत शिक्षित राज्य घोषित किया। शिक्षा की उच्च दर ने केरल में महिला सशक्तीकरण और लैंगिक समानता के क्षेत्र में भी सकारात्मक भूमिका निभायी। महिलाओं को शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित किया गया और वहां के अति ग़रीब परिवार भी अपनी बेटियों को स्कूल भेजते हैं। यह शिक्षा और सजगता ही का प्रभाव है कि केरल की महिलाएं देश के अन्य राज्यों की महिलाओं की तुलना में अधिक स्वस्थ रहती हैं और उनकी आयु भी लम्बी होती है।

राज्य सरकार ने शिक्षा पर बहुत ज़ोर दिया है और अपने वार्षिक बजट का एक बड़ा भाग शिक्षा के लिए निर्धारित

किया है। पूरे केरल राज्य में शिक्षा को बड़ी गंभीरता से लिया जाता है। यही कारण है कि 2017 में केरल देश का पहला ऐसा राज्य घोषित किया गया, जहां प्राथमिक शिक्षा में शत प्रतिशत हाज़िरी रही। स्वास्थ्य सुविधाओं के मामले में भी केरल देश में प्रथम स्थान पर है और यहां जीवन प्रत्याशा दर भी सबसे अधिक है।

जब लोगों की बुनियादी ज़रूरतें पूरी होंगी तो उनमें कोई विवाद नहीं होगा। शायद यही कारण है कि केरल के मुसलमान वहां के हिन्दुओं और ईसाइयों के साथ मिल-जुलकर

मसालों का व्यापार करने के लिए अरब व्यापारी लगभग तीन हज़ार वर्ष पहले केरल के तटीय क्षेत्रों पर पहुंचे। वे वहां के स्थानीय लोगों में मिल गये। स्थानीय लोगों के साथ विवाह सम्बन्ध स्थापित किये और वहीं बस गये। इस क्रम में केरल वासी अरब व्यापारियों के सभ्य व्यवहार और उनके नैतिक आचरण से बहुत प्रभावित हुए।

फिर जब मालिक बिन दीनार नामक अरब व्यापारी द्वारा वहां इस्लाम पहुंचा तो कई केरल वासियों ने उसे अपना लिया। स्थानीय लोग इससे बहुत प्रभावित थे कि इस्लाम के

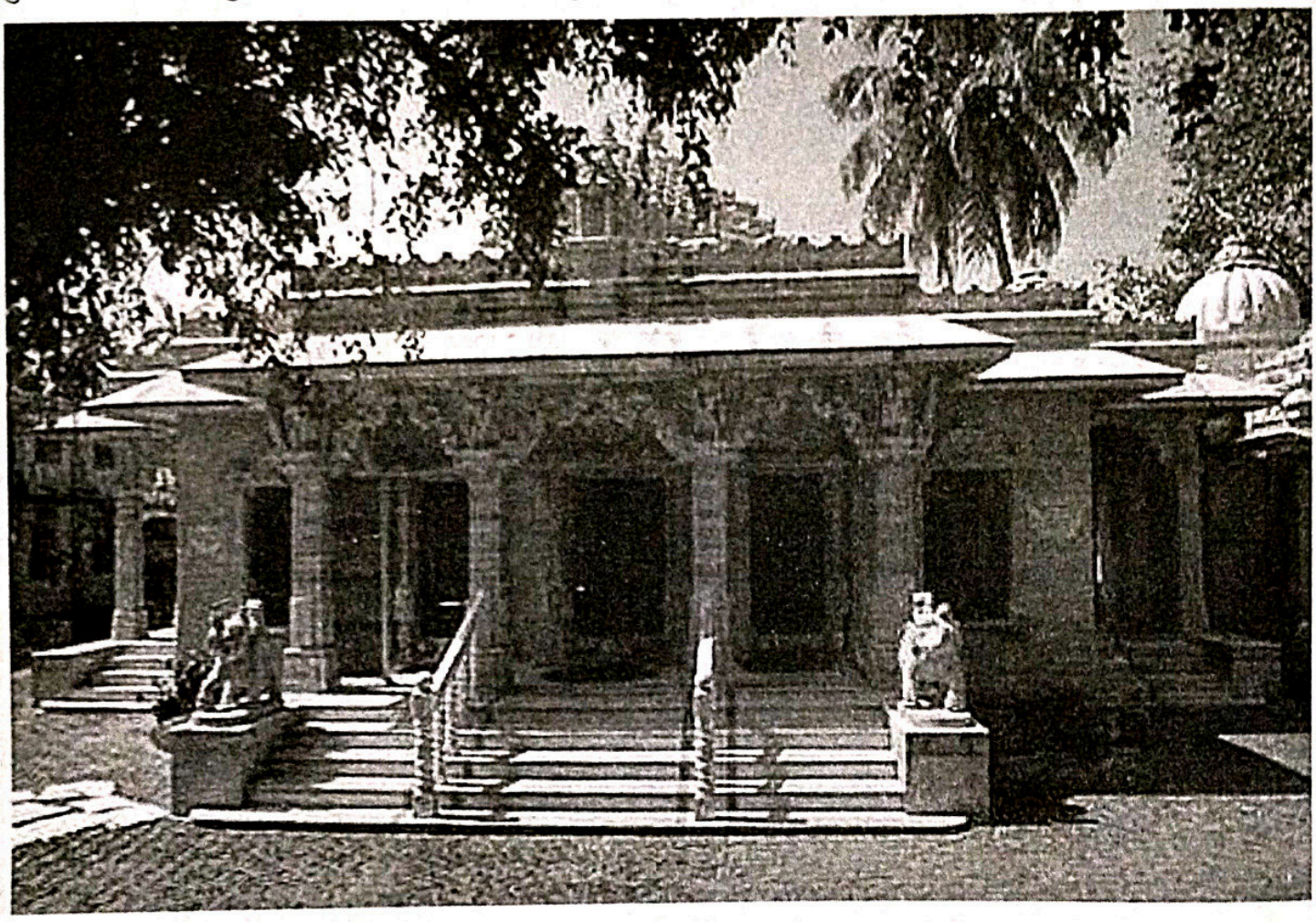

रहने का ज़्यादा रुझान रखते हैं और उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर समाज निर्माण के कामों में आगे-आगे रहते हैं ।

केरल में शांतिपूर्ण सहअस्तित्व का तीसरा बड़ा कारण यह है कि समस्त केरल वासी चाहे उनकी सांस्कृतिक और धार्मिक बुनियाद कुछ भी हो, एक भाषा के माध्यम से आपस में जुड़े हैं और वह भाषा है मलयालम। वहां किसी के लिए भी अपनी भावनाओं को व्यक्त करना बहुत ही आसान है, उसमें भाषा के स्तर पर कोई रुकावट नहीं है।

मानने वाले जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में धर्म के नियमों का पालन करते हैं। वहां इस्लाम तेज़ी से फैला और केरल के बाहर भी देश के अन्य भागों तक पहुंचा। मालिक बिन दीनार ने केरल में 11 मस्जिदें बनवायीं, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण चेरामन जामा मस्जिद है। लगभग 1400 वर्ष की अवधि में इस मस्जिद का बार-बार जीर्णोद्धार हुआ है। आज भी यह मस्जिद मौजूद है और इसमें 3 हज़ार लोगों के लिए नमाज़ अदा करने की जगह है।

(अंग्रेजी से अनुवाद)

मेयारी तालीम ही बेहतर मुस्तक़बिल की ज़मानत है

बच्चों की बेहतर तालीम व तरबियत के पेशे-नज़र स्कूलों और मदरसों के लिए

इस्लामी तर्ज़ पर तैयार निसाबी किताबें

उर्दू, हिन्दी, अंग्रेज़ी, गणित, सामान्य ज्ञान, कंप्यूटर, इस्लामियात और अन्य विषयों की पाठ्य-पुस्तकें अंग्रेज़ी, उर्दू और हिन्दी तीनों भाषाओं में उम्दा काग़ज़, बेहतरीन प्रकाशन, मतन से हम आहंग दीदाज़ेब तस्वीरों के साथ पाठ्य-पुस्तकें प्रकाशित करने वाला

हिन्दुस्तान भर में मशहूर पहला इशाअती इदारा

भारत सरकार के क़ौमी दर्सियात (C.B.S.E & N.C.E.R.T) के ख़ाके के तहत बच्चों के स्वभाव और दिलचस्पी को ध्यान में रखते हुए मुसलसल जांच (C.C.E) के नये तक़ाज़ों के मुताबिक़ नामवर शिक्षण-संस्थाओं से जुड़े अनुभवी शिक्षकों के द्वारा तैयार की गयी पाठ्य-पुस्तकों के लिए संपर्क करें।

हम सारे तालीमी इदारों से भरपूर तआवुन की अपील करते हैं और अल्लाह तआला से दुआ करते हैं कि हम सबकी इस कोशिश को क़ुबूल फ़रमाए। आमीन!

इस्लामी पाठ्य-पुस्तकों का पहला इशाअती इदारा। उर्दू, हिन्दी मीडियम स्कूलों और मदरसों के लिए

Pioneer in Islamic Oriented Books for Urdu/Hindi Medium Schools & Madarsas

AL QALAM
Publications Pvt.Ltd.

Al Qalam

اَلْقَلَمْ پبلیکیشنز
پرائیویٹ لمیٹڈ

Regd. Office : 344, Gali Garhaiyya, Bazar Matia Mahal, Jama Masjid, Delhi-110 006.
Phone : (Off.) 011-2324 1481, 2326 1481 (Godown) 011- 23631481
website : alqalampublications.com e-mail : alqalambooks@gmail.com



To place orders please e-mail us on : alqalambooks@gmail.com or WhatsApp : 9136393030

पिता के जाने के बाद

■ प्रवीण कुमार सहगल

'पिताजी सीरियस हैं', बड़े भैया का फोन आया तो मैं हतप्रभ रह गया। अभी दो दिन पहले ही तो मैं घर से वापस नौकरी पर आया था। अच्छे-भले थे, पिताजी। बड़ी मुश्किल से भैया से पूछ पाया कि एकाएक पिताजी को क्या हो गया। रूंधे गले से भैया बोले-'ज़मीन पर गिरे फिर नहीं बोले, पोजीशन क्रिटीकल है। आई॰सी॰यू॰ में भर्ती हैं। तुरन्त आ जाओ।' भैया के रिसीवर रखते ही मैं आनन-फानन में घर से निकल पड़ा। टैक्सी पकड़ी। रात को घर पहुंच गया। अस्पताल पहुंचा तो पिताजी को देख रो पड़ा। ज़िन्दगी भर एक पल भी आराम न करने वाला व्यक्ति आज बिस्तर पर ख़ामोश पड़ा था। भैया ने चुप कराते हुए कहा-'संभालो खुद को, ठीक हो जायेंगे पिताजी।' पर मैं समझ गया कि पिताजी अब नहीं बचने वाले। दो दिन पहले ही पिताजी के साथ था। जी भरकर बातें की थी। उन्हें कोई बीमारी भी नहीं थी। फिर कैसे क्या हो गया ?

अस्पताल में सभी रिश्तेदार आ गये थे। डाक्टरों से पूछा तो बोले ईश्वर से प्रार्थना करो, वही चमत्कार कर सकता है, अन्यथा बचना मुश्किल है। सिर की नस फट गयी है। ख़ून फैल चुका है। कुछ सूझ नहीं रहा था कि कैसे बचाऊं ? पिताजी को देखने लोग आ जा रहे थे। मां, भैया और दीदी बाहर रो रहीं थीं। मुझे रह-रहकर रोना आ रहा था। उनकी दो दिन पहले कही बातें ज़ेहन में घूम रही थीं। बेटा परोपकार करते रहना, ईमानदारी से ज़िन्दगी बिताना। ईश्वर सब कुछ देगा। आंखों में उनका सारा जीवन चक्र घूम गया ।

जब से होश संभाला, मैंने पिताजी को हमेशा घर-परिवार के लिए ही करते देखा। पिताजी बहुत छोटे थे, तब दादा-दादी गुज़र गये थे। अपने सारे भाई-बहनों को पिताजी ने पाला-पोसा, पढ़ाया-लिखाया, नौकरी पर रखवाया, शादी-विवाह कराये। फिर हम बच्चों में लग गये। भैया, दीदी, मुझे पढ़ाया-लिखाया। दीदी की शादी करायी। हम दोनों भाईयों की नौकरी लगने तक पिताजी काम करते रहे। अपनी एक कमाई में पिताजी ने इतना सब किया, पर किसी से एक पैसा भी नहीं मांगा। खुद तकलीफ सही, पर घर-परिवार, बच्चों को किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी। इतने पर भी बड़ा सा मकान बनवा दिया ताकि हम दोनों भाई, साथ भी रहें तो जगह कम न पड़े। विचारों में खोया था कि डाक्टर देखने आ गए। पिताजी की साँसे उखड़ रही थीं

डाक्टर देख कर चले गए। मुंह से कुछ न बोले। मैं पूछता रहा-'डाक्टर साहब पिताजी कैसे हैं?' पर वे सुनी अनसुनी कर गए। अजीब हाल है, इन डाक्टरों एवं नर्सिंग होमों का। पैसा तो भरपूर लेते हैं, पर मरीज़ को पूरी तवज्जो नहीं देते। कमाई के अड्डे बन गए हैं। डाक्टरी मानवता का पेशा हुआ करती थी, पर अब व्यापार बन गयी है। लाखों कमाकर भी पेट नहीं भरता। गरीब तो इनके यहां आने की हिम्मत ही नहीं कर सकता। थोडी देर बाद स्पेशलिस्ट डाक्टर, जूनियर डाक्टर, फिर पिताजी को देखने आए। जूनियर डाक्टर बोली-'सर हम लोग सब कुछ कर चुके हैं, अब कुछ नहीं हो सकता। सब कुछ दे चुके हैं। जीवन रक्षक दवाओं पर कब तक कोई जीयेगा।' थोड़ी देर में पिताजी की सांस बंद हो गई। डाक्टर चले गये। मैं गुस्से से तमतमा गया। क्या है, ये कैसे डाक्टर हैं ? निराशावादी बातें करते हैं। इतना भी नहीं सोचते की मरीज़ के घरवालों का क्या हाल होगा। डाक्टर कह रहे थे ले जाओ इन्हें। अब ये नहीं रहे ।

मैं गुस्से में तो था ही। डाक्टर की बात सुनते ही भड़क पड़ा, जी ले जायेंगे डाक्टर, हमारी तो दुनिया ख़त्म हो गयी है। हम अनाथ हो गये हैं और आपको जल्दी पड़ी है। यदि इस जगह आपके पिताजी होते तो क्या करते आप ?

डाक्टर सुन कर चले गये। पिताजी ख़त्म हो गए। ख़बर बाहर तक चली गयी। सारे लोग रोने लगे। क़रीब घन्टे भर बाद एम्बुलेंस से पिताजी को घर ले आए। रात भर रोना-पीटना चलता रहा। सुबह पिताजी का क्रियाकर्म हो गया। घर सूना हो गया। लोग चले गए पर मेरी आंखों के आंसू थम नहीं रहे थे। आख़िर वे मुझे चाहते भी बहुत थे।

पिताजी के क्रियाकर्म सम्बन्धी सारे कार्य निपटाने के बाद नौकरी पर वापस आया तो आफिस जाने का मन नहीं होता था। जब भी मां-पिताजी मेरे पास आते थे, अपने हाथ से नाश्ता चाय देते थे। जन्म दिन पर तोहफ़ा लाते थे। बड़ी मुश्किल से ख़ुद को आफिस जाने लायक़ बना पाया। इस बार जन्मदिन आया तो अकेली मां आयी। फूट-फूट कर रोया। पिछले जन्म दिन पर पिताजी कपड़े-मिठाई लाये थे। इस बार मैने नये कपड़े भी नहीं लिये। बस जन्मदिन आया और चला गया।

पिताजी को गये काफी दिन हो गये हैं, पर आज भी ऐसा लगता है कि यहीं कहीं आस-पास हैं। जब भी घर जाता हूं, मां के आंसूओं में पिताजी को पाता हूं। जब तक पिताजी थे बेफ़िक्र था। अब उनके सारे काम करने पड़ते हैं, तब समझ आता है, पिताजी कितना काम करते थे। कितनी भाग दौड़ करते थे, कितना तनाव झेलते थे और हम बेफ़िक्र घूमते थे। बस खाना, सोना, पढ़ना लिखना, नौकरी करना। अब छोटे-छोटे कामों के लिए भरी दोपहरी, ठण्डी रात में ख़ुद भागना पड़ता है। पिताजी गर्मी की लू जलती दोपहरी और जाड़ों की सर्द रात में बाहर निकलने ही नहीं देते थे। बेटा लू लग जाएगी, बेटा सर्दी लग जाएगी कह कर ख़ुद ही चले जाते थे। सारी ज़िन्दगी वे संघर्ष करते रहे ताकि हम सब आराम से रह सकें। आज हम लोगों के पास कुछ करने को नहीं बचा है। बस कमाना, खाना। सारे कामों को ख़ुद निपटा गये। बस छोड़ गये तो अपना परोपकार। मैंने सोच लिया है कि उनके बताए रास्ते पर ही चलूंगा। उनके परोपकारी कामों को आगे बढ़ाऊंगा, क्योंकि जाने के बाद भी वे मेरे साथ हैं। पिताजी की बात हर दिन याद आती है। भुलाए नहीं भूलती। आफिस में बैठे बैठे भी याद आते हैं।

आज आफिस से आया तो दिल अच्छा नहीं था। सर्दी के दिन थे। रात देर से लौटा तो सर्दी लग गयी। पिताजी याद आए। बिना खाए-पिए सो गया। झपकी लगी तो लगा पिताजी पास आए हैं, कह रहे हैं बेटा सर्दी लग गयी क्या? हल्दी डालकर दूध पी लो, ठीक हो जाओगे। बेटा उदास मत रहा करो, मरने के बाद भी मैं तुम्हारे साथ हूं। बस संघर्ष से मुंह न मोड़ना, न ईमानदारी छोड़ना। परोपकार करने की भावना दिल में रखना। नींद खुली तो देखा, पिताजी नहीं दिखे। पिताजी के जाने के बाद अहसास हुआ कि सब कुछ मिल जाता है, पर माता-पिता दोबारा नहीं मिलते। सच कहते हैं बडे-बूढे, पिता के जाने बाद बच्चा अनाथ हो जाता है। वटवृक्ष का साया उठते ही सिर पर गर्मी, सर्दी, बरसात ख़ुद झेलनी पड़ती है।

पिता को गये अरसा हो गया है, पर जब भी मुड़ के देखता हूँ पिताजी मुस्कुराते नज़र आते हैं, मानो कह रहे हैं मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। सच है, बच्चा सोचे या न सोचे, मां-बाप हमेशा बच्चे की भलाई ही सोचते हैं। पिताजी के आशीर्वाद से ही सब कुछ मिल रहा है। पहली बार पिताजी के जाने के बाद उनकी ज़रूरत समझ में आयी कि पिता बिना बच्चा अनाथ रहता है।

जीवन का सकारात्मक सहज प्रवाह हमारे उत्कर्ष का कारण है। प्रकृति के उपहारों का सेवन करते हुए हम स्वयं को भी प्रकृति का ही अंग मानें। विकृति आने पर हमारा तन और मन अस्वस्थ हो जाता है। इसलिए आवश्यक है कि हमारी दिनचर्या समुचित और सुनिश्चित हो। वस्तुत: प्राणिसमूह में मनुष्य इसलिए श्रेष्ठ माने गए हैं कि हम विवेकशील हैं। अन्यथा भोग आदि अन्य वृत्तियां तो हमारी भी पशुवत ही हैं। ज्ञान और आचरण ही है, जो मनुष्य को पशु जगत से अलग करता है। इसलिए मनुष्यता या मानवता की धारणा ही मनुष्य का लक्षण है। प्रकृति में सह अस्तित्व का सिद्धांत है।

पारस्परिक प्रेम के साथ ही जीवन की प्रासंगिकता है, प्रकृति के साथ जीना ही जीवन है। इसी भांति सबको साथ लेकर चलना ही जीवन है। इसे समग्र भाव या समष्टि कहते हैं। समष्टि के बिना व्यक्ति का कोई महत्व नहीं है। मनुष्य, समाज से अलग होकर सबको अमान्य करके कौन सी उपलब्धि प्राप्त करेगा? कहीं न कहीं उसे सहयोग की अपेक्षा रहती ही है। इन सबसे ऊपर विचार करने पर यह भी स्पष्ट होने लगता है कि व्यक्ति की सार्थकता परार्थ यानी दूसरों के सहयोग और उनकी सेवा में ही है। केवल स्वार्थ में जीना असफल जीवन है, जिसमें शांति लेशमात्र भी नहीं मिलती। यही कारण है कि चिंतनशील लोग लोकोपयोगी जीवन व्यतीत करते हैं। परोपकार का यही सिद्धांत है। नदियां और वृक्ष इसके प्रत्यक्ष उदाहरण हैं। क्या नदियां अपना जल स्वयं पीती हैं? अथवा क्या वृक्ष अपने फल स्वयं खाते हैं? व्यक्ति का व्यक्ति से अंतरसंबंध बने, तभी सुखद समाज की कल्पना की जा सकती है। अन्यथा वह एकाकी आलाप करता रहेगा। उसकी उपलब्धियां भी उसे शांति नहीं प्रदान कर सकेंगी। इसलिए हमें परिवेश के साथ जीना चाहिए।

समाज में उपभोक्तावाद का असर

भारत जैसे देशों में जहां साम्राज्यवादी सम्पर्क से परम्परागत उत्पादन का ढांचा टूट गया है और लोगों की बुनियादी ज़रूरतों की पूर्ति के लिए उत्पादन के तेज़ विकास की ज़रूरत है , वहां उपभोक्तावाद के असर से विकास की सम्भावनाएं कुंठित हो गयी हैं। एक नया अभिजात वर्ग पैदा हो गया है, जिसने उपभोक्तावादी संस्कृति को अपना लिया है। इस वर्ग में उन चीज़ों की भूख जग गयी है जो अस्ल में जीवन जीने के लिए बहुत महत्वपूर्ण नहीं हैं।

उपभोक्तावादी जीवन शैली में आप घर को किस तरह सजाते हैं, किस तरह कपड़े पहनते हैं, किस तरह मनोरंजन करते हैं आदि चीज़ों को समाज में लोगों की प्रतिष्ठा से जोड़ दिया गया है। अधिक से अधिक वस्तुओं का ख़रीदना उनको उपभोग व प्रदर्शन करना, यह लोगों की जीवनशैली बन चुकी है। संस्कृति भी आज बाज़ार का हिस्सा बन चुकी है, भारतीय संस्कृति के गौरव- योग, आयुर्वेद और पुष्कर जैसे मेलों पर बाज़ारीकरण के प्रभाव परिलक्षित होना इसका उदाहरण है।

जैसा कि मैंने पहले कहा कि एक अभिजात वर्ग जो कि हमारी देश की राजनीति के शीर्ष स्थान पर है, देश के सीमित साधनों का उपयोग धड़ल्ले से लोगों की आम आवश्यकता की वस्तुओं का निर्माण करने के बजाए उद्योगों और सुविधाओं के विकास के लिए हो रहा है, जिससे इस वर्ग की उपभोक्तावादी आकांक्षाओं की पूर्ति हो सके। इससे भ्रष्टाचार को भी बहुत हद तक बढ़ावा मिला है। हमारे देश में उच्च वर्ग के लोगों पर उपभोक्तावादी जीवन-शैली का प्रभाव बहुत अधिक देखने को मिलता है और इनकी अतिरिक्त पूंजी विकास के बजाए उद्योगपतियों की जेबों में जाती है, मध्यम वर्ग आज इसी दौड़ में अपनी पूंजी को बर्बाद करने में लगा है। तभी हमारा भारत आज सिर्फ़ विकास के सपने देखता है, लेकिन कोई विकास की किरण नज़र नहीं आती, जो ग़रीब है वह और ग़रीब और जो अमीर है वह और अमीर होता जा रहा है।

भारत में उपभोक्ता आन्दोलन को दिशा 1966 में जे॰आर॰डी॰ टाटा के नेतृत्व में कुछ उद्योगपतियों द्वारा उपभोक्ता संरक्षण के तहत फ़ेयर प्रैक्टिस एसोसिएशन की मुंबई में स्थापना की गई। 9 दिसम्बर 1986 को तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पहल पर उपभोक्ता संरक्षण विधेयक अधिनियम पारित किया गया।

अधिनियम में बाद में 1993 एवं 2002 में महत्वपूर्ण संशोधन किये गये।

इस अधिनियम के अधीन पारित आदेशों का पालन न किये जाने पर धारा 27 के अधीन कारावास एवं दण्ड तथा धारा 25 के अधीन कुर्की का प्रावधान किया गया है। उपभोक्तावादी संस्कृति ने गांवों की अर्थव्यवस्था के इस पहलू को समाप्त कर दिया है।

अब धीरे-धीरे गांवों में भी सम्पन्न लोग उन वस्तुओं के पीछे पागल हो रहे हैं जो उपभोक्तावादी संस्कृति की देन हैं। हाल तक गांवों के उपभोग का स्तर बहुत नीचा था ज़ो कि उद्योगों के विकास के लिए एक बड़ी बाधा बन रहा था, लेकिन अब गांवों में भी उपभोक्तावादी जीवन-शैली का स्तर बढ़ता नज़र आने लगा है।

– ख़ान शाहीन (सीकर, राजस्थान)

(पृष्ठ 33 का शेष)

दुष्कर्मों में 50 प्रतिशत तक गिरावट आ सकती है।

पिछले सालों में एक साल की रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका में दुष्कर्म के मामले 3 लाख के ऊपर थे। हमारे देश में वही मामले 36 हज़ार से ज़्यादा हुए, जबकि अरब में सिर्फ़ 3 ऐसे मामले हुए । तो क्या इस चीज़ को देखते हुए हमें पर्दे की अहमियत समझ में नहीं आती?

जो लोग पर्दे को जुर्म समझते हैं, उनसे मेरा सवाल है कि क्या बेपर्दा होकर लड़की आज़ाद है? क्या वह सुरक्षित है? बहुत सी ऐसी लड़कियां हैं जो दूसरे धर्मों से इस्लाम की ओर आयी हैं, क्योंकि उन्होंने ख़ुद को परदे में आज़ाद महसूस किया और सुरक्षित भी। अगर हम सच में चाहते हैं कि इन ख़राब हालात से निकला जाए तो बेहद ज़रूरी है कि पहले इस्लाम को समझा जाए।

'मासूमों की आहें अब देखी नहीं जातीं, ख़्वाहिश है कि फिर वही क़ानून हो, वही लहर दौड़ पड़े'।

हज़रत इब्ने उमर (रज़ि॰) कहते हैं कि मैंने अल्लाह के रसूल (सल्ल॰) को कहते सुना कि "जिसने अल्लाह के सिवा किसी दूसरे की क़सम खाई उसने शिर्क किया ।"

(तिरमिज़ी)

A Well Wisher

BETTIAH (BIHAR)

हज़रत अबू उसामा (रज़ि॰) कहते हैं कि अल्लाह के रसूल (सल्ल॰) ने कहा : "जिसने प्रेम किया अल्लाह के लिए, घृणा की अल्लाह के लिए, दिया अल्लाह के लिए और रोका अल्लाह के लिए, उसने ईमान को पूर्ण कर लिया ।"

(अबू दाऊद, तिरमिज़ी)

A Well Wisher

BETTIAH

B
I
H
A
R

घड़ी उल्टे हाथ में ही क्यों बांधते हैं?

घड़ी बांधते वक़्त आपके मन में यह ख़याल ज़रूर आया होगा कि हमेशा बाएं हाथ की कलाई पर घड़ी को क्यों बांधा जाता है? पुराने ज़माने में घड़ियां हाथों में नहीं जेब में हुआ करती थीं। आपने भी पुराने ज़माने की चेन वाली घड़ियां देखी होंगी जिन्हें जेब में रखा जाता था। जेब से निकालकर समय देखा जाता था।

माना जाता है कि कुछ लोग इस चेन वाली घड़ी को हाथ में पहनने लगे और हाथ में घड़ी बांधने का चलन शुरू हुआ। बाएं हाथ में घड़ी बांधने की मुख्य वजह अधिकतर

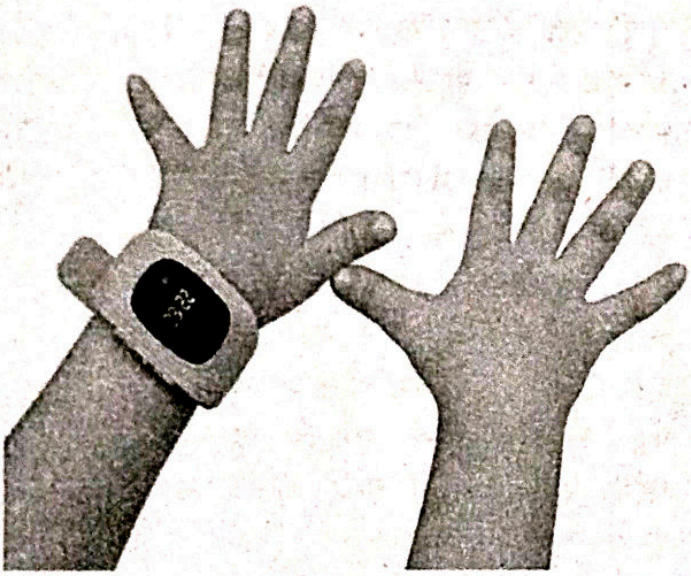

लोगों का दाएं हाथ से अधिकतर काम करने वाला होना है।

जब आपका दायां हाथ काम में व्यस्त होता है तो बाएं हाथ में इसी दौरान समय देखना बेहद आसान होता है और काम भी दाएं हाथ से चलता रहता है। तभी तो आपने देखा होगा कि परीक्षा देते हुए छात्र दाएं हाथ से लिखते हैं और बाएं हाथ से बार-बार समय देखते रहते हैं।

बाएं हाथ में घड़ी बांधना इतना सामान्य है कि घड़ियां भी इसी हिसाब से बनाई जाने लगीं। दाएं हाथ से अन्य काम करने के चलते आपकी घड़ी भी सुरक्षित रहती है। इसके गंदे होने, स्क्रेच लगने और काम की जगह जैसे टेबल पर टकराने की संभावना भी कम होती है।

रोचक जानकारियां

हमारे देश में कब क्या शुरू हुआ ?

. टेलीविज़न	-	1959, दिल्ली
. मोबाइल फ़ोन	-	1995, कोलकाता
. बिजली	-	1772, दार्जिलिंग
. रेलगाड़ी	-	1853, मुम्बई
. टेलीफोन	-	1881, कोलकाता
. रेडियो	-	1927, मुम्बई
. सिनेमा	-	1896, मुम्बई
. कम्प्यूटर	-	1956, मुम्बई
. विमान	-	1932, मुम्बई
. बस	-	1926, मुम्बई
. साइकिल	-	1890, मुम्बई
. समाचार पत्र	-	1780, कोलकाता
. डाक सेवा	-	1837, मुम्बई
. क्रिकेट	-	1793, कोलकाता
. फुटबॉल	-	1802, मुम्बई

देश की पहली महिला

. राष्ट्रपति	-	प्रतिभा देवी सिंह पाटिल
. प्रधानमंत्री	-	इंदिरा गांधी



. लोकसभा अध्यक्ष - मीरा कुमार

. सांसद - राधा बाई
. राज्यपाल - सरोजिनी नायडु
. शासिका - रज़िया सुल्तान



. आई.ए.एस. - अन्ना जार्ज
. मुख्य मंत्री - सुचेता कृपलानी
. केंद्रीय मंत्री - अमृता कौर
. कांग्रेस अध्यक्ष - एनी बेसेंट
. अशोक चक्र विजेता - ग्लोरिया वेरी
. मिस वर्ल्ड - रीता फ़ारिया
. भारत रत्न - इंदिरा गांधी
. मुख्य न्यायाधीश - लीला सेठ

भारत में प्रथम

- भारत का सबसे पहला आम चुनाव : 1952

- भारत में पहली जल विद्युतीय परियोजना : 1902 में कावेरी नदी के पास शिवसमुद्रम

- भारत का पहला प्रदेश जहां महिला न्यायालय बना : आंध्र प्रदेश

- भारत का पहला नवोदय विद्यालय : नावेगांव-खैरी (नागपुर)

- 1852 में कराची में भारत की पहली डाक टिकट प्रकाशित की गयी।

- भारत की पहली प्रिंटिंग प्रेस 1556 में पुर्तगालियों द्वारा गोवा में स्थापित की गयी।

- भारत की पहली रेल बाम्बे से ठाणे के बीच 16 अप्रैल 1853 को चली।

- भारत का पहला रुपये का सिक्का 1542 में शेर शाह सूरी के शासनकाल में ढाला गया।

गर्मी

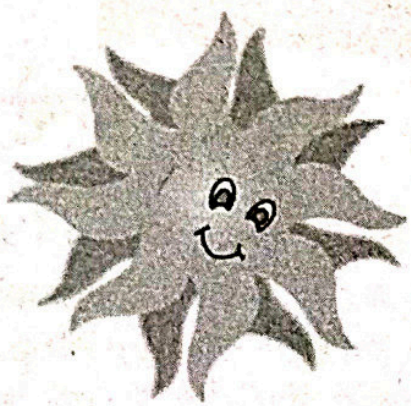

धूप सिपाही बन गई, सूरज थानेदार!
गर्म हवाएं बन गई, ज़ालिम साहूकार !!
शीतलता शर्मा रही, कर घूंघट की ओट!
मुरझाई सी छांव है, पड़ रही लू की चोट !!
चढ़ी दुपहरी हो गया, कर्फ्यू जैसा हाल!
घर भीतर सब बंद हैं, सूनी है चौपाल!!
लगता है जैसे हुए, सूरज जी नाराज़!
आग बबूला हो रहे, गिरा रहे हैं गाज!!
तापमान यूं बढ़ रहा, ज्यों जंगल की आग!
सूरज जी गाने लगे, फिर से दीपक राग!!
कूलर, हीटर सा लगे, पंखा उगले आग!
कोयलिया कू-कू करे, उत अमवा के बाग़!!
लिए बीजना हाथ में, दादी करे बयार!
कूलर और पंखा हुए, बिन बिजली बेकार!!
कुंए ग़ायब हो गये, सूखे पोखर-ताल!
पशु-पक्षी और आदमी, सभी हुए बेहाल!!
धरती व्याकुल हो रही, बढ़ती जाती प्यास!
दूर अभी आषाढ़ है, रहने लगी उदास!!
सूरज भी औक़ात में, आयेगा उस रोज़!
बरखा रानी आएगी, धरती पर जिस रोज़!!
पेड़ लगाओ पानी बचाओ, कहता सब संसार!
ये देख चेते नहीं, तो इक दिन होगा बंटाधार !!!!

मुद्रक एवं प्रकाशक मुहम्मद अहमद द्वारा दावत ट्रस्ट (रजि॰), D-314, दावत नगर, अबुल फ़ज़्ल इन्कलेव, जामिया नगर, नयी दिल्ली-110025 से प्रकाशित एवं भारत ऑफ़सेट प्रेस, 2035, क़ासिम जान स्ट्रीट, बल्लीमारान, दिल्ली-110006 से मुद्रित। फ़ोन : 011-26949430, 09818799223
संपादक : डॉ॰ मुहम्मद अहमद

संस्था की लिखित अनुमति के बिना सम्पूर्ण या आंशिक पुनर्प्रकाशन पूर्णतः प्रतिबंधित है।

SHIRAZ

GOLDEN RESTAURANT



Home Delivery Menu





135, Park Street, Kolkata - 700 017

Phone : 2286-6806, 2286-6795, 2286-7272, 2286-7273

Mob. : 9831599258

shiraz.golden1412@gmail.com

Posted on 20-21 June 2019
July 2019
Posted Delhi RMS Delhi-110006
E-mail: kantihindimonthly@yahoo.com
Publishing Date: 18.06.2019
Total pages 52 with Cover

कान्ति

हिन्दी साहित्यों की त्रैमासिक पत्रिका
NEW DELHI-110025

RNI 53372/91
DL(S)-05/3147/2018-2020
LICENSED TO POST WITHOUT PREPAYMENT
License No. U (SE)-73/2018-2020

بسم الله الرحمن الرحيم

"हज़रत इब्ने मसऊद (रज़ि॰) से उल्लिखित है कि अल्लाह के रसूल हज़रत मुहम्मद (सल्ल॰) ने फ़रमाया–"क़यामत के दिन मेरे साथ रहने का सबसे ज़्यादा हक़दार वह होगा, जो मुझ पर सबसे ज़्यादा दुरूद भेजेगा।"
(तिरमिज़ी)

ICON INTERNATIONAL

TOPSIA, KOLKATA